

## विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

प्रस्तावना

1

विनियोग लेखे का सारांश

2-16

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

17-19

विनियोग लेखे –

1.	कृषि विभाग	21-27
2.	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	28-32
3.	भवन निर्माण विभाग	33-41
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	42-45
5.	राज्यपाल सचिवालय	46
6.	निर्वाचन विभाग	47-48
7.	निगरानी विभाग	49
8.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	50-52
9.	सहकारिता विभाग	53-54
10.	उर्जा विभाग	55-57
11.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	58-59
12.	वित्त विभाग	60-64
13.	ब्याज संदाय	65-67
14.	ऋण की वापसी अदायगी	68-69
15.	पेंशन	70-71
16.	पंचायती राज विभाग	72-75
17.	वाणिज्य कर विभाग	76-77
18.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	78
19.	पर्यावरण एवं वन विभाग	79-82
20.	स्वास्थ्य विभाग	83-98
21.	मानव संसाधन विकास विभाग	99-104
22.	गृह विभाग	105-112
23.	उद्योग विभाग	113-116
24.	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	117-118
25.	सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग	119-120
26.	श्रम संसाधन विभाग	121-125
27.	विधि विभाग	126-127
28.	बिहार का उच्च न्यायालय	128
29.	खनन एवं भूतत्व विभाग	129-130
30.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	131-133

31.	संसदीय कार्य विभाग	134
32.	विधान मंडल	135-137
33.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	138-140
34.	बिहार लोक सेवा आयोग	141
35.	योजना एवं विकास विभाग	142-145
36.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	146-150
37.	ग्रामीण कार्य विभाग	151-153
38.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	154-156
39.	आपदा प्रबंधन विभाग	157-166
40.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	167-171
41.	पथ निर्माण विभाग	172-176
42.	ग्रामीण विकास विभाग	177-179
43.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	180-182
44.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	183-186
45.	गन्ना उद्योग विभाग	187-189
46.	पर्यटन विभाग	190
47.	परिवहन विभाग	191-193
48.	नगर विकास एवं आवास विभाग	194-199
49.	जल संसाधन विभाग	200-211
50.	लघु जल संसाधन विभाग	212-215
51.	समाज कल्याण विभाग	216-221
	परिशिष्ट	222-225

## प्रस्तावना

वर्ष 2008–2009 के लिए बिहार सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

### टिप्पणी

इन लेखाओं में :

- |            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| “मूल”      | मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।                                                  |
| “अनुपूरक”  | अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।                                              |
| “पुनर्वि०” | सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक होता है। |

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे टाईप में दर्शाये गए हैं।

विनियोग लेखे का

अनुदान/ विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(हजार रूपयों में)		(हजार रूपयों में)	
1. कृषि विभाग दत्तमत	7,83,27,36	2,92,00	5,59,41,11	2,92,00
2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दत्तमत	3,56,67,25	.....	2,92,12,11	.....
3. भवन निर्माण विभाग दत्तमत	2,73,98,53	91,51,49	1,79,87,39	37,69,33
4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग दत्तमत	70,48,13	12,70,33	52,26,32	4,03,96
5. राज्यपाल सचिवालय प्रभारित	4,09,86	.....	5,80,54	.....
6. निर्वाचन विभाग दत्तमत	1,03,32,29	.....	69,76,98	.....
7. निगरानी विभाग दत्तमत	17,77,46	.....	12,87,68	.....
8. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग दत्तमत	38,62,82	45,49,00	29,59,03	38,94,10
9. सहकारिता विभाग दत्तमत	3,08,66,92	59,26,45	2,85,33,15	44,71,10

सारांश

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप्यों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(हजार रूप्यों में)		(हजार रूप्यों में)	
2,23,86,25	.....	.....	.....
64,55,14	.....	.....	.....
94,11,14	53,82,16	.....	.....
18,21,81	8,66,37	.....	.....
.....	.....	1,70,68 (1,70,67,580)	.....
33,55,31	.....	.....	.....
4,89,78	.....	.....	.....
9,03,25	6,54,90	.....	.....
23,33,77	14,55,35	.....	.....

विनियोग लेखे का

अनुदान/ विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(हजार रूपयों में)		(हजार रूपयों में)	
10. ऊर्जा विभाग दत्तमत	7,41,60,01	13,62,22,88	7,38,80,85	8,41,47,19
11. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दत्तमत	58,65,47	14,35,00	47,81,00	14,35,00
12. वित्त विभाग दत्तमत	2,74,09,61	21,70,00	2,38,93,72	7,19,20
13. ब्याज संदाय प्रभारित	37,96,03,70	.....	37,52,94,42	.....
14. ऋण की वापसी अदायगी प्रभारित	.....	16,83,41,15	.....	16,82,27,65
15. पेंशन दत्तमत प्रभारित	34,35,52,77 2,90,72	..... .....	34,81,24,20 27,47	..... .....
16. पंचायती राज विभाग दत्तमत	13,14,20,60	87,54,20	9,95,56,14	.....
17. वाणिज्य कर विभाग दत्तमत	46,30,25	3,35,00	46,68,00	3,13,57
18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दत्तमत	2,15,22,95	.....	1,92,79,50	.....

सारांश – क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप्यों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(हजार रूप्यों में)		(हजार रूप्यों में)	
2,79,16	5,20,75,69	.....	.....
10,84,47		.....	.....
35,15,89	14,50,80	.....	.....
43,09,28	.....	.....	.....
.....	1,13,50	.....	.....
.....	.....	45,71,43	.....
2,63,25		(45,71,43,271)	
3,18,64,46	87,54,20	.....	.....
.....	21,43	37,75	.....
		(37,74,580)	
22,43,45	.....	.....	.....

विनियोग लेखे का

अनुदान / विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान / विनियोग		कुल अनुदान / विनियोग	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(हजार रूपयों में)		(हजार रूपयों में)	
19. पर्यावरण एवं वन विभाग दत्तमत	1,00,03,39	1,00,00	78,43,20	99,83
20. स्वास्थ्य विभाग दत्तमत	15,87,28,09	1,70,98,80	11,91,67,35	97,21,11
21. मानव संसाधन विकास विभाग दत्तमत	78,24,28,73	43,52,01	66,21,06,89	23,98,41
22. गृह विभाग दत्तमत	21,08,16,42	3,47,76,61	17,89,48,49	2,02,54,93
23. उद्योग विभाग दत्तमत	3,50,11,31	2,94,17,04	1,95,96,76	2,82,02,76
24. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग दत्तमत	48,05,60	5,03,49	44,16,56	4,92,61
25. सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग दत्तमत	63,16,01	42,65,00	4,63,46	24,71,50
26. श्रम संसाधन विभाग दत्तमत	1,36,77,93	13,00,50	85,46,78	5,90,75
27. विधि विभाग दत्तमत	2,63,22,71	.....	1,92,78,15	.....



सारांश – क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप्यों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(हजार रूप्यों में)		(हजार रूप्यों में)	
21,60,19	17	.....	.....
3,95,60,74	73,77,69	.....	.....
12,03,21,84	19,53,60	.....	.....
3,18,67,93	1,45,21,68	.....	.....
1,54,14,55	12,14,28	.....	.....
3,89,04	10,88	.....	.....
58,52,55	17,93,50	.....	.....
51,31,15	7,09,75	.....	.....
70,44,56	.....	.....	.....

विनियोग लेखे का

अनुदान/ विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(हजार रूपयों में)		(हजार रूपयों में)	

28. बिहार का उच्च न्यायालय

प्रभारित 44,07,11 ..... 52,60,43 .....

29. खनन एवं भूतत्व विभाग

दत्तमत 32,73,92 ..... 19,54,27 .....

30. अल्प संख्यक कल्याण विभाग

दत्तमत 58,44,44 12,89,00 42,70,19 12,15,80

31. संसदीय कार्य विभाग

दत्तमत 1,33,93 ..... 1,14,60 .....

32. विधान मंडल

दत्तमत 65,33,63 ..... 55,27,77 .....

प्रभारित 31,01 ..... 50 .....

33. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

दत्तमत 52,98,14 16,39,00 27,91,13 16,09,13

34. बिहार लोक सेवा आयोग

प्रभारित 8,98,98 ..... 8,76,75 .....

35. योजना एवं विकास विभाग

दत्तमत 4,33,69,99 14,82,00 2,36,04,06 14,82,00

36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

दत्तमत 2,67,16,91 6,78,11,19 2,40,98,74 1,82,22,59

सारांश – क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप्यों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(हजार रूप्यों में)		(हजार रूप्यों में)	

.....	.....	8,53,32 (8,53,31,737)	.....
13,19,65	.....	.....	.....
15,74,25	73,20	.....	.....
19,33	.....	.....	.....
10,05,86 30,51	..... .....	..... .....	..... .....
25,07,01	29,87	.....	.....
22,23	.....	.....	.....
1,97,65,93	.....	.....	.....
26,18,17	4,95,88,60	.....	.....

विनियोग लेखे का

अनुदान/ विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(हजार रूपयों में)		(हजार रूपयों में)	
37. ग्रामीण कार्य विभाग दत्तमत	3,48,78,68	16,08,33,00	2,78,97,26	11,79,65,14
38. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग दत्तमत	64,56,60	12,77,71	61,96,90	7,28,71
39. आपदा प्रबंधन विभाग दत्तमत	29,51,58,92	26,36,24	13,99,75,04	26,36,24
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दत्तमत	3,83,62,16	3,02,57,63	3,10,46,45	2,88,14
41. पथ निर्माण विभाग दत्तमत	4,22,26,96	29,64,65,50	3,07,51,51	24,59,29,43
42. ग्रामीण विकास विभाग दत्तमत	11,25,19,09	1,79,80,00	10,15,64,66	94,74,75
43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग दत्तमत	63,71,04	1,43,65,66	34,75,36	1,13,58,82
44. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग दत्तमत	2,35,20,38	30,53,81	1,86,18,54	16,26,65
45. गन्ना उद्योग विभाग दत्तमत	59,72,97	58,46,34	29,50,39	29,34,84

सारांश – क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप्यों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(हजार रूप्यों में)		(हजार रूप्यों में)	
69,81,42	4,28,67,86	.....	.....
2,59,70	5,49,00	.....	.....
15,51,83,88	.....	.....	.....
73,15,71	2,99,69,49	.....	.....
1,14,75,45	5,05,36,07	.....	.....
1,09,54,43	85,05,25	.....	.....
28,95,68	30,06,84	.....	.....
49,01,84	14,27,16	.....	.....
30,22,58	29,11,50	.....	.....

विनियोग लेखे का

अनुदान/ विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(हजार रूपयों में)		(हजार रूपयों में)	
46. पर्यटन विभाग दत्तमत	6,18,76	23,48,02	6,07,21	23,03,97
47. परिवहन विभाग दत्तमत	11,42,29	1,80,58,57	7,76,88	10,08,81
48. नगर विकास एवं आवास विभाग दत्तमत	17,92,26,75	.....	11,68,78,17	.....
49. जल संसाधन विभाग दत्तमत	5,12,15,95	24,58,82,79	4,61,97,52	10,99,31,42
50. लघु जल संसाधन विभाग दत्तमत	3,22,74,53	1,01,99,56	2,51,99,97	41,36,71
51. समाज कल्याण विभाग दत्तमत	18,32,30,14	2,22,71,22	13,83,41,64	22,71,22
कुल दत्तमत :	3,15,62,98,25	1,16,56,17,04	2,49,55,13,08	69,88,01,72
कुल प्रभारित :	38,56,41,38	16,83,41,15	38,20,40,11	16,82,27,65
<b>कुल जोड़</b>	<b>3,54,19,39,63</b>	<b>1,33,39,58,19</b>	<b>2,87,75,53,19</b>	<b>86,70,29,37</b>

सारांश – क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप्यों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(हजार रूप्यों में)		(हजार रूप्यों में)	
11,55	44,05	.....	.....
3,65,41	1,70,49,76	.....	.....
6,23,48,58	.....	.....	.....
50,18,43	13,59,51,37	.....	.....
70,74,56	60,62,85	.....	.....
4,48,88,50	2,00,00,00	.....	.....
66,53,94,35	46,68,15,32	46,09,18	.....
46,25,27	1,13,50	10,24,00	.....
<b>67,00,19,62</b>	<b>46,69,28,82</b>	<b>56,33,18</b>	.....

विनियोग लेखे का सारांश— क्रमशः

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों/प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय का नियमितिकरण अपेक्षित है:—

संख्या एवं अनुदान/विनियोग का नाम	अनुभाग
5 राज्यपाल सचिवालय	राजस्व (प्रभारित)
15 पेंशन	राजस्व (दत्तमत)
17 वाणिज्य कर विभाग	राजस्व (दत्तमत)
28. बिहार का उच्च न्यायालय	राजस्व (प्रभारित)

टिप्पणी:— अनुदान संख्या 5 में, अन्तिम अधिक व्यय वर्ष 2007–2008 के दौरान आवंटन के विरुद्ध निर्गत किए गए चेकों का लेखांकन वर्ष 2008–2009 में किए जाने के कारण हुआ।



विनियोग लेखे का सारांश- क्रमशः

विनियोग लेखे का सारांश में दिखाए गए व्यय में रुपये (हजार) सम्मिलित नहीं है, जिन्हें आकस्मिकता निधि के अग्रिमों में से व्यय किया गया था किन्तु जिनकी प्रतिपूर्ति निधि में वर्ष के अन्त तक नहीं हो पायी। व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :-

अनुदान सं०	लेखा का मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से ली गई अग्रिम की राशि लेकिन जिन्हें वर्ष 2008-2009 के अन्त तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।
		(हजार रुपयों में)

कुल

शून्य

## विनियोग लेखे का सारांश – क्रमांत

चूँकि अनुदान और विनियोग व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के लिये हैं, अतएव उनके सामने दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में वे वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में किया जाता है। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2008–2009 के विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:—

	दत्तमत		प्रभारित	
	राजस्व (हजार रूपयों में)	पूँजी	राजस्व (हजार रूपयों में)	पूँजी
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	2,49,55,13,08	69,88,01,72	38,20,40,11	16,82,27,65
घटायें— कुल वसूलियाँ	2,63,95,15	61,31	20	
निवल कुल व्यय जैसा कि वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 में दिखाया गया है।	2,46,91,17,93	69,87,40,41	38,20,39,91	16,82,27,65

ऊपर वर्णित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दिये गये हैं।

## भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

31.03.2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31.03.2009 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे इस वर्ष की प्राप्तियों और व्ययों के लेखे प्रस्तुत करते हैं, साथ ही ये राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणाम, लोक ऋण के लेखाओं और लेखाओं में दर्ज शेषों के आधार पर निकाली गई देयताओं और परिसम्पत्तियों को भी प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के साथ पठित बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं। इस संकलन में विवरण (शून्य), व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (शून्य) तथा परिशिष्ट (शून्य) सीधे इस सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने वाली बिहार सरकार/निगमों/कम्पनियों/समितियों से प्राप्त सूचना से ही तैयार किए गए हैं।


बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं संकलन, लेखाओं के अनुरक्षण, वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के संकलन, उनकी तैयारी तथा उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वाह महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढाँचा है।



यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानदण्डों के अनुसार की गई थी। इन मानदण्डों में यह अपेक्षित है कि हम समुचित आश्वासन प्राप्त करने, कि लेखे सामग्री मित्याकथन से मुक्त हैं, के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा किए गए प्रकटनों से संगत साक्ष्य की नमूना आधार पर जाँच शामिल है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31.03.2009 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31.03.2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले बिहार सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।



दिनांक :  
नई दिल्ली

(विनोद राय)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

**अनुदान संख्या – 1 – कृषि विभाग  
(सभी दत्तमत)**

कुल अनुदान    वास्तविक व्यय    अधिक व्यय +  
बचत -  
(हजार रुपयों में)

**राजस्व :  
मुख्य शीर्ष**

- 2401 फसल कृषि-कर्म
- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण
- 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
- 2435 अन्य कृषि कार्यक्रम
- 3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ
- 3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ

**दत्तमत :**

मूल	4,09,26,21	7,83,27,36	5,59,41,11	-2,23,86,25
अनुपूरक	3,74,01,15			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				1,67,68,56

**पूँजी :  
मुख्य शीर्ष**

- 6401 फसल कृषि-कर्म हेतु कर्ज

**दत्तमत :**

मूल	शून्य	2,92,00	2,92,00	शून्य
अनुपूरक	2,92,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				शून्य

**टीका एवं टिप्पणियाँ -  
राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 2,23,86.25 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (68,40.07 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (2,37,20.23 लाख रु० ) तथा मार्च 2009 (68,40.85 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 3,74,01.15 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (1,67,68.56 लाख रु०), अंतिम बचत (2,23,86.25 लाख रु०) से 56,17.69 लाख रु० कम था।

**अनुदान संख्या – 1 – क्रमशः**

(iii) बचत (25.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रूपयों में)		
2401 फसल कृषि-कर्म			
00			
103 बीज			
योजना (केन्द्रीय योजना)			
0417 गुणवाबीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं सुदृढीकरण	2,18.61	2,18.61	0.00
अनुपूरक	2,82.08		
पुनर्वि०	-63.47		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0614 समेकित सिरियल विकास कार्यक्रम (मैक्रोमोड 90:10)	7,95.91	7,94.97	-0.94
मूल	9,00.00		
पुनर्वि०	- 1,04.53		
प्रत्याशित बचत मुख्यतः जिलों से उपयोग में नहीं लाई गई राशियों के लौटाने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0615 उर्वरता प्रबंधन (मैक्रोमोड 90:10)	45.47	43.98	-1.49
मूल	4,50.00		
पुनर्वि०	-4,04.53		
प्रत्याशित बचत मुख्यतः क्षेत्र के अनुसार तथा योजना के अनुसार निर्धारित पूर्व बजट आबंटन में संशोधन होने से केन्द्रीय शेयर के अभ्यर्पित करने तथा जिलों से उपयोग में नहीं लाई गई राशियों के लौटाने के कारण हुई थी।			
योजना (राज्य योजना)			
0108 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम (नई राज्य-योजना कार्यक्रम)	8,98.47	8,65.99	-32.48
मूल	8,00.00		
अनुपूरक	1,70.00		
पुनर्वि०	-71.53		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0112 उर्वरता प्रबंधन (राज्य का शेयर 10:90)	4.17	4.17	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	-45.83		
प्रत्याशित बचत निधि के अधिक प्रावधान होने के कारण हुई थी।			

अनुदान संख्या – 1 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -	
	(लाख रूपयों में)			
0115	बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम	13,29.70	13,29.67	-0.03
	मूल	14,50.00		
	अनुपूरक	3,77.90		
	पुनर्वि०	-4,98.20		
	प्रत्याशित बचत मुख्यतः पूर्व निर्धारित क्षेत्रानुसार तथा योजनानुसार बजट के आबंटन में संशोधन होने तथा कुल राशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।			
105	खाद तथा उर्वरक योजना (राज्य योजना)			
0104	डी०ए०पी० उर्वरक की राज्य में आपूर्ति हेतु हैंडलिंग एवं ट्रॉन्सपोर्टेशन	0.00	0.00	0.00
	मूल	4,00.00		
	पुनर्वि०	-4,00.00		
	योजना प्रभार पर बजट आबंटन में संशोधन होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			
107	वनस्पति रक्षण योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0602	समेकित कीट प्रबन्धन योजना (मैक्रोमोड 90:10)	84.18	80.94	-3.24
	मूल	2,70.00		
	पुनर्वि०	-1,85.82		
	प्रत्याशित बचत मुख्यतः पूर्वनिर्धारित क्षेत्रानुसार तथा योजनानुसार बजट के आबंटन में संशोधन होने तथा जिलों द्वारा अप्रयुक्त राशि के लौटाने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
108	वाणिज्यिक फसलें (गैर-योजना)			
0001	पाट विकास योजना	1,72.18	1,72.18	0.00
	मूल	3,10.14		
	पुनर्वि०	-1,37.96		
	प्रत्याशित बचत हड़ताल अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के कारण हुआ था।			
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0615	इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड, पल्सेज, पाम ऑयल एण्ड मेज (आइसोपोम 75:25) नई योजना	18,06.96	16,54.70	-1,52.26
	मूल	18,00.00		
	अनुपूरक	6,00.00		
	पुनर्वि०	-5,93.04		
	प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती होने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			



अनुदान संख्या – 1 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -	
	(लाख रूपयों में)			
0617	जूट टेक्नोलॉजी मिशन	95.37	95.37	0.00
	मूल	4,50.00		
	पुनर्वि०	-3,54.63		
	प्रत्याशित बचत मुख्यतः पूर्व निर्धारित क्षेत्रानुसार तथा योजनानुसार बजट के आबंटन में संशोधन होने तथा जिलों से उपयोग में नहीं लाए गए राशि के लौटाने के कारण हुई थी।			
	योजना (राज्य योजना)			
0114	इन्टिग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड, पल्सेज, पाम ऑयल एण्ड मेज (आइसोपोम 25:75) नई योजना	55.81	55.81	0.00
	मूल	6,00.00		
	अनुपूरक	6,00.00		
	पुनर्वि०	-11,44.19		
	प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती होने के कारण हुई थी।			
0116	टाल और दियारा विकास योजना	2,26.78	2,17.72	-9.06
	मूल	2,50.00		
	पुनर्वि०	-23.22		
	प्रत्याशित बचत जिलों से उपयोग में नहीं लाए गए राशि के लौटने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0117	जूट टेक्नोलॉजी मिशन (विशेष जूट विकास कार्यक्रम)	10.60	8.85	-1.75
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	-39.40		
	प्रत्याशित बचत, क्षेत्रवार तथा योजनावार व्यय में संशोधन होने तथा जिलों से उपयोग में नहीं लाए गए राशि के लौटाए जाने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
109	विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0011	कृषि प्रसार योजना	11,70.52	11,22.23	-48.29
	मूल	12,59.94		
	अनुपूरक	7,96.32		
	पुनर्वि०	-8,85.74		
	प्रत्याशित बचत मुख्यतः हड़ताल अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
	योजना (केन्द्रीय योजना)			
0412	प्रशिक्षण परीक्षण एवं प्रदर्शन द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण में प्रोत्साहन एवं सुदृढीकरण	32.26	32.26	0.00
	अनुपूरक	1,42.05		
	पुनर्वि०	-1,09.79		
	प्रत्याशित बचत मुख्यतः योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रूपयों में)		
योजना (राज्य योजना)			
0106 इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट-नई योजना	7.51	7.47	-0.04
मूल	7,00.00		
पुनर्वि०	-6,92.49		
प्रत्याशित बचत, क्षेत्रवार तथा योजनावार व्यय में संशोधन होने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0111 सपोर्ट टू-स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्मस	12,40.22	12,17.04	-23.18
मूल	14,00.00		
पुनर्वि०	-1,59.78		
प्रत्याशित बचत, क्षेत्रवार तथा योजनावार व्यय में संशोधन होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
113 कृषि अभियंत्रण योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0614 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर वर्क शॉप (मैक्रोमोड 90:10)	28,17.72	23,41.63	-4,76.09
मूल	12,00.00		
अनुपूरक	16,97.18		
पुनर्वि०	-79.46		
प्रत्याशित बचत, योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (राज्य योजना)			
0104 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर वर्क शॉप (मैक्रोमोड 10:90)	16,07.76	14,98.58	-1,09.18
मूल	9,00.00		
अनुपूरक	10,26.00		
पुनर्वि०	-3,18.24		
प्रत्याशित बचत, योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0105 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन अनुपूरक	26,82.70	24,26.36	-2,56.34
पुनर्वि०	40,58.80		
	-13,76.10		
प्रत्याशित बचत, जिलों द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए राशियों के लौटाने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
119 बगवानी तथा वनस्पति फसलें योजना (राज्य योजना)			
0122 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा छत्रक उत्पादन कार्य	4,41.69	0.00	-4,41.69
मूल	2,00.00		
अनुपूरक	15,66.78		
पुनर्वि०	-13,25.09		
प्रत्याशित बचत, योजना का स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 1 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -	
	(लाख रुपयों में)			
0123	राज्य बागवानी मिशन	4,00.00	4,00.00	0.00
	मूल	10,00.00		
	पुनर्वि०	-6,00.00		
	प्रत्याशित बचत, पूर्व निर्धारित क्षेत्रवार तथा योजनावार बजट आबंटन में संशोधन के कारण हुई थी।			
800	अन्य व्यय (गैर- योजना)			
0006	कृषि लागतों के कार्य के लिए किसानों को सहायता	84,40.13	49,90.66	-34,49.47
	अनुपूरक	1,31,14.50		
	पुनर्वि०	-46,74.37		
	प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना	(राज्य योजना)			
0104	मिट्टी, बीज तथा उर्वरक प्रयोगशाला की स्थापना एवं कार्यरत प्रयोगशाला का उन्नयन	12,25.15	11,61.72	-63.43
	मूल	8,00.00		
	अनुपूरक	7,46.00		
	पुनर्वि०	-3,20.85		
	प्रत्याशित बचत, जिलों से उपयोग में नहीं लाए गए राशि लौटाने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2402	मृदा तथा जल संरक्षण			
00				
102	मृदा संरक्षण			
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0601	पुनपुन एवं कोशी (एफ०आर०आर०) (मैक्रोमेड 90: 10)	34.31	34.31	0.00
	मूल	90.00		
	पुनर्वि०	-55.69		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01	फसल कृषि कार्य			
004	अनुसंधान			
	(गैर- योजना)			
0006	मिट्टी जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला हेतु योजना	2,24.70	2,28.05	+3.35
	मूल	2,69.59		
	पुनर्वि०	-44.89		
	प्रत्याशित बचत कर्मचारियों के हड़ताल अवधि के वेतन की निकासी नहीं किए जाने के कारण हुई थी। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या – 1 – क्रमांत			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -	(लाख रूपयों में)
277	शिक्षा			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	26,03.14	26,03.14	0.00
	मूल	12,00.00		
	अनुपूरक	22,50.00		
	पुनर्वि०	-8,46.86		
	प्रत्याशित बचत क्षेत्रानुसार एवं योजनानुसार व्यय में संशोधन तथा योजना के व्यय में कटौती के कारण हुआ था।			
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ			
00				
106	भार और माप का विनिमयन			
	(गैर योजना)			
0001	माप एवं तौल के मानकीकरण की योजना	6,46.69	5,67.11	-79.58
	मूल	6,09.27		
	अनुपूरक	1,21.26		
	पुनर्वि०	-83.84		
	प्रत्याशित बचत कर्मचारियों के हड़ताल अवधि के वेतन की निकासी नहीं किए जाने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना	(केन्द्रीय योजना)			
0402	वैद्यनिक माप और तौल के लिए सुदृढ़ीकरण	45.00	0.00	-45.00
	अनुपूरक	45.00		
	संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या - 2 - पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रूपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2403	पशुपालन		
2404	डेरी विकास		
2405	मछली पालन		
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>1,71,98,91</b>	<b>3,56,67,25</b>	<b>2,92,12,11</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>1,84,68,34</b>		<b>-64,55,14</b>
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>59,14,74</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ -  
राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 64,55.14 लाख रु० की अन्तिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (1,76,68.72 लाख रु०) तथा दिसम्बर 2008 (7,99.62 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 1,84,68.34 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (59,14.74 लाख रु०), अन्तिम बचत (64,55.14 लाख रु०) से 5,40.40 लाख रु० कम था।
- (iii) बचत (20 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रूपयों में)		
2403	पशुपालन		
00			
101	निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)		
0003	अधीक्षण-मण्डल स्तर	2,16.01	1,80.55
	मूल	2,23.13	
	अनुपूरक	-7.12	

प्रत्याशित बचत कर्मचारियों के हड़ताल के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।

**योजना (राज्य योजना)**

0101	निदेशालय एवं क्षेत्रीय प्रशासन	33.96	33.96	0.00
	अनुपूरक	54.94		
	पुनर्वि०	-20.98		

प्रत्याशित बचत योजना परिव्यय में कटौती के कारण हुआ था।

शीर्ष	अनुदान संख्या – 2 – क्रमशः			
	कुल अनुदान	वस्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
102	पशु तथा भैंस विकास (गैर-योजना)			
0006	पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना मूल 21,37.93 पुनर्वि० -2,48.45	18,89.48	18,88.24	-1.24
	प्रत्याशित बचत अधिक पैमाने पर अधिकारियों के स्थानान्तरण तथा योजना स्वीकृति की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0007	मवेशी मेला एवं प्रदर्शनी पशु कल्याण मूल 57.41 पुनर्वि० -23.39	34.02	34.02	0.00
	प्रत्याशित बचत अंतिम समय में पुनर्विनियोग की स्वीकृति के मिलने कारण हुआ था।			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	फ़ोजेन शीमेन बैंक अनुपूरक 31.72 पुनर्वि० -31.72	0.00	0.00	0.00
	योजना परिव्यय में कटौती तथा योजना में कम राशि की स्वीकृति के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ था।			
103	कुक्कुट विकास (गैर-योजना)			
0003	रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र, केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना मूल 1,85.51 अनुपूरक 39.02 पुनर्वि० -88.95	1,35.58	1,32.88	-2.70
	प्रत्याशित बचत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन के अनिकासी के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना	(राज्य योजना)			
0106	रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र, केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन तथा वितरण की योजना अनुपूरक 1,77.00 पुनर्वि० -31.06	1,45.94	1,45.94	0.00
0108	कुक्कुट पालकों के लिए प्रशिक्षण मूल 35.00 पुनर्वि० -29.54	5.46	5.46	0.00
	उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत योजना परिव्यय में कटौती के कारण हुआ था।			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वस्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय+ बचत -
योजना (राज्य योजना) 104 भेड़ एवं ऊन विकास			
योजना (राज्य योजना) 0102 अवि एवं आज्ञा का पोषण एवं विकास	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक 97.75			
पुनर्वि० -97.75			
योजना परिव्यय में कटौती के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ था।			
106 अन्य पशुधन विकास			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना) 0607 पशु रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम की योजना	1,95.93	1,95.93	0.00
मूल 3,36.00			
पुनर्वि० -1,40.07			
योजना परिव्यय में कटौती तथा योजना में कम राशि की स्वीकृति के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ था।			
योजना (राज्य योजना) 0104 पशुओं की बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम	1,20.18	1,04.64	-15.54
मूल 1,12.00			
अनुपूरक 3,00.00			
पुनर्वि० -2,91.82			
योजना परिव्यय में कटौती तथा योजना में कम राशि की स्वीकृति के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
113 प्रशासनिक अन्वेषण एवं सांख्यिकी (गैर योजना)			
0001 राज्य पशुधन अनुशंधान व अधिष्ठान की स्थापना	2,54.15	2,54.15	0.00
मूल 3,21.15			
पुनर्वि० -67.00			
प्रत्याशित बचत पशुचिकित्सकों के स्थानांतरण के कारण हुआ था।			
2404 डेरी विकास			
00 डेरी विकास परियोजनाएँ			
योजना (राज्य योजना) 0101 शीतकरण केन्द्र	81,83.50	81,83.05	-0.45
मूल 43,20.50			
अनुपूरक 50,60.88			
पुनर्वि० -11,97.88			
योजना परिव्यय में कटौती तथा योजना में कम राशि की स्वीकृति के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 2 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वस्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2405 मत्स्य पालन 00			
001 निदेशन एवं प्रशासन (गैर योजना)			
0001 मत्स्य पालन विकास योजना	6,36.30	6,36.30	0.00
मूल	7,71.57		
पुनर्वि०	-1,35.27		
प्रत्याशित बचत कर्मचारियों के हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान नहीं होने के कारण हुआ था। योजना (राज्य योजना)			
0101 मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन	3,36.32	1,25.36	-2,10.96
मूल	30.50		
अनुपूरक	8,89.00		
पुनर्वि०	-5,83.18		
0102 मत्स्य प्रसार	41.95	41.08	-0.87
मूल	58.00		
अनुपूरक	1,21.94		
पुनर्वि०	-1,37.99		
उपरोक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत योजना परिव्यय में कटौती के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
101 अन्तर्देशीय मछली-पालन (गैर-योजना)			
0001 मत्स्य पालक विकास अभिकरण	2,87.67	2,87.67	0.00
मूल	3,92.72		
पुनर्वि०	-1,05.05		
प्रत्याशित बचत, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन का आहरण नहीं करने के कारण हुआ था। योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0601 मत्स्य पालक विकास अभिकरण सहायता अनुदान/अंशदान/आर्थिक सहायता	9.50	8.63	-0.87
मूल	45.00		
पुनर्वि०	-35.50		
प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा पूर्ण अंशदान के विमुक्त नहीं करने के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0603 मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	20.00		
पुनर्वि०	-20.00		
प्रत्याशित बचत योजना परिव्यय में कटौती तथा आचार संहिता के लागू होने के कारण हुआ था।			



शीर्ष	अनुदान संख्या – 2 – क्रमांत	कुल अनुदान	वस्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
योजना (राज्य योजना)				
0103	मत्स्य बीज का विकास	2.70	2.35	-0.35
	मूल	2,00.00		
	पुनर्वि०	-1,97.30		
	प्रत्याशित बचत योजना परिव्यय में कटौती तथा आचार संहिता के लागू होने के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0104	मत्स्य तालाब का विकास तथा जिर्णोधर	1,61.60	1,61.60	0.00
	मूल	1,65.00		
	अनुपूरक	2,42.00		
	पुनर्वि०	-2,45.40		
	प्रत्याशित बचत, व्यय में कटौती के कारण हुआ।			
0106	मछुआरों के लिए आवास, शौचालय, पेय जल एवं अन्य नागरिक सुविधाएँ	0.00	0.00	0.00
	मूल	43.50		
	पुनर्वि०	-43.50		
	भारत सरकार द्वारा अशंदान विमुक्त नहीं करने एवं योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ था।			
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
01	जनगणना			
001	निदेशन एवं प्रशासन			
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0602	पशु गणना	7,31.74	6,39.70	- 92.04
	अनुपूरक	16,30.57		
	मूल	-8,98.83		
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
(iv)	अधिक व्यय (20 लाख रू० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-			
2403	पशुपालन			
00				
001	निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
0001	अधीक्षण	2,38.78	2,74.24	+35.46
	मूल	2,41.41		
	अनुपूरक	2.50		
	पुनर्वि०	-5.13		
	प्रत्याशित बचत हड़ताल अवधि का वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण हुआ था। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या – 3 – भवन निर्माण विभाग  
(सभी दत्तमत)**

कुल अनुदान    वास्तविक व्यय    अधिक व्यय +  
बचत -  
(हजार रूपयों में)

राजस्व :  
मुख्य शीर्ष

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ  
2059 लोक निर्माण कार्य  
2216 आवास  
3053 नागर विमानन

दत्तमत :

मूल	2,15,96,53	2,73,98,53	1,79,87,39	-94,11,14
अनुपूरक	58,02,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				87,40,48

पूँजी:  
मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय  
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	54,19,65	91,51,49	37,69,33	-53,82,16
अनुपूरक	37,31,84			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				51,23,21

टीका एवं टिप्पणियाँ :-  
राजस्व (दत्तमत)

- (i) 94,11.14 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (58,00.00 लाख रु०) तथा दिसम्बर 2008 (2.00 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 58,02.00 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (87,40.48 लाख रु०), अंतिम बचत (94,11.14 लाख रु०) से 6,70.66 लाख रु० कम था।

अनुदान संख्या – 3 – क्रमशः

(iii) बचत (20 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2059 लोक निर्माण कार्य			
01 कार्यालय भवन			
053 रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
0008 ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र / उपकेन्द्र संधारण	1,46.61	1,05.17	-41.44
मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	-53.39		
0009 प्रखण्ड भवनों का संधारण	1,10.77	1,07.67	-3.10
मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	-89.23		
0011 पशुपालन विभाग के भवन का अनुरक्षण और मरम्मत हेतु	22.75	14.13	-8.62
मूल	60.00		
पुनर्वि०	-37.25		
0014 कृषि विभाग के भवन का अनुरक्षण और मरम्मत हेतु	6.70	2.80	-3.90
मूल	55.00		
पुनर्वि०	-48.30		
0015 पुलिस विभाग के भवन का अनुरक्षण और मरम्मत हेतु	22.99	0.00	-22.99
अनुपूरक	50.00		
पुनर्वि०	-27.01		
0016 शिक्षा विभाग के भवन का अनुरक्षण और मरम्मत हेतु	1,48.08	0.00	-1,48.08
मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	-51.92		
103 साज-सामान (गैर-योजना)			
0001 सचिवालय के भवनों का साज-सामान	40.21	3.28	-36.93
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	-59.79		
60 अन्य भवन			
053 रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
0013 कारा विभाग के भवन का अनुरक्षण और मरम्मत हेतु	4,10.68	4,10.68	0.00
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	-89.32		

अनुदान संख्या – 3 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
103 साज-सामान (गैर-योजना)			
0001 बिहार विधानमंडल के भवनों का साज-सामान	41.39	0.00	-41.39
मूल	1,00.00		
अनुपूरक	50.00		
पुनर्वि०	-1,08.61		
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0003 पर्यवेक्षण	6,26.53	6,03.79	-22.74
मूल	7,18.65		
पुनर्वि०	-92.12		
052 मशीनरी तथा उपस्कर (गैर-योजना)			
0001 नई आपूर्ति तथा मरम्मत	64.81	44.40	-20.41
मूल	1,00.00		
अनुपूरक	1,00.00		
पुनर्वि०	-1,35.19		
053 रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
0001 रख-रखाव तथा मरम्मत	92,87.70	92,24.62	-63.08
मूल	1,12,00.00		
अनुपूरक	50,00.00		
पुनर्वि०	-69,12.30		
0004 विद्युत कार्य के लिए	2,42.21	33.01	-2,09.20
मूल	2,50.00		
पुनर्वि०	-7.79		
उपरोक्त ग्यारह मामलों में प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0005 बिहार भवन नई दिल्ली के अनुरक्षण और मरम्मत हेतु विविध उपबन्ध	1,75.00	26.64	-1,48.36
मूल	1,75.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0006 नगर निगम एवं नगरपालिका कर	40.00	0.00	-40.00
मूल	40.00		
संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 3 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -	
		(लाख रूपयों में)		
0010	मरम्मत (राजभवन के लिए)	77.94	10.32	-67.62
	मूल	75.00		
	अनुपूरक	2,25.00		
	पुनर्वि०	-2,22.06		
103	साज-सामान			
	(गैर योजना)			
0004	निरीक्षण भवनों का साज-समान	31.92	6.63	-25.29
	मूल	15.00		
	अनुपूरक	30.00		
	पुनर्वि०	-13.08		
0005	राज्यपाल भवन का साज-समान	11.54	0.00	-11.54
	मूल	30.00		
	पुनर्वि०	-18.46		
	उपरोक्त तीनों मामलो में प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2216	आवास			
01	सरकारी रिहायशी भवन			
053	रख-रखाव तथा मरम्मत			
	(गैर योजना)			
0001	अन्य रखरखाव व्यय, प्रखंड के भवनों हेतु	1,56.96	3,27.83	+1,70.87
	मूल	5,00.00		
	पुनर्वि०	-3,43.04		
	प्रत्याशित बचत तथा अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0002	अन्य रख-रखाव व्यय-ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र के भवनों हेतु	1,06.17	2,54.74	+1,48.57
	मूल	2,00.00		
	पुनर्वि०	-93.83		
	प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
800	अन्य व्यय			
	(गैर-योजना)			
0011	मुख्यमंत्री आवास संख्या-1, अणे मार्ग पटना में साज-सामान एवं पैनलिंग आदि की मरम्मती	49.99	1,28.99	+79.00
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	-0.01		
	प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या – 3 – क्रमशः**

**पूँजी दत्तमत**

- (iv) 53,82.16 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (22,52.28 लाख रु०) तथा दिसम्बर 2008 (14,79.56 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 37,31.84 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (51,23.21 लाख रु०), अंतिम बचत (53,82.16 लाख रु०) से 2,58.95 लाख रु० कम था।
- (vi) बचत (15 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

<b>शीर्ष</b>		<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
<b>(लाख रूपयों में)</b>				
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
01	कार्यालय भवन			
051	निर्माण			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	भवन	9,13.21	9,13.21	0.00
	मूल	9,00.00		
	अनुपूरक	7,38.00		
	पुनर्वि०	-7,24.79		
	प्रत्याशित बचत निधि के अत्यधिक प्रावधान के कारण हुआ था।			
201	भूमि का अर्जन			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	न्यायालय भवनों के लिए भूमि अर्जन	0.00	0.00	0.00
	मूल	14,00.00		
	पुनर्वि०	-14,00.00		
	संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
60	अन्य भवन			
051	निर्माण			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	सचिवालय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण	72.56	72.56	0.00
	मूल	3,00.00		
	पुनर्वि०	-2,27.44		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
80	सामान्य			
004	अनुसंधान/अनुसंधान विकास (गैर-योजना)			
0001	निर्माण के पूर्व के प्रारंभिक कार्य	0.00	0.00	0.00
	मूल	20.00		
	पुनर्वि०	-20.00		
	संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किए जाने के कारण को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 3 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रूपयों में)		
051 निर्माण (गैर-योजना)			
0001 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	36.87	36.87	0.00
मूल	1,10.00		
अनुपूरक	4.28		
पुनर्वि०	-77.41		
0002 लघु निर्माण	4.78	4.78	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	-95.22		
0004 मुख्य निर्माण	2,62.16	2,62.16	0.00
मूल	3,50.00		
पुनर्वि०	-87.84		
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0604 न्यायिक भवनों	1,70.87	1,70.87	0.00
मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	-29.13		
0615 भू-अभिलेखों को अद्यतन करना	49.00	49.00	0.00
अनुपूरक	7,24.00		
पुनर्वि०	-6,75.00		
उपरोक्त पाँच मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (राज्य योजना)			
0106 कल्याण विभाग— सामाजिक कल्याण क्षेत्र—मूक एवं बधिरों के लिए विद्यालय भवनों का निर्माण (11वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में)	0.00	0.00	0.00
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	-5,00.00		
संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0112 जिला संख्यिकी कार्यालय भवन का निर्माण एवं मरम्मती	81.10	81.10	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	-18.90		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0115 राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण	49.00	49.00	0.00
मूल	7,24.00		
पुनर्वि०	-6,75.00		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 3 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
(लाख रूपयों में)			
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय		
01	सरकारी रिहायशी भवन		
700	अन्य भवन		
	(गैर-योजना)		
0003	लोक निर्माण कार्य	31.61	2.82 -28.79
	मूल	2,50.00	
	पुनर्वि०	-2,18.39	
0004	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)। रिहायशी भवनों में परिवर्तन/परिवर्द्धन	3,23.59	1,53.84 -1,69.75
	संबंधी मुख्य निर्माण		
	मूल	4,00.00	
	पुनर्वि०	-76.41	
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0602	न्यायिक आवासीय भवन	63.90	36.20 -27.70
	मूल	2,00.00	
	पुनर्वि०	-1,36.10	
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	अन्य भवन	2,33.12	2,33.12 0.00
	मूल	3,00.00	
	पुनर्वि०	-66.88	
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		
0102	न्यायिक आवासीय भवनें	2,33.12	2,33.12 0.00
	मूल	3,00.00	
	पुनर्वि०	-66.88	
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		
80	सामान्य		
101	भवन, योजना तथा अनुसंधान		
	(गैर-योजना)		
0001	निर्माण के पूर्व के प्रारम्भिक कार्य	0.00	0.00 0.00
	मूल	15.00	
	पुनर्वि०	-15.00	
	संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किए जाने के कारण को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		



**अनुदान संख्या – 3 – क्रमशः**

(vii) **उचन्त लेन-देन :-** (क) इस शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हो, वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देन, में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं। लघु शीर्ष उचन्त के चार उप-प्रभाग होते हैं; यथा – (i) स्टॉक, (ii) क्रय, (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम और (iv) कार्यशाला उचन्त।

इनमें से प्रत्येक उप-प्रभाग के लेन-देन की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है :-

(i) **स्टॉक** – इस शीर्ष को स्टॉक प्रयोजनों के लिए (किसी कार्य विशेष के लिए नहीं) प्राप्त सामग्रियों के मूल्य से प्रभारित किया जाता है। इस प्रभार में से निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्गत या किसी अन्य प्रकार से निपटान की गई सामग्रियों का मूल्य घटा दिया जाता है। स्टॉक का शेष, स्टॉक के अंतर्गत रखी गयी सामग्रियों का सूचक है।

(ii) **क्रय** – जब मास के दौरान अदायगी अथवा समायोजन किए बिना विशिष्ट निर्माण कार्यों या स्टॉक के लिए सामग्रियाँ प्राप्त होती है, उनका मूल्य यथास्थिति लेखे के उस विशिष्ट “कार्य” शीर्ष में या “स्टॉक” उपशीर्ष में प्रतिपक्ष नामे डालकर “क्रय” में जमा दिखाया जाता है। जब अदायगी कर दी जाती है या अन्य को भंडार अंतरित कर मूल्य का समायोजन कर दिया जाता है तो राशि को “क्रय” शीर्ष में नामे डाल दिया जाता है। इस प्रकार प्रारम्भिक जमा से उसे मुक्त कर दिया जाता है। अतः यह शीर्ष ऋण शेष दर्शाता है जो प्राप्त सामग्री के अदत्त या असमायोजित मूल्य का सूचक है। वर्ष 1974-75 से इस उपशीर्ष को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकृति के लेन-देनों को शीर्ष “8658-उचन्त लेखा, 129-सामग्री क्रय पर परिनिर्धारण उचन्त लेखा” के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। लेकिन कुछ विभाग, यथा-भवन निर्माण विभाग एवं पथ निर्माण विभाग अभी भी वर्ष 1974-75 से पूर्व के वर्गीकरण को अपना रहे हैं।

(iii) **विविध निर्माण कार्य अग्रिम** – इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार की राशि, जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय की गयी राशि, बट्टे-खाते में डाली गयी रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अंतर्गत के नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(iv) **कार्यशाला उचन्त** –(क) लोक निर्माण कार्य के लिए विभागीय कार्यशालों में निष्पादित कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या समायोजन होने तक इस उपशीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

(ख) इनमें प्रत्येक उप-प्रभागों के अंतर्गत 2008-2009 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्यौरे और साथ ही उनके आदिशेष तथा अंतशेष नीचे दिये गये हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2008 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2009 को अंतशेष
			(लाख रुपयों में)		
2059- क्रय	लोक निर्माण कार्य (-) 27,77.22	.....	.....	.....	(-)27,77.22
स्टॉक	13,49.82	.....	.....	.....	13,49.82
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	24,54.00	.....	.....	.....	24,54.00
कुल	10,26.60	.....	.....	.....	10,26.60

**अनुदान संख्या – 3 – क्रमांत**

(viii) भवन निर्माण एवं आवास विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की समीक्षा – लोक निर्माण कार्य विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किये गये कार्य के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती हैं तथा शेष प्रभार को लेखा के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अंतर्गत अभिलिखित निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 के इन प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण कार्य परिव्यय के साथ उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है :-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता (लाख रुपयों में)	मशीनरी एवं उपस्कर प्रभार	निर्माण परिव्यय मशीनरी उपस्कर की प्रतिशतता	कार्य पर तथा प्रभारों की प्रतिशतता
2006-07	17,22.63	62.06	3.60	08.91	0.51	
2007-08	2,20,37.27	13,21.31	5.99	63.46	2.87	
2008-09	1,39,18.96	4,69.99	3.38	44.40	0.32	

**अनुदान संख्या – 4 – मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रूपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2013 मंत्रिपरिषद्			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ			
2053 जिला प्रशासन			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ			
2205 कला एवं संस्कृति			
3053 नागर विमानन			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>52,48,78</b>	<b>70,48,13</b>	<b>52,26,32</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>17,99,35</b>		
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>3,28,16</b>
<b>पूँजीगत</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
5053 नागर विमानन पर पूँजीगत व्यय			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>8,00,00</b>	<b>12,70,33</b>	<b>4,03,96</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>4,70,33</b>		<b>- 8,66,37</b>
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>शून्य</b>
<b>टीका एवं टिप्पणियाँ</b>			
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>			
(i)	18,21.81 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (2,64.36 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (2,02.73 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (13,32.26 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 17,99.35 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।		
(ii)	अभ्यर्पित प्रावधान (3,28.16 लाख रु०), अंतिम बचत (18,21.81 लाख रु०) से 14,93.65 लाख रु० कम था।		

**अनुदान संख्या -4 क्रमशः**

(iii) बचत (10 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:				
शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2013	मंत्रिपरिषद्			
00				
101	मंत्रियों और उप मंत्रियों का वेतन (गैर-योजना)			
0002	राज्य मंत्रीगण	2,91.69	1,59.47	-1,32.22
	मूल	2,91.69		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
105	मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (गैर-योजना)			
0002	मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	1,00.36	55.73	-44.63
	मूल	87.00		
	अनुपूरक	43.00		
	पुनर्वि०	-29.64		
0003	राज्य मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	36.00	12.00	-24.00
	मूल	40.00		
	पुनर्वि०	-4.00		
	उपरोक्त दो मामलों में प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
108	दौरा खर्च (गैर-योजना)			
0003	राज्य मंत्रीगण का यात्रा व्यय	30.00	5.05	-24.95
	मूल	30.00		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
800	अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0001	मंत्रीगण	94.63	82.17	-12.46
	मूल	1,25.50		
	अनुपूरक	15.00		
	पुनर्वि०	-45.87		
0002	राज्य मंत्रीगण	22.30	15.79	-6.51
	मूल	64.00		
	पुनर्वि०	-41.70		
2052	सचिवालय- सामान्य सेवाएँ			
00				
090	सचिवालय (गैर-योजना)			
0016	राजभाषा विभाग	1,75.00	1,65.26	-9.74
	मूल	1,62.59		
	अनुपूरक	27.91		
	पुनर्वि०	-15.50		
	उपरोक्त तीन मामलों में प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या -4 क्रमशः			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
योजना	(राज्य योजना)			
0101	राजभाषा विभाग	16.36	16.36	0.00
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	-33.64		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
0147	सचिवालय ग्रन्थागार का आधुनिकीकरण एवं पुस्तकों का क्रय	30.00	4.26	-25.74
	मूल	40.00		
	पुनर्वि०	-10.00		
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
2053	जिला प्रशासन			
00				
094	अन्य स्थापना (गैर-योजना)			
0008	राजभाषा स्थापना	17,26.70	16,74.41	-52.29
	मूल	18,61.52		
	पुनर्वि०	-1,34.82		
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)			
800	अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0001	जिला मुख्यालय में मनोरंजन व्यय	1,05.43	82.53	-22.90
	मूल	35.00		
	पुनर्वि०	70.43		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)			
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ			
00				
106	सिविल रक्षा (गैर-योजना)			
0003	बिहार राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् को सहायक अनुदान	63.03	37.05	-25.98
	मूल	63.03		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)			
114	वाहन का क्रय एवं रख-रखाव (गैर-योजना)			
0001	सरकारी वायुयानों का अनुरक्षण	18,36.61	9,45.29	- 8,91.32
	मूल	5,52.47		
	अनुपूरक	13,14.14		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			

शीर्ष	अनुदान संख्या -4 क्रमांत			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
115	अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि (गैर-योजना)			
0002	बिहार भवन स्थापना	3,69.93	3,10.42	- 59.51
	मूल	3,33.51		
	अनुपूरक	49.50		
	पुनर्वि०	-13.08		
	प्रत्याशित बचत आर्थिक परिमाण को लागू करने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2205	कला एवं संस्कृति			
104	अभिलेखागार			
योजना	(राज्य योजना)			
0103	बिहार का गौरव श्रृंखला के प्रकाशनार्थ हेतु	1,00.00	37.89	-62.11
	मूल	1,00.00		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
3053	नागर विमानन			
80	सामान्य			
003	प्रशिक्षण तथा शिक्षा (गैर-योजना)			
0001	प्रशिक्षण तथा शिक्षा	1,98.43	1,66.48	-31.95
	मूल	1,48.97		
	अनुपूरक	49.46		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

### पूँजी (दत्तमत)

- (iv) 8,66.37 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 4,70.33 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) बचत (10 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	अनुदान संख्या -4 क्रमांत			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
5053	नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय			
02	विमान पत्तन			
102	हवाई अड्डा			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	हवाई अड्डा	12,70.33	4,03.96	-8,66.37
	मूल	8,00.00		
	अनुपूरक	4,70.33		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

विनियोग संख्या – 5 – राज्यपाल सचिवालय  
(सभी प्रभारित)

कुल विनियोग वास्तविक व्यय अधिक व्यय +  
बचत -  
(हजार रूपयों में)

राजस्व :  
मुख्य शीर्ष

2012 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य  
क्षेत्रों के प्रशासक

प्रभारित :

मूल	3,62,26	4,09,86	5,80,54	+1,70,68
अनुपूरक	47,60			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:  
राजस्व (प्रभारित)

- (i) विनियोग से 1,70,67,580 रु० का अधिक व्यय हुआ क्योंकि वर्ष 2007-08 के आवंटन के विरुद्ध निर्गत चेकों का लेखांकन कोषागार एवं महालेखाकार के बही में वर्ष 2008-09 में किया गया।

अनुदान संख्या – 6 – निर्वाचन विभाग

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रूपयों में)		
राजस्व :			
मुख्य शीर्ष			
2015 निर्वाचन			
दत्तमत :			
मूल	26,72,00	1,03,32,29	69,76,98
अनुपूरक	76,60,29		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			34,88,66

टीका और टिप्पणियाँ

राजस्व (दत्तमत)

- 33,55.31 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (20,76.33 लाख रु०) तथा दिसम्बर 2008 ( 55,83.96 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 76,60.29 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (34,88.66 लाख रु०), अंतिम बचत ( 33,55.31 लाख रु०) से 1,33.35 लाख रु० अधिक था।
- बचत (20 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रूपयों में)		
2015 निर्वाचन			
00			
103 निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण (गैर-योजना)			
0001 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची	23,49.28	23,49.28	0.00
मूल	4,63.78		
अनुपूरक	28,22.58		
पूनर्वि०	-9,37.08		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
105 संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार (गैर-योजना)			
0002 लोक सभा का उप चुनाव	1.99	1.68	-0.31
मूल	2,50.00		
पूनर्वि०	-2,48.01		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			



शीर्ष	अनुदान संख्या – 6 – क्रमांत	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
106	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार (गैर-योजना)			
0001	राज्य विधान सभा का आम चुनाव	3,55.36	4,21.37	+66.01
	मूल	0.20		
	अनुपूरक	7,70.57		
	पूनर्वि०	-4,15.41		
	प्रत्याशित बचत एवं अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0003	राज्य विधान सभा का उप चुनाव	0.01	0.01	0.00
	मूल	1,25.00		
	पूनर्वि०	-1,24.99		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
108	मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करना (गैर-योजना)			
0001	मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र निर्गत करने पर व्यय	7,86.66	7,86.66	0.00
	मूल	13,10.00		
	अनुपूरक	10,94.92		
	पूनर्वि०	-16,18.26		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2015	निर्वाचन			
00				
102	निर्वाचन पदाधिकारी (गैर-योजना)			
0001	मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना	5,73.43	6,48.01	+74.58
	मूल	4,46.76		
	अनुपूरक	1,29.09		
	पूनर्वि०	-2.42		
	प्रत्याशित बचत एवं अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या -7 - निगरानी विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रूपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	12,63,31	17,77,46	12,87,68
अनुपूरक	5,14,15		- 4,89,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			2,50,32

**टीका और टिप्पनियाँ -**

**राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 4,89.78 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (5 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (2,54.15 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (2,55.00 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 5,14.15 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (2,50.32 लाख रु०), अंतिम बचत (4,89.78 लाख रु०) से 2,39.46 लाख रु० कम था।
- (iii) बचत (10 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
	<b>(लाख रूपयों में)</b>		
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ			
00			
104 सतर्कता (गैर-योजना)			
0002 मंत्रिमंडल (सतर्कता) विभाग	1,65.78	1,65.78	0.00
मूल	1,81.24		
अनुपूरक	19.00		
पूनर्वि०	- 34.46		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0010 घूस की राशि की प्रतिपूर्ति	18.41	3.56	- 14.85
मूल	20.00		
पूनर्वि०	- 1.59		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (राज्य योजना)			
0103 तकनीकी नियंत्रक सेल	2,78.62	58.62	- 2,20.00
अनुपूरक	4,40.00		
पूनर्वि०	- 1,61.38		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या – 8 – कला, संस्कृति एवं युवा विभाग  
(सभी दत्तमत)**

कुल अनुदान    वास्तविक    अधिक व्यय +  
                         व्यय                            बचत -

(हजार रूपयों में)

**राजस्व :**

**मुख्य शीर्ष**

- 2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएँ  
2205 कला एवं संस्कृति  
2251 सचिवालय-समाजिक सेवाएँ

**दत्तमत :**

मूल	33,08,02	38,62,28	29,59,03	-9,03,25
अनुपूरक	5,54,26			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				1,90,65

**पूँजी :**

**मुख्य शीर्ष**

- 4202 शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

**दत्तमत:**

मूल	20,99,00	45,49,00	38,94,10	-6,54,90
अनुपूरक	24,50,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				शून्य

**टीका एवं टिप्पणियाँ:-**

**राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 9,03.25 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (70.27 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (3,33.99 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (1,50.00 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 5,54.26 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (1,90.65 लाख रु०), अंतिम बचत (9,03.25 लाख रु०) से 7,12.60 लाख रु० कम था।
- (iii) बचत (10 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

**शीर्ष**

कुल अनुदान    वास्तविक    अधिक व्यय +  
                         व्यय                            बचत -  
(लाख रूपयों में)

2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएँ			
00				
101	शारीरिक शिक्षा (गैर-योजना)			
0001	शारीरिक शिक्षा	1,52.56	1,34.99	-17.57
	मूल	1,58.90		
	पुनर्वि०	- 6.34		
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या - 8 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
102	विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम (गैर-योजना)		
0002	राष्ट्रीय कैडेट कोर-वरीय शाखा मूल 3,81.51 पुनर्वि० -2.65	3,78.86	3,20.26
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		-58.60
0005	राष्ट्रीय कैडेट कोर-शिविर व्यय मूल 1,27.00 पुनर्वि० -21.71	1,05.29	68.74
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		-36.55
योजना	(केन्द्र प्रायोजित योजना)		
0601	विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण मूल 20.00	20.00	0.00
	संपूर्ण प्रावधान की राशि की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		-20.00
104	खेल-कूद (गैर-योजना)		
0001	खेल-कूद मूल 3,53.15 पुनर्वि० -21.80	3,31.35	2,88.39
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		-42.96
योजना	(केन्द्र प्रायोजित योजना)		
0602	राष्ट्रीय सेवा योजना मूल 94.50	94.50	77.58
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		-16.92
योजना	राज्य योजना		
0102	खेल-कूद मूल 2,93.00 अनुपूरक 3,38.00	6,31.00	4,45.00
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		-1,86.00
2205	कला एवं संस्कृति		
00			
101	ललित कला शिक्षा (राज्य योजना)		
0101	ललित कला में संलग्न संस्थाएँ मूल 2,92.00	2,92.00	1,77.71
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		-1,14.29
102	कला एवं संस्कृति का संवर्धन (राज्य योजना)		
0101	कला एवं संस्कृति का संवर्धन मूल 50.00	50.00	19.72
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		-30.28

अनुदान संख्या – 8 – क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय+ बचत -
103 पुरातत्व विज्ञान (गैर-योजना)			
0001 पुरातत्व विज्ञान निदेशालाय	70.35	66.03	-4.33
मूल	1,29.55		
पुनर्वि०	-59.20		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 पुरातत्व विज्ञान निदेशालाय	60.00	12.50	-47.50
मूल	60.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
107 संग्रहालय (गैर-योजना)			
0001 संग्रहालय	4,04.49	3,71.17	-33.32
मूल	4,44.75		
पुनर्वि०	-40.26		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 संग्रहालय	2,00.00	1,07.27	-92.73
मूल	2,00.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)			

**पूँजी (दत्तमत)**

- (iv) 6,54.90 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (5,00.00 लाख रु०) तथा दिसम्बर 2008 (19,50.00 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 24,50.00 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (v) अंतिम बचत के किसी भी अंश को अभ्यर्पित नहीं किया गया।
- (vi) बचत (10 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय+ बचत -
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
04 कला एवं संस्कृति			
800 अन्य व्यय			
योजना (राज्य योजना)			
0101 विरासत संरक्षण प्रक्षेत्र में होने वाला व्यय (वित्त आयोग)	10,00.00	3,60.78	-6,39.22
मूल	10,00.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)			

**अनुदान संख्या – 9 – सहकारिता विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रूपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2401 फसल कृषि-कर्म			
2425 सहकारिता			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>1,32,06,15</b>	<b>3,08,66,92</b>	<b>2,85,33,15</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>1,76,60,77</b>		
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>23,34,98</b>

<b>पूँजी :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय			
6425 सहकारिता के लिए कर्ज			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>31,11,45</b>	<b>59,26,45</b>	<b>44,71,10</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>28,15,00</b>		
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>14,55,35</b>

**टीका और टिप्पणियाँ -**

**राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 23,33.77 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (1,14,02.51 लाख रु०) तथा दिसम्बर 2008 (62,58.26 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 1,76,60.77 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (23,34.98 लाख रु०), अंतिम बचत (23,33.77 लाख रु०) से 1.21 लाख रु० अधिक था।
- (iii) बचत (20 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
	<b>(लाख रूपयों में)</b>		
2425 सहकारिता			
00			
107 क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0138 राज्य सहकारी समितियों को सहायता	26,29.25	26,29.25	0.00
<b>मूल</b>	<b>1,00.00</b>		
<b>अनुपूरक</b>	<b>41,46.00</b>		
<b>पुनर्वि०</b>	<b>-16,16.75</b>		
प्रत्याशित बचत योजना परिव्यय में कटौती के कारण हुआ।			

**अनुदान संख्या – 9 – क्रमांत**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
108 योजना 6004	अन्य सहकारी समितियों को सहायता (केन्द्र प्रायोजित योजना) समेकित सहकारिता विकास परियोजना के लिए सेन्ट्रल कोपरेटीव बैंक को सहायता अनुदान	14.03	14.03	0.00
	मूल	1,78.48		
	पुनर्वि०	-1,64.45		
	प्रत्याशित बचत राशि के मांग में कमी के कारण हुआ।			
योजना 0107	(राज्य योजना) समेकित सहकारिता विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायक अनुदान	14.03	14.03	0.00
	मूल	1,78.50		
	पुनर्वि०	-1,64.47		
	प्रत्याशित बचत योजना परिव्यय में कटौती के कारण हुआ।			

**पूँजी (दत्तमत)**

- (iv) 14,55.35 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (9,00.00 लाख रु०) तथा दिसम्बर 2008 (19,15.00 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 28,15.00 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (v) बचत (15 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
4425 00 051 योजना 0101	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय निर्माण (राज्य योजना के अन्तर्गत) (राज्य योजना) सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों के बनाने हेतु	0.00	0.00	0.00
	मूल	45.00		
	पुनर्वि०	-45.00		
	सम्पूर्ण राशि के प्रावधान की अनुपयोगिता योजना परिव्यय में कटौती के कारण हुआ।			
6425 00 108 योजना 0612	सहकारिता के लिए कर्ज अन्य सहकारी समितियों को कर्ज (केन्द्र प्रायोजित योजना) समेकित सहकारिता विकास परियोजना के लिये केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण	6.75	6.75	0.00
	मूल	14,06.75		
	पुनर्वि०	- 14,00.00		
	प्रत्याशित बचत कैमूर एवं अन्य जिलों में एन०सी०डी०सी० परियोजना के अनुप्रयोग की स्वीकृति की राशि देर से प्राप्त होने के कारण हुई।			

**अनुदान संख्या – 10 – ऊर्जा विभाग  
(सभी दत्तमत)**

कुल अनुदान    वास्तविक    अधिक व्यय +  
                         व्यय                    बचत -  
(हजार रूपयों में)

राजस्व :

मुख्य शीर्ष

2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

2059 लोक निर्माण कार्य

2801 बिजली

2810 अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ

दत्तमत :

मूल	7,39,92,90	7,41,60,01	7,38,80,85	- 2,79,16
-----	------------	------------	------------	-----------

अनुपूरक	1,67,11			
---------	---------	--	--	--

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2009)

2,56,23

पूँजी :

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	11,41,98,88	13,62,22,88	8,41,47,19	-5,20,75,69
-----	-------------	-------------	------------	-------------

अनुपूरक	2,20,24,00			
---------	------------	--	--	--

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2009)

5,21,34,06

**टीका और टिप्पणियाँ:-**

राजस्व (दत्तमत)

(i) 2,79.16 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2008 में प्राप्त किया गया 1,67.11 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (2,56.23 लाख रु०), अंतिम बचत (2,79.16 लाख रु०) से 22.93 लाख रु० कम था।



**अनुदान संख्या – 10 – क्रमशः**

(iii) बचत (25 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2801 बिजली			
80 सामान्य			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0001 बिहार विद्युत नियामक आयोग	25.00	0.00	-25.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	- 75.00		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2810 अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत			
60 अन्य			
800 अन्य व्यय (राज्य योजना)			
0101 अपारंपरागत ऊर्जा स्रोत-सहायक अनुदान	1,50.00	1,50.00	0.00
मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	- 1,50.00		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**पूँजी: (दत्तमत)**

- (iv) 5,20,75.69 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (40,00.00 लाख रु०) एवं दिसम्बर 2008 (1,80,24.00 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 2,20,24.00 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (5,21,34.06 लाख रु०), अंतिम बचत (5,20,75.69 लाख रु०) से 58.37 लाख रु० अधिक था।

**अनुदान संख्या – 10 – क्रमांत**

(vi) बचत (25 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
05	संचरण तथा वितरण			
800	अन्य व्यय			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	राष्ट्रीय समविकास योजना	4,00,00.00	4,00,00.00	0.00
	मूल	8,54,86.00		
	पुनर्वि०	-4,54,86.00		
	प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि की विमुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुआ।			
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
00				
201	पन बिजली उत्पादन			
योजना	(राज्य योजना)			
0105	बिहार राज्य जल विद्युत निगम के लिए कर्ज (नावार्ड)	9,34.72	9,34.72	0.00
	मूल	37,84.00		
	पुनर्वि०	-28,49.28		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
800	विद्युत बोर्डों के लिए अन्य कर्ज			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	बिहार राज्य जल विद्युत पर्षद को कर्ज	56,09.23	56,09.23	0.00
	मूल	48,23.38		
	अनुपूरक	40,00.00		
	पुनर्वि०	-32,14.15		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0104	बिहार राज्य जल विद्युत निगम को कर्ज	0.00	0.00	0.00
	मूल	5,00.00		
	पुनर्वि०	-5,00.00		
	संपूर्ण प्रावधान की राशि की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80	सामान्य			
001	निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001	विद्युत निपादन	3,99.98	4,58.36	+58.38
	मूल	4,00.00		
	पुनर्वि०	-0.02		
	प्रत्याशित बचत एवं अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या – 11 – पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रूपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	49,34,47	58,65,47	47,81,00
अनुपूरक	9,31,00		-10,84,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			8,09,88

<b>पूँजी :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	4,35,00	14,35,00	14,35,00
अनुपूरक	10,00,00		शून्य
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			शून्य

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-**  
राजस्व (दत्तमत)

- (i) 10,84.47 लाख रु० के अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2008 में प्राप्त किया गया 9,31.00 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (8,09.88 लाख रु०), अंतिम बचत (10,84.47 लाख रु०) से 2,74.59 लाख रु० कम था ।

**अनुदान संख्या – 11 – क्रमांत**

(iii) बचत (15 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण			
03 पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277 शिक्षा			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0606 छात्रों के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य	56.50	0.00	-56.50
मूल	56.50		
0607 छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य	56.50	0.00	-56.50
मूल	56.50		
उपरोक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधानों के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 शिक्षा	19,71.36	19,32.09	-39.27
मूल	16,67.40		
अनुपूरक	9,31.00		
पुनर्वि०	-6,27.04		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0107 छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण-कार्य (50:50)	0.00	0.00	0.00
मूल	56.50		
पुनर्वि०	-56.50		
0108 छात्रों के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य- राज्यांश (50:50)	0.00	0.00	0.00
मूल	56.50		
पुनर्वि०	-56.50		
उपरोक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधानों के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2251 सचिवालय – सामाजिक सेवाएं			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0024 पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	84.66	84.22	-0.44
मूल	1,23.03		
पुनर्वि०	-38.37		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या – 12 – वित्त विभाग  
(सभी दत्तमत)**

कुल अनुदान    वास्तविक    अधिक व्यय +  
                         व्यय                    बचत -  
(हजार रूपयों में)

**राजस्व :  
मुख्य शीर्ष**

- 2047 अन्य राजकोषीय सेवाएँ
- 2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन
- 2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ
- 2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन
- 2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण
- 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ
- 2501 ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

**दत्तमत :**

मूल	1,23,49,40	2,74,09,61	2,38,93,72	-35,15,89
अनुपूरक	1,50,60,21			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				22,13,06

**पूँजी :  
मुख्य शीर्ष**

- 4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय
- 4058 लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय
- 7055 सड़क परिवहन के लिए कर्ज
- 7610 सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

**दत्तमत :**

मूल	15,10,00	21,70,00	7,19,20	-14,50,80
अनुपूरक	6,60,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				7,36,29

**टीका और टिप्पणियाँ :-**

**राजस्व(दत्तमत)**

- (i) 35,15.89 लाख रु० की अन्तिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (4,33.00 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (1,44,87.91 लाख रु०) एवं मार्च 2009 (1,39.30 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 1,50,60.21 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (22,13.06 लाख रु०), अंतिम बचत (35,15.89 लाख रु०) से 13,02.83 लाख रु० कम था।

**अनुदान संख्या – 12 – क्रमशः**

(iii) बचत (20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2052 00 090	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ सचिवालय (गैर-योजना)		
0021	सचिवालय भवन का स्थापना मूल 37.95	37.95	1.95
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		-36.00
योजना	(राज्य योजना)		
0148	वित्त विभाग का आधुनिकीकरण एवं जिर्णोध्धार अनुपूरक 2,11.16	2,11.16	0.00
	संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		-2,11.16
092	अन्य कार्यालय (गैर-योजना)		
0006	राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण जिला प्रभार मूल 7,27.09 अनुपूरक 2,20.59 पुनर्वि० - 67.02	8,80.66	8,51.61
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		-29.05
0010	वित्त संस्थान निदेशालय, वित्त विभाग के लिए मूल 60.51 पुनर्वि० -52.97	7.54	3.45
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		-4.09
2054 00 097	कोषागार एवं लेखा प्रशासन खजाना स्थापना (गैर-योजना)		
0001	कोषागार एवं अन्य उप कोषागार मूल 15,83.12 पुनर्वि० - 3,70.37	12,12.75	12,07.53
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		-5.22

अनुदान संख्या – 12 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (गैर-योजना)			
0001 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा मूल 11,74.46	11,74.46	1,74.59	-9,99.87
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0001 भविष्य निधि लेखा का रख-रखाव मूल 6,61.99 पुनर्वि० -1,37.08	5,24.91	5,21.63	-3.28
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 बिहार राजस्व प्रशासन इन्टरनेट (ब्रेन परियोजना) मूल 12,89.00 पुनर्वि० -2,61.00	10,28.00	10,28.00	0.00
प्रत्याशित बचत बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि०, पटना द्वारा कार्य के विरुद्ध विपत्रों को प्रस्तुत नहीं किये जाने का कारण हुआ।			
2058 लेखन सामग्री एवं मुद्रण 00			
101 लेखन सामग्री भण्डार क्रय तथा पूर्ति (गैर-योजना)			
0001 लेखन सामग्री कार्यालय मूल 1,44.28 पुनर्वि० - 75.72	68.56	1,01.41	+32.85
प्रत्याशित बचत ए.सी.पी. आदेश की अप्राप्ति, मितव्ययिता का अनुपालन, वाहन ईंधन एवं रख रखाव के अंतर्गत कम खर्च आदि के कारण हुआ। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
102 फार्मों का मुद्रण, भंडारण तथा वितरण (गैर-योजना)			
0001 फार्म्स प्रेस, गया मूल 4,50.13 अनुपूरक 1.75 पुनर्वि० -2,25.84	2,26.04	2,21.56	-4.48
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
103 सरकारी मुद्रणालय (गैर-योजना)			
0001 बिहार सचिवालय मुद्रणालय मूल 8,06.89 पुनर्वि० -2,10.81	5,96.08	5,82.88	-13.20
विद्युत प्रपत्रों की अप्राप्ति, वर्दी अनापूर्ति, क्रय समिति के नहीं बैठने, वाहनों के परिचालन में कमी तथा विभागों द्वारा विपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने, रिक्त पदों पर बहाली नहीं किए जाने तथा ए.सी. पी. प्रोन्नति नहीं दिए जाने के कारण प्रत्याशित बचत हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या -12 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
01	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम		
800	अन्य व्यय		
योजना	(राज्य योजना)		
0103	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक द्वारा संपोषित)	20,69.72	20,59.52
	मूल	27,00.00	
	पुनर्वि०	-6,30.28	
	प्रत्याशित बचत परियोजना के अंतर्गत व्यय नहीं किए जाने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2009)।		-10.20

**पूँजी (दत्तमत)**

- (iv) 14,50.80 लाख रू० की अंतिम बचत को देखते हुए, प्राप्त किया गया 6,60.00 लाख रू० का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (7,36.29 लाख रू०), अन्तिम बचत (14,50.80 लाख रू०) से 7,14.51 लाख रू० कम था।
- (vi) बचत (10.00 लाख रू०) अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
00			
800	अन्य व्यय		
योजना	राज्य योजना		
0102	कोषागार/उप कोषागार भवन में कमरे का निर्माण	6,60.00	0.00
	अनुपूरक	6,60.00	
	संपूर्ण प्रावधान की अन-उपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		-6,60.00
4058	लेखन समाग्री और मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय		
00			
103	सरकारी मुद्रणालय		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	मशीनरी और उपस्कर-सरकारी प्रेस गुलजारबाग के आधुनिकीकरण की योजना	0.00	0.00
	मूल	3,00.00	
	पुनर्वि०	-3,00.00	
	संपूर्ण प्रावधानों की अनुपयोगिता योजना के लागू नहीं होने के कारण हुआ।		0.00



अनुदान संख्या – 12 – क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7610 00 201	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि भवन निर्माण अग्रिम (गैर-योजना)		
0001	सरकारी सेवकों को गृह-निर्माण अग्रिम मूल 5,00.00 पुनर्वि० -2,73.47	2,26.53	2,26.53
	प्रत्याशित बचत आवेदन की अप्राप्ति के कारण हुआ।		0.00
202	मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम (गैर-योजना)	पुनर्वि०	
0002	सरकारी सेवकों को मोटर साइकिल खरीदने के लिए अग्रिम मूल 50.00 पुनर्वि० -35.06	14.94	14.94
	प्रत्याशित बचत प्रस्ताव की अप्राप्ति के कारण हुआ।		0.00
0003	मंत्री इत्यादि को मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम मूल 40.00 पुनर्वि० -16.00	24.00	-24.00
	प्रत्याशित बचत प्रस्ताव की अप्राप्ति के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		
0004	विधान मण्डल के सदस्यों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम मूल 2,00.00 पुनर्वि० - 98.00	1,02.00	71.49
	प्रत्याशित बचत प्रस्ताव की अप्राप्ति के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		-30.51

**अनुदान संख्या – 13 – ब्याज संदाय  
(सभी प्रभारित)**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रूपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2049 ब्याज अदायगियाँ			
<b>प्रभारित :</b>			
मूल	37,96,03,70	37,96,03,70	37,52,94,42
अनुपूरक	शून्य		- 43,09,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			21,93,69

**टीका और टिप्पणियाँ :-**

**राजस्व (प्रभारित)**

- (i) अभ्यर्पित प्रावधान (21,93.69 लाख रु०), अंतिम बचत (43,09.28 लाख रु० से 21,15.59 लाख रु० कम था।
- (ii) बचत (25 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रूपयों में)		
2049 ब्याज अदायगियाँ			
01 आंतरिक ऋण पर ब्याज			
115 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज (गैर-योजना)			
0001 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	75.00	7.10	-67.90
मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	- 2,25.00		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या – 13 – क्रमशः कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
(लाख रूपयों में)			
200	अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज (गैर-योजना)		
0001	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिये गये कर्ज पर ब्याज मूल 36,23.51 पुनर्वि० -17,06.43	19,17.08	10,31.78
0002	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा केन्द्रीय भंडारागार से लिए गए ऋण पर ब्याज मूल 4,50.00 पुनर्वि० -1,67.41	2,82.59	2,82.59
305	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)। ऋण प्रबंध (गैर-योजना)		
0001	पुराने ऋणों से संबंधित व्यय मूल 2,40.00	2,40.00	1,37.86
0002	नवीन ऋणों से संबंधित व्यय मूल 2,20.24	2,20.24	0.00
04	उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)। केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज		
101	राज्य/ संघ क्षेत्र की योजनागत योजना के कर्ज पर ब्याज (गैर-योजना)		
0002	1989-1990 से प्राप्त ब्लॉक कर्ज पर ब्याज मूल 1,07,46.66	1,07,46.66	0.00
104	गैर योजना हेतु कर्ज पर ब्याज (गैर-योजना)		
0007	ईख उत्पादक की अदायगी के लिए ऋणों पर ब्याज मूल 75.44	75.44	0.00
109	उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधानों की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)। 12 वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार समेकित राज्य योजना कर्जों पर ब्याज (गैर-योजना)		
0001	समेकित कर्जों पर ब्याज मूल 4,90,79.15	4,90,79.15	57,23.11
			-4,33,56.04

शीर्ष	अनुदान संख्या – 13 – क्रमांत			अधिक व्यय + बचत -
	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	(लाख रूपयों में)	
60	अन्य दायित्वों पर ब्याज			
701	विविध (गैर-योजना)			
0002	जर्मीदारों को किए गए मुआवजा बंध पर ब्याज	68.60	-9.39	-77.99
	मूल	68.60		
0003	उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)। विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज	3,32.41	3,18.07	-14.34
	मूल	4,00.00		
	पुनर्वि०	-67.59		
2049	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)। ब्याज अदायगियाँ			
04	केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज			
101	राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज (गैर-योजना)			
0001	15 वर्षीय समेकित ब्लाक कर्जे, 1990 पर ब्याज	0.00	6,35,95.97	+6,35,95.97
	बजट प्रावधान के बिना व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**विनियोग संख्या – 14 – ऋण की वापसी अदायगी  
(सभी प्रभारित)**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रूपयों में)		
<b>पूँजी :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
<b>प्रभारित :</b>			
मूल	16,76,21,42	16,83,41,15	16,82,27,65
अनुपूरक	7,19,73		-1,13,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			29,24,73

टीका एवं टिप्पणियाँ :-

**पूँजी (प्रभारित)**

- (i) 1,13.50 लाख रु० के अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2008 (6,88.76 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (30.97 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 7,19.73 लाख रु० का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (29,24.73 लाख रु०), अंतिम बचत (1,13.50 लाख रु०) से 28,11.23 लाख रु० अधिक था।
- (iii) बचत (25.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रूपयों में)		
6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
00			
105 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज (गैर-योजना)			
0001 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से उधार	35,89.98	33,74.38	-2,15.60
मूल	33,04.97		
अनुपूरक	6,79.24		
पुनर्वि०	- 3,94.23		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

शीर्ष	विनियोग संख्या – 14 – क्रमांत	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6003 00	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
103	भारतीय जीवन बिमा निगम से कर्ज (गैर-योजना)			
0001	भारतीय जीवन बिमा निगम से कर्ज मूल 10.52	10.52	2,26.12	+2,15.60
106	अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)। प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र (गैर-योजना)			
0002	जमींदारी उन्मूलन हेतु मुआवजा बंध पत्र मूल 75.08 पुनर्वि० -75.08	0.00	4,35.13	+4,35.13
6004 02	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज			
101	ब्लॉक उधार (गैर-योजना)			
0001	1989-90 से प्राप्त ब्लॉक उधार मूल 32,27.23	32,27.23	4,17,20.67	+3,84,93.44
105	अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित राज्य आयोजना कर्ज (गैर-योजना)			
0001	समेकित कर्ज मूल 3,84,93.45 पुनर्वि० -24,55.39	3,60,38.06	0.00	-3,60,38.06
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारण को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 15 – पेंशन

	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रूपयों में)		

राजस्व :  
मुख्य शीर्ष

2071 पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति हितलाभ

दत्तमत :

मूल	34,35,46,07	34,35,52,77	34,81,24,20	+45,71,43
अनुपूरक	6,70			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				3,99

प्रभारित :

मूल	2,90,72	2,90,72	27,47	-2,63,25
अनुपूरक	शून्य			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				3

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व(दत्तमत)

- अनुदान से 45,71,43,271 रु० अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है।
- 45,71.43 लाख रु०अधिक व्यय को देखते हुए 6.70 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा 31 मार्च 2009 में 3.99 लाख रु० का अभ्यर्पण न्यायोचित सिद्ध नहीं हुआ।
- बचत (25.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रूपयों में)		

2071 पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति  
हितलाभ

01 सिविल

109 राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा  
संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन  
(गैर-योजना)

0001	गैर सरकारी विद्यालयों के कर्मचारियों को पेंशन मतदेय	38.94	0.00	-38.94
	मूल	38.94		

संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।

111 विधायकों को पेंशन  
(गैर-योजना)

0002	बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्यगण को पेंशन	1,30.68	3,77.26	+2,46.58
------	-------------------------------------------------	---------	---------	----------

मूल 1,30.68

अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।

शीर्ष	विनियोग संख्या – 15 – क्रमांत		वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	कुल अनुदान/विनियोग			
			(लाख रुपयों में)	
115	छुट्टी नकदीकरण हितलाभ (गैर-योजना)			
0002	15.11.2000 के बाद सेवानिवृत्त मृत कर्मचारी एवं पदाधिकारी को भुगतये अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि	14,66.66	37,59.34	+22,92.68
	मूल 14,66.66			
	अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)			
<b>राजस्व (प्रभारित)</b>				
(iv)	अभ्यर्पित प्रावधान (0.03 लाख रु०), अंतिम बचत (2,63.25 लाख रु०) से 2,63.22 लाख रु० कम था ।			
(v)	बचत (5 लाख रु० या प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
2071	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हितलाभ			
01	सिविल			
106	उच्च न्यायलय के न्यायधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार (गैर-योजना)			
0001	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 290 के अंतर्गत उच्च न्यायलय के न्यायधीशों को देय अंशदान	2,63.22	0.00	-2,63.22
	मूल 2,63.22			
	संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			



**अनुदान संख्या – 16 – पंचायती राज विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
	<b>(हजार रुपयों में)</b>		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2015 चुनाव			
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएँ			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>10,62,53,06</b>	<b>13,14,20,60</b>	<b>9,95,56,14</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>2,51,67,54</b>		<b>-3,18,64,46</b>
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</b>			<b>2,86,65,83</b>
<b>(31 मार्च 2009)</b>			
<b>पूँजी :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>		<b>87,54,20</b>	<b>शून्य</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>87,54,20</b>		<b>-87,54,20</b>
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</b>			<b>87,54,20</b>
<b>(31 मार्च 2009)</b>			

**टीका एवं टिप्पनियाँ :-**

**राजस्व दत्तमत :**

- (i) 3,18,64.46 लाख रु० के अंतिम बचत को देखते हुए जुलाई 2008 (49,65.50 लाख रु०) दिसम्बर 2008 (1,86,06.35 लाख रु०) तथा मार्च 2009 ( 15,95.69 लाख रु०) में प्राप्त किए गए 2,51,67.54 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथासंभव सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (2,86,65.83 लाख रु०), अंतिम बचत (3,18,64.46 लाख रु०) से 31,98.63 लाख रु० कम था ।
- (iii) बचत (25 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
	<b>(लाख रुपयों में)</b>		
2015 चुनाव			
00			
109 पंचायतों/स्थानीय निकायों के चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार (गैर-योजना)			
0002 जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव	5,61.93	9,43.07	+3,81.14
<b>मूल</b>	<b>5,00.01</b>		
<b>अनुपूरक</b>	<b>50.81</b>		
<b>पुनर्वि०</b>	<b>11.11</b>		

60.30 लाख रु० पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा 50.81 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था तथा 31 मार्च 2009 को 49.19 लाख रु० का अभ्यर्पण न्यायोचित नहीं सिद्ध हुआ। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।

शीर्ष	अनुदान संख्या – 16 – क्रमशः		अधिक व्यय + बचत -
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
00			
001	निर्देशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)		
0003	जिला पंचायत स्थापना	85,69.57	80,75.30
	अनुपूरक	90,26.31	
	पुनर्वि०	-4,56.74	
	प्रत्याशित बचत दफादार के भत्तों में कटौती के कारण हुआ। अंतिम बचत एल०टी०सी० के माँग में कमी तथा कम यात्रा के कारण हुआ।		
योजना	(राज्य योजना)		
0104	कर्मचारियों के प्रशिक्षण व्यय	6,24.80	5,53.19
	मूल	40.80	
	अनुपूरक	6,00.00	
	पुनर्वि०	-16.00	
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		
196	जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता		
योजना	(राज्य योजना)		
0106	निर्वाचित जिला परिषद के प्रतिनिधियों के नियत भत्ता	60.72	53.45
	अनुपूरक	1,10.31	
	पुनर्वि०	-49.59	
	प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा राशि की मांग नहीं किये जाने कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		
197	ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता		
योजना	(राज्य योजना)		
0103	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता हेतु	5,89.77	5,89.77
	अनुपूरक	8,65.06	
	पुनर्वि०	-2,75.29	
	प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा राशि की मांग नहीं किए जाने के कारण हुई।		
198	ग्राम पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)		
0004	ग्राम पंचायतों में लिपिक-सह-रोकड़-पाल को पारिश्रमिक	6,98.29	0.00
	अनुपूरक	30,46.68	
	पुनर्वि०	-23,48.39	
	प्रत्याशित बचत ग्राम पंचायतों में लिपिक-सह-रोकड़पाल की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		

अनुदान संख्या – 16 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		
योजना (राज्य योजना)			
0105 ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियम भत्ता हेतु	29,88.84	26,84.46	-3,04.38
अनुपूरक	41,20.84		
पुनर्वि०	-11,32.00		
प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा राशि की मांग नहीं किये जाने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0106 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता हेतु	29,83.22	26,17.58	-3,65.64
अनुपूरक	41,20.84		
पुनर्वि०	-11,37.62		
प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा राशि की मांग नहीं किये जाने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2009)।			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0012 ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	44,83.34	40,06.89	-4,76.45
मूल	45,71.02		
पुनर्वि०	-86.68		
प्रत्याशित बचत जिला ग्राम कचहरी न्यायमित्र तथा ग्राम कचहरी सचिव के भुगतान पर कम व्यय के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2009)।			
योजना (राज्य योजना)			
0113 पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना	4,51,91.86	4,50,88.44	-1,03.42
मूल	5,42,00.00		
अनुपूरक	1,39,75.00		
पुनर्वि०	-2,29,83.14		
प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि की अप्रप्ति तथा योजना की स्वीकृति नहीं किए जाने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या – 16 – क्रमांत**

**पूँजी (दत्तमत)**

(iv) 87,54.20 लाख रु० का अंतिम बचत को देखते हुए दिसंबर 2008 में प्राप्त किए गए 87,54.20 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथासंभावित सांकेतिक राशि तक सीमित किया जा सकता था।

(v) बचत (15 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		
4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00
00			
101 पंचायती राज योजना (राज्य योजना)			
0101 पंचायती राज अनुपूरक पुनर्वि० योजना की स्वीकृति नहीं किए जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधानों का उपयोग नहीं हुआ था।	87,54.20	-87,54.20	

**अनुदान संख्या – 17 – वाणिज्यकर विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -	
	(हजार रूपयों में)			
<b>राजस्व :</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर				
<b>दत्तमत :</b>				
मूल	43,81,86	46,30,25	46,68,00	+37,75
अनुपूरक	2,48,39			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				9,01,65
<b>पूँजी :</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
मूल	3,35,00	3,35,00	3,13,57	-21,43
अनुपूरक				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				1,00

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-**  
राजस्व (दत्तमत)

- (i) अनुदान से 37,74,580 रु० अधिक व्यय हुआ; अधिक व्यय का नियमितिकरण अपेक्षित है ।
- (ii) 37.75 लाख रु० की अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, जुलाई 2008 (59.63 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (1,88.76 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 2,48.39 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा 31 मार्च 2009 को अभ्यर्पित किया गया 9,01.65 लाख रु० अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ ।

**अनुदान संख्या – 17 – क्रमांत**

(iii) बचत (10.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रूपयों में)		
2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
00			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 अधीक्षण	3,51.27	3,39.59	-11.68
मूल	3,78.72		
अनुपूरक	35.15		
पुनर्वि०	-62.60		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0004 वाणिज्य- कर प्राधिकार	17.24	17.24	0.00
मूल	45.05		
अनुपूरक	1.13		
पुनर्वि०	-28.94		
प्रत्याशित बचत वेतन तथा अन्य भत्तों में कम भुगतान करने के कारण हुआ।			
<b>पूँजी (दत्तमत)</b>			
(iv) अभ्यर्पित प्रावधान (1.00 लाख रु०) अंतिम बचत (21.43 लाख रु०) से 20.43 लाख रु० कम था।			

**अनुदान संख्या – 18 – खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रूपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2408	खाद्य, भंडारण तथा भंडागार		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ		
3456	सिविल पूर्ति		
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>68,28,83</b>	<b>2,15,22,95</b>	<b>1,92,79,50</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>1,46,94,12</b>		
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>21,18,71</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-  
राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 22,43.45 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (23,12.41 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (63,53.76 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (60,27.95 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 1,46,94.12 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (21,18.71 लाख रु०), अंतिम बचत (22,43.45 लाख रु०) से 1,24.74 लाख रु० कम था।
- (iii) बचत (20.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
	<b>(लाख रूपयों में)</b>		
2408	खाद्य, भंडारण तथा भंडागार		
01	खाद्य		
101	प्रापण तथा पूर्ति (गैर-योजना)		
0001	गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को आर्थिक सहायता		
	मूल	17,50.00	
	पुनर्वि०	-8,48.12	
	8,48.12 लाख रु० प्रत्याशित बचत में, 4,37.50 लाख रु० का बचत निधि के अधिक प्रावधान के कारण हुआ। शेष 44,10.62 लाख रु० का प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		
	योजना (राज्य योजना)		
0103	धान, चावल अधिप्राप्ति हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को आर्थिक सहायता		
	अनुपूरक	62,50.00	
	पुनर्वि०	-12,50.00	
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		

**अनुदान संख्या – 19 – पर्यावरण एवं वन विभाग  
(सभी दत्तमत)**

**कुल अनुदान      वास्तविक व्यय      अधिक व्यय +  
बचत -  
(हजार रूपयों में)**

**राजस्व :**  
**मुख्य शीर्ष**  
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी  
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ  
**दत्तमत :**

<b>मूल</b>	<b>81,99,82</b>	<b>1,00,03,39</b>	<b>78,43,20</b>	<b>-21,60,19</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>18,03,57</b>			
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>				<b>20,59,13</b>

**पूँजी :**  
**मुख्य शीर्ष**  
4406 वानिकी तथा वन्य जीव  
पर पूँजीगत परिव्यय  
**दत्तमत :**

<b>मूल</b>	<b>1,00,00</b>	<b>1,00,00</b>	<b>99,83</b>	<b>-17</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>शून्य</b>			
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>				<b>17</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ**  
**राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 21,60.19 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2008 (14,30.10 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (3,73.47 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 18,03.57 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (20,59.13 लाख रु०), अंतिम बचत (21,60.19 लाख रु०) से 1,01.06 लाख रु० कम था।
- (iii) बचत (20.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
	<b>(लाख रूपयों में)</b>		
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01 वानिकी			
003 शिक्षा तथा प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0001 जन-सम्पर्क तथा शोध के लिए प्रशिक्षण	36.36	36.00	-0.36
मूल	45.20		
अनुपूरक	14.20		
पुनर्वि०	-23.04		

प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।



अनुदान संख्या – 19 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण योजना (राज्य योजना)			
0109 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	16,12.64	16,12.64	0.00
मूल	13,03.96		
अनुपूरक	6,76.00		
पुनर्वि०	-3,67.32		
0110 प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)। वनों का संरक्षण एवं ढाँचागत सुदृढीकरण	71.00	64.23	-6.77
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	-29.00		
0126 राष्ट्रीय सम विकास योजना	4,06.00	3,69.63	-36.37
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	-5,94.00		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
800 अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)			
0101 नहर तट फार्म	4,64.57	4,38.38	-26.19
मूल	4,08.65		
अनुपूरक	1,00.00		
पुनर्वि०	-44.08		
प्रत्याशित बचत निधि के अपर्याप्त प्रावधान होने के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0105 पथ तट फार्म	4,40.96	4,40.81	-0.15
मूल	3,89.79		
अनुपूरक	2,50.00		
पुनर्वि०	-1,98.83		
प्रत्याशित बचत निधि के अपर्याप्त प्रावधान होने के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110 वन्य जीव परिरक्षण योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0603 अन्य उद्यान-संजय गाँधी जैविक उद्यान (शत-प्रतिशत के०प्रा०यो०)	0.00	0.00	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	-1,00.00		
भारत सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			

शीर्ष	अनुदान संख्या – 19 – क्रमशः			अधिक व्यय + बचत -
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(लाख रूपयों में)	
0605	अभ्यारण्यों का विकास (शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना)	35.58	35.58	0.00
	मूल	1,00.00		
	पुनर्वि०	-64.42		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0607	बाल्मिकी नगर व्याघ्र योजना अनावर्ती व्यय (शत प्रतिशत के०प्रा०यो०)	0.00	0.00	0.00
	मूल	1,00.00		
	पुनर्वि०	-1,00.00		
0612	बाल्मिकी नगर व्याघ्र योजना (50:50)	0.00	0.00	0.00
	मूल	38.00		
	पुनर्वि०	-38.00		
0615	बाल्मिकी नगर व्याघ्र योजना इको डेवलपमेन्ट (शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना)	0.00	0.00	0.00
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	-50.00		
	उपर्युक्त तीन मामलों में संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0618	समेकित वन संरक्षण योजना (75 : 25)	92.71	87.92	-4.79
	मूल	1,20.00		
	पुनर्वि०	-27.29		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0619	वेस्टलैंड्स का विकास	0.00	0.00	0.00
	मूल	1,00.00		
	पुनर्वि०	-1,00.00		
	केन्द्र सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			
0106	बाल्मिकी नगर व्याघ्र योजना (राज्य सरकार का 50 प्रतिशत)	0.00	0.00	0.00
	मूल	38.00		
	पुनर्वि०	-38.00		
	संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0109	संजय गाँधी जैविक उद्यान (50 : 50) केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित योजना	0.00	0.00	0.00
	मूल	25.00		
	पुनर्वि०	-25.00		
	केन्द्र सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			

अनुदान संख्या – 19 – क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
111 जैविक उद्यान योजना (केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना)			
0601 अन्य उद्यान-संजय गाँधी जैविक उद्यान (50:50)	0.00	0.00	0.00
मूल	25.00		
पुनर्वि०	-25.00		

केन्द्र सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**पूँजी (दत्तमत)**

(iv) बचत (5.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
4406 वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय			
01 वानिकी			
070 संचार तथा भवन (गैर-योजना)			
0001 सड़क और पुल	39.85	23.55	-16.30
मूल	40.00		
पुनर्वि०	-0.15		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0002 भवन	59.98	76.28	+16.30
मूल	60.00		
पुनर्वि०	-0.02		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या – 20 – स्वास्थ्य विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
		<b>(हजार रूपयों में)</b>	

**राजस्व :  
मुख्य शीर्ष**

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य  
2211 परिवार कल्याण  
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ

**दत्तमत :**

<b>मूल</b>	<b>15,01,26,63</b>	<b>15,87,28,09</b>	<b>11,91,67,35</b>	<b>-3,95,60,74</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>86,01,46</b>			
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>				<b>1,97,11,09</b>

**पूँजी :  
मुख्य शीर्ष**

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य  
पर पूँजीगत परिव्यय

**दत्तमत :**

<b>मूल</b>	<b>1,30,33,80</b>	<b>1,70,98,80</b>	<b>97,21,11</b>	<b>-73,77,69</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>40,65,00</b>			
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>				<b>39,35,33</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-  
राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 3,95,60.74 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (1,53.02 लाख रु०) तथा दिसम्बर 2008 (84,48.44 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 86,01.46 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (1,97,11.09 लाख रु०), अंतिम बचत (3,95,60.74 लाख रु०) से 1,98,49.65 लाख रु० कम था।

**अनुदान संख्या – 20 – क्रमशः**

(iii) बचत (25.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी 001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 अधीक्षण	13,27.95	9,05.46	-4,22.49
मूल	17,46.21		
अनुपूरक	18.01		
पुनर्वि०	-4,36.27		
0002 जिला चिकित्सा पदाधिकारी	15,07.67	14,32.84	-74.83
मूल	19,25.76		
पुनर्वि०	-4,18.09		
110 अस्पताल तथा औषधालय (गैर-योजना)			
0002 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	31,53.56	27,14.70	-4,38.86
मूल	33,48.85		
अनुपूरक	2,35.39		
पुनर्वि०	-4,30.68		
0004 नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	24,19.38	20,97.25	-3,22.13
मूल	22,89.80		
अनुपूरक	4,92.21		
पुनर्वि०	-3,62.63		
उपरोक्त चार मामलों में प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0006 मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया	15,62.40	13,16.70	-2,45.70
मूल	17,31.95		
पुनर्वि०	-1,69.55		

कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण होने के कारण 1,94.40 लाख रु० का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि किया गया था। प्रत्याशित बचत (3,69.94 लाख में) एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।

अनुदान संख्या – 20 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0008 श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर मूल 20,26.49 पुनर्वि० -1,03.55	19,22.94	17,31.78	-1,91.16
0009 भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर मूल 22,66.44 अनुपूरक 3,23.90 पुनर्वि० -4,52.95	21,37.39	17,70.62	-3,66.77
उपरोक्त दो मामलों में प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0010 इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना मूल 13,11.76 अनुपूरक 10.00 पुनर्वि० -2,56.86	10,64.90	5,28.12	-5,36.78
कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण होने के कारण 50.33 लाख रू० का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि किया गया था। प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0012 राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना मूल 1,02.15 पुनर्वि० -27.37	74.78	74.78	0.00
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0013 सदर अस्पताल मूल 84,68.77 अनुपूरक 8,00.00 पुनर्वि० -11,66.76	81,02.01	79,40.43	-1,61.58
0014 अवर प्रमंडलीय अस्पताल मूल 49,67.38 अनुपूरक 3,00.00 पुनर्वि० -11,17.40	41,49.98	26,06.41	-15,43.57
0016 मानसिक अस्पताल मूल 9,50.00 पुनर्वि० -3,29.29	6,20.71	6,20.71	0.00
उपरोक्त तीन मामलों में प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 20 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0019 रोगी कल्याण समिति	0.00	0.00	0.00
मूल	91.50		
अनुपूरक	2,00.00		
पुनर्वि०	-2,91.50		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
200 अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ (गैर-योजना)			
0001 अन्यान्य औषधालय— (यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम)	18,70.19	17,66.64	-1,03.55
मूल	21,12.85		
पुनर्वि०	-2,42.66		
0002 अन्यान्य औषधालय— (कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम)	29,83.54	25,61.28	-4,22.26
मूल	31,21.95		
पुनर्वि०	-1,38.41		
उपरोक्त दो मामलों में प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0005 अन्यान्य औषधालय — (स्थानीय औषधालय )	3,90.85	3,90.85	0.00
मूल	8,85.90		
पुनर्वि०	-4,95.05		
कर्मचारियों के वेतन भुगतान के कारण 69.01 लाख रू० का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि किया गया। प्रत्याशित बचत (5,64.06 लाख रू०) एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0006 विधायक अस्पताल, पटना	42.27	41.98	0.29
मूल	89.88		
पुनर्वि०	-47.61		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0008 रक्त कोष	1,20.66	1,20.66	0.00
मूल	1,94.72		
पुनर्वि०	-74.06		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 20 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रूपयों में)		
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0002 विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण योजना	7,00.00	0.00	-7,00.00
मूल	13,00.00		
पुनर्वि०	-6,00.00		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
101 आयुर्वेद गैर-योजना			
0002 आयुर्वेदिक औषधियों की पृथक निर्माणशाला की स्थापना	41.41	41.41	0.00
मूल	70.84		
पुनर्वि०	-29.43		
राज्यादेश सं० 88 (बी०) दिनांक 28.3.09 के द्वारा वेतन एवं विद्युत अधिभार में कटौती के कारण प्रत्याशित बचत 29.43 लाख रु० में से 6.00 लाख रु० की बचत हुई। शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0004 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना	1,98.53	1,23.38	-75.15
मूल	1,98.53		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ— एलोपैथी			
101 स्वास्थ्य उप-केन्द्र (गैर-योजना)			
0002 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,25,67.12	1,02,38.40	-23,28.72
मूल	1,28,98.40		
अनुपूरक	2,30.00		
पुर्वि०	-5,61.28		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			



अनुदान संख्या – 20 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0003 स्वास्थ्य उपकेन्द्र मूल 34,07.99 पुनर्वि० 2,11.53 स्वास्थ्य उप-केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के कारण पुनर्विनियोग के द्वारा 4,10.00 लाख रु० की प्रावधान में वृद्धि की गई। प्रत्याशित बचत (1,98.47 लाख रु०) एवं अंतिम बचत के कारण को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।	36,19.52	29,30.64	-6,88.88
103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर-योजना)			
0001 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मूल 2,98,82.19 अनुपूरक 20,70.00 पुनर्वि० -17,27.97	3,02.24.22	2,80,63.58	-21,60.64
110 अस्पताल तथा औषधालय (गैर-योजना)			
0001 रेफरल अस्पताल मूल 34,62.61 अनुपूरक 5,00.00 पुनर्वि० -6,13.57	33,49.04	30,70.09	-2,78.95
04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
101 आयुर्वेद (गैर-योजना)			
0002 ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय (आयुर्वेदिक अस्पताल) मूल 4,01.66 पुनर्वि० -40.49 उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।	3,61.17	3,49.99	-11.18
103 यूनानी (गैर-योजना)			
0001 यूनानी औषधालय मूल 1,72.48 पुनर्वि० -15.45 प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।	1,57.03	1,30.88	-26.15

अनुदान संख्या – 20 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षणतथा अनुसंधान			
101 आयुर्वेद (गैर-योजना)			
0001 आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय	1,66.64	1,66.64	0.00
मूल	7,54.23		
पुनर्वि०	-5,87.59		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
102 होम्योपैथी (गैर-योजना)			
0001 होम्योपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	2,02.77	1,76.61	-26.16
मूल	4,27.47		
पुनर्वि०	- 2,24.70		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
103 यूनानी (गैर-योजना)			
0001 तिब्बी कॉलेज	4,36.66	2,73.71	-1,62.95
मूल	4,36.66		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
105 एलोपैथी (गैर-योजना)			
0001 पटना मेडिकल कॉलेज	17,48.47	17,48.47	0.00
मूल	28,43.43		
पुनर्वि०	-10,94.96		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0003 दरभंगा मेडिकल कॉलेज	14,59.98	14,36.19	-23.79
मूल	18,35.02		
अनुपूरक	8.00		
पुनर्वि०	-3,83.04		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0005 नालंदा मेडिकल कॉलेज	8,09.96	8,09.96	0.00
मूल	11,15.20		
पुनर्वि०	-3,05.24		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0007 मगध मेडिकल कॉलेज	9,74.22	7,38.28	-2,35.94
मूल	10,49.37		
पुनर्वि०	-75.15		

अनुदान संख्या – 20 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0008 श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर मूल 10,25.00 अनुपूरक 50.00 पुनर्वि० -1,89.41	8,85.59	6,89.71	-1,95.88
0009 दंत चिकित्सा महाविद्यालय, पटना मूल 4,18.68 अनुपूरक 1,60.40 पुनर्वि० -1,41.75	4,37.33	2,85.37	-1,51.96
0010 भागलपुर मेडिकल कॉलेज मूल 8,66.88 अनुपूरक 3,00.36 पुनर्वि० -3,87.91	7,79.33	5,24.13	-2,55.20
उपर्युक्त चार मामलों में प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0012 नर्स प्रशिक्षण मूल 3,55.57 पुनर्वि० -42.88	3,12.69	2,32.08	-80.61
कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण होने के कारण 44.03 लाख रु० का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि किया गया। प्रत्याशित बचत (86.91 लाख रु०) एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0013 फार्मसी प्रशिक्षण मूल 2,04.20 अनुपूरक 18.41 पुनर्वि० -1,42.66	79.95	79.92	-0.03
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0017 इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना मूल 35,00.00 पुनर्वि० -8,58.05	26,41.95	26,41.95	0.00
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0023 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया अनुपूरक 48.00 पुनर्वि० -30.99	17.01	17.01	0.00
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 20 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
0024	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा अनुपूरक 48.00 पुनर्वि० -38.85	9.15	9.15	0.00
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
06	लोक स्वास्थ्य			
001	निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
0001	अधीक्षण मूल 4,34.32 पुनर्वि० -1,36.90	2,97.42	2,72.59	-24.83
003	प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0002	लोक स्वास्थ्य संस्थान मूल 7,03.39 पुनर्वि० -1,33.97	5,69.42	4,45.66	-1,23.76
101	रोगों का निवारण तथा नियंत्रण (गैर-योजना)			
0003	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम मूल 17,47.57 पुनर्वि० -3,62.53	13,85.04	12,53.43	-1,31.61
	उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0602	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-कालाजर सहित मूल 28,60.89	28,60.89	0.00	-28,60.89
	सम्पूर्ण प्रावधानों की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
102	खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम (गैर-योजना)			
0001	लोक स्वास्थ्य और सफाई कार्यक्रम-खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोक थाम मूल 1,94.40 पुनर्वि० -68.84	1,25.56	85.55	-40.01
104	औषध नियंत्रण (गैर-योजना)			
0001	औषध नियंत्रण स्थापना मूल 5,87.37 पुनर्वि० -1,23.58	4,63.79	3,58.10	-1,05.69

अनुदान संख्या – 20 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
200 अन्य पद्धतियाँ (गैर-योजना)			
0001 अन्य लोगों के लिए योग प्रशिक्षण	10,38.36	13.51	-10,24.85
मूल	11,00.00		
पुनर्वि०	-61.64		
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0002 महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण	93.32	37.91	-55.41
मूल	7,00.00		
पुनर्वि०	-6,06.68		
उपर्युक्त चार मामलों में प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 20 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
80 सामान्य			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0001 मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष	12,00.00	5,00.39	-6,99.61
मूल	12,00.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2211 परिवार कल्याण			
00			
001 निदेशन एवं प्रशासन योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0602 तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो	1,22.88	1,22.88	0.00
मूल	6,53.92		
पुनर्वि०	-5,31.04		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0603 तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण जिला कल्याण ब्यूरो	11,90.12	9,69.15	-2,20.97
मूल	14,36.42		
पुनर्वि०	-2,46.30		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
003 प्रशिक्षण योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0604 प्रशिक्षण और अनुसंधान ए०एन० एम० स्कूल/ एल०एच०भी स्कूल	4,05.41	3,63.35	-42.06
मूल	7,71.91		
पुनर्वि०	-3,66.50		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ (गैर-योजना)			
0001 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	26,76.77	24,36.77	-2,40.00
मूल	27,87.12		
पुनर्वि०	-1,10.35		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 20 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0602 स्वास्थ्य उपकेन्द्र	1,39,62.40	1,21,89.17	-17,73.23
मूल	1,58,50.18		
पुनर्वि०	-18,87.78		
निधि के विमुक्त करने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
102 शहरी परिवार कल्याण सेवाएँ योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0601 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	1,11.03	95.77	-15.26
मूल	1,29.42		
पुनर्वि०	-18.39		
103 मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य (गैर-योजना)			
0001 मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य	2,12.74	1,87.40	-25.34
मूल	2,20.43		
पुनर्वि०	-7.69		
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0007 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1,43.20	1,42.86	-0.34
मूल	1,90.20		
पुनर्वि०	-47.00		
उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या – 20 – क्रमशः**

**पूँजी (दत्तमत)**

- (iv) 73,77.69 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (7,50.00 लाख रु०) तथा दिसम्बर 2008 (33,15.00 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 40,65.00 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (39,35.33 लाख रु०), अंतिम बचत (73,77.69 लाख रु०) से 34,42.36 लाख रु० कम था।
- (vi) बचत (20.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई है :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0102 सदर अस्पताल के लिए भवन निर्माण	42.62	42.62	0.00
मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	-2,57.38		
0103 जिला चिकित्सा पदा० के लिए आवासीय तथा कार्यालय भवन का निर्माण	16.54	16.54	0.00
मूल	1,23.00		
पुनर्वि०	-1,06.46		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
110 अस्पताल तथा औषधालय योजना (राज्य योजना)			
0104 भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर	50.00	0.00	-50.00
मूल	50.00		
0105 पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल	2,00.00	0.00	-2,00.00
मूल	2,00.00		
0106 श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	50.00	0.00	-50.00
मूल	50.00		
उपर्युक्त तीन मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			



अनुदान संख्या – 20 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0107 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दरभंगा मूल 1,00.00 योजना (राज्य योजना)	1,00.00	0.00	-1,00.00
0108 मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया मूल 50.00	50.00	0.00	-50.00
0110 इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना मूल 50.00	50.00	0.00	-50.00
उपर्युक्त तीन मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ 051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भवन का निर्माण मूल 2,35.00 पुनर्वि० -1,97.78	37.22	37.22	0.00
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0104 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण मूल 7,00.00 अनुपूरक 1,00.00 पुनर्वि० -8,00.00	0.00	0.00	0.00
0105 स्वास्थ्य उप-केन्द्र/ अति- रिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) अनुपूरक 25,00.00 पुनर्वि० -25,00.00	0.00	0.00	0.00
उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 20 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
03	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा शोध		
050	भूमि		
योजना	(राज्य योजना)		
0102	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (एलोपैथी) के लिए भूमि अधिग्रहण मूल 5.00 अनुपूरक 4,00.00	4,05.00	0.00
	सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		
0103	नए मेडिकल कॉलेज तथा पारा मेडिकल संस्थान के लिए मूल 20,00.00 अनुपूरक 10,50.00	30,50.00	10,22.64
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		
105	एलोपैथी		
योजना	(राज्य योजना)		
0102	दरभंगा चिकित्सा महा- विद्यालय एवं अस्पताल में छात्राओं के छात्रावास में कलवर्ट की मरम्मत मूल 50.00	50.00	0.00
0103	नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना मूल 25.00	25.00	0.00
0104	पटना मेडिकल कॉलेज मूल 50.00	50.00	0.00
0105	अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज, गया मूल 25.00	25.00	0.00
0106	श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर मूल 25.00	25.00	0.00
0107	भागलपुर मेडिकल कॉलेज, भागलपुर मूल 25.00	25.00	0.00
	उपर्युक्त छः मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		

अनुदान संख्या – 20 – क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुप्रयोग			
050 भूमि योजना (राज्य योजना)			
0101 तिब्बी कॉलेज, पटना के लिए भूमि अधिग्रहण	50.00	0.00	-50.00
मूल 50.00			
0102 होमियोपैथी कॉलेज, मुजाफ्फरपुर के लिए भूमि अधिग्रहण	25.00	0.00	-25.00
मूल 25.00			
0103 आर्युवैदिक कॉलेज पटना के लिए भूमि अधिग्रहण	20.00	0.00	-20.00
मूल 20.00			
उपर्युक्त तीन मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
80 सामान्य			
800 अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)			
0102 रेफरल अस्पताल के अधूरे भवन का निर्माण	61.29	61.29	0.00
मूल 1,35.00			
पुनर्वि० -73.71			
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0104 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भूमि अधिग्रहण	2,15.00	0.00	-2,15.00
मूल 2,00.00			
अनुपूरक 15.00			
सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या – 21 – मानव संसाधन विकास विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रूपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2202 सामान्य शिक्षा			
2251 सचिवालय सामाजिक सेवाएँ			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	71,22,26,22	78,24,28,73	66,21,06,89
अनुपूरक	7,02,02,51		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-12,03,21,84
			10,47,44,12

<b>पूँजी (दत्तमत) :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	42,33,60	43,52,01	23,98,41
अनुपूरक	1,18,41		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-19,53,60
			1,63,44

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-  
राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 12,03,21.84 लाख रु के अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (60.89 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (91,86.42 लाख रु०) एवं मार्च 2009 (6,09,55.20 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 7,02,02.51 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (10,47,44.12 लाख रु०), अन्तिम बचत (12,03,21.84 लाख रु०) से 1,55,77.72 लाख रु० कम था।
- (iii) बचत (25 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रूपयों में)		
2202 सामान्य शिक्षा			
01 प्रारंभिक शिक्षा			
053 भवनो का अनुरक्षण (गैर-योजना)			
0001 प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालय भवनों का जीर्णोधार	2,52.00	4.95	-2,47.05
मूल	10,08.00		
पुनर्वि०	-7,56.00		
प्रत्याशित बचत और अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 21 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
101 योजना	सरकारी प्रारम्भिक विद्यालय (केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना)			
0601	राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय मूल 5,56,46.59 पुनर्वि० -1,46.65.41	4,09,81.18	4,09,81.18	0.00
1010 योजना	(राज्य योजना) राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय मूल 3,08,46.00 अनुपूरक 1,65.11 पुनर्वि० -1,63,89.61	1,46,21.50	1,46,21.50	0.00
2009)।	उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
107 शिक्षक प्रशिक्षण (गैर-योजना)				
0001	प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मूल 19,18.42 पुनर्वि० -1,99.38	17,19.04	16,22.16	-96.88
2009)।	प्रत्याशित बचत, पदों के खाली रहने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
198 ग्राम पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)				
0002	पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु मूल 7,03,75.20 पुनर्वि० -4,36,55.95	2,67,19.25	2,16,78.09	-50,41.16
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)				
0008	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के खेलकूद सुविधाओं हेतु मूल 3,04.00 पुनर्वि० -3,04.00	0.00	0.00	0.00
0011	सर्व शिक्षा अभियान मूल 4,00,00.00 पुनर्वि० -3,21,04.61	78,95.39	78,95.39	0.00
2009)।	उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
02 माध्यमिक शिक्षा 101 निरीक्षण (गैर-योजना)				
0001	निरीक्षिका मूल 3,89.06 पुनर्वि० -93.17	2,95.89	2,93.79	-2.10
	प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या – 21 – क्रमशः			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
107 छात्रवृत्तियाँ (गैर-योजना)				
0002 अन्य विद्यालय	1,81.00	1,81.00	0.00	
मूल	2,20.00			
पुनर्वि०	-39.00			
109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय (गैर-योजना)				
0001 अन्य विद्यालय	6,94,43.18	6,94,43.18	0.00	
मूल	7,90,39.49			
अनुपूरक	29,00.00			
पुनर्वि०	-1,24,96.31			
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।				
योजना (राज्य योजना)				
0101 अन्य विद्यालय	1,96.55	1,71.89	-24.66	
मूल	2,00.00			
पुनर्वि०	-3.45			
110 अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता (गैर-योजना)				
0003 माध्यमिक, बहुद्देशीय तथा अल्प संख्यक विद्यालय	23,79.67	18,41.36	-5,38.31	
मूल	25,00.00			
पुनर्वि०	-1,20.33			
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।				
192 नगर पालिका/ नगर पालिका परिषद् को सहायता (गैर-योजना)				
0001 नगर पालिका माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान हेतु	4,57.20	4,57.20	0.00	
मूल	5,34.96			
पुनर्वि०	-77.76			
0002 नगर पालिका उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान हेतु	1,29.36	1,29.36	0.00	
मूल	1,57.92			
पुनर्वि०	-28.56			
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता (गैर-योजना)				
0001 नगर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान हेतु	4,86.00	4,86.00	0.00	
मूल	6,10.56			
पुनर्वि०	-1,24.56			
उपर्युक्त तीनों मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।				

शीर्ष	अनुदान संख्या – 21 – क्रमशः		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
800	अन्य व्यय (गैर-योजना)				
0004	माध्यमिक विद्यालयों में खेलकूद सुविधाओं हेतु		27,00.00	23,97.00	-3,03.00
	मूल	2,00.00			
	अनुपूरक	27,00.00			
	पुनर्वि०	-2,00.00			
	प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।				
03	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा				
102	विश्वविद्यालयों को सहायता योजना (राज्य योजना)				
0117	राष्ट्रीय लॉ कॉलेज की स्थापना		12,93.26	12,93.26	0.00
	मूल	15,00.00			
	पुनर्वि०	-2,06.74			
0119	नालन्दा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालन्दा		12,00.00	12,00.00	0.00
	मूल	42,00.00			
	पुनर्वि०	-30,00.00			
	उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।				
103	सरकारी कॉलेज तथा संस्थान (गैर-योजना)				
0004	शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज		1,41.65	1,10.25	-31.40
	मूल	1,65.97			
	पुनर्वि०	-24.32			
	प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।				
04	वयस्क शिक्षा				
800	अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)				
0102	वयस्क शिक्षा		70.22	70.22	0.00
	मूल	5,00.00			
	पुनर्वि०	-4,29.78			
	प्रत्याशित बचत, केन्द्रांश की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुआ।				
05	भाषा विकास				
103	संस्कृत शिक्षा (गैर-योजना)				
0003	गैर-सरकारी संस्कृत विद्यालय		33,84.87	27,48.52	-6,36.35
	मूल	19,08.52			
	अनुपूरक	14,76.36			
	पुनर्वि०	-0.01			
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।				
योजना (केन्द्रीय योजना)					
0403	सरकारी संस्कृत विद्यालय को सहायता		0.00	0.00	0.00
	मूल	86.41			
	पुनर्वि०	-86.41			
	प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा राशि प्राप्त नहीं होने कारण हुआ।				

अनुदान संख्या – 21 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
200 अन्य भाषाओं की शिक्षा (गैर-योजना)			
0002 गैर सरकारी मदरसा	67,88.14	51,77.94	-16,10.20
मूल	38,18.33		
अनुपूरक	29,69.82		
पुनर्वि०	-0.01		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
80 सामान्य			
004 अनुसंधान योजना (राज्य योजना)			
0118 राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	0.50	0.50	0.00
मूल	1,44.00		
पुनर्वि०	-1,43.50		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2202 सामान्य शिक्षा			
03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102 विश्वविद्यालयों को सहायता (गैर-योजना)			
0002 मगध विश्वविद्यालय (सहायक अनुदान)	2,51,05.66	2,51,05.66	0.00
मूल	1,98,07.11		
अनुपूरक	14,24.47		
पुनर्वि०	38,74.08		
0011 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (सहायक अनुदान)	1,50,39.31	1,50,39.31	0.00
मूल	1,08,12.81		
अनुपूरक	12,88.84		
पुनर्वि०	29,37.66		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2251 सचिवालय सामाजिक सेवाएँ			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0002 प्रथमिक, मध्यमिक, तथा व्यस्क शिक्षा विभाग	1,99.55	1,99.55	0.00
मूल	2,24.83		
अनुपूरक	5.00		
पुनर्वि०	-30.28		
प्रत्याशित बचत अन्य स्रोतों से शिक्षक दिवस पर वाणिज्यिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान देने के कारण हुआ।			



**अनुदान संख्या – 21 – क्रमांत**

**पूँजी (दत्तमत)**

- (iv) 19,53.60 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2008 (42.16 लाख रु०) और मार्च 2009 (76.25 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 1,18.41 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (1,63.44 लाख रु०), अंतिम बचत (19,53.60 लाख रु०) से 17,90.16 लाख रु० कम था।
- (vi) बचत (10 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
		<b>(लाख रूपयों में)</b>	
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01 सामान्य शिक्षा			
202 माध्यमिक शिक्षा योजना (राज्य योजना)			
0103 राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	41,12.32	23,22.16	-17,90.16
मूल	42,33.60		
अनुपूरक	42.16		
पुनर्वि०	-1,63.44		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या – 22 – गृह विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		(हजार रुपयों में)	
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2014 न्याय प्रशासन			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ			
2055 पुलिस			
2056 जेल			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>20,03,31,69</b>	<b>21,08,16,42</b>	<b>17,89,48,49</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>1,04,84,73</b>		
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>2,96,04,67</b>

**पूँजी :**  
**मुख्य शीर्ष**

4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय
4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

**दत्तमत :**

<b>मूल</b>	<b>1,33,71,85</b>	<b>3,47,76,61</b>	<b>2,02,54,93</b>	<b>-1,45,21,68</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>2,14,04,76</b>			
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>				<b>1,19,93,17</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ -  
राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 3,18,67.93 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (56,54.37 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (37,01.45 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (11,28.91 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 1,04,84.73 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (2,96,04.67 लाख रु०), अंतिम बचत (3,18,67.93 लाख रु०) से 22,63.26 लाख रु० कम था।

अनुदान संख्या – 22 – क्रमशः

(iii) बचत (25.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-				
शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2055	पुलिस			
00				
001	निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0003	केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय	15,75.57	15,72.91	-2.66
	मूल	7,80.00		
	अनुपूरक	4,15.09		
	पुनर्वि०	3,80.48		
	पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0006	उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय प्रतिपूर्ति भारत सरकार से होगी	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	43.00		
	पुनर्वि०	-43.00		
	संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
003	शिक्षा तथा प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0002	प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर	5,02.52	4,42.50	-60.02
	मूल	4,99.52		
	पुनर्वि०	-3.00		
	प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोग से राशि की प्राप्ति के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।			
0004	उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से होगी)	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	2,00.00		
	पुनर्वि०	-2,00.00		
	संपूर्ण प्रावधानों की अनुपयोगिता मांग की अप्राप्ति के कारण हुआ।			
0005	राज्य के बाहर विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भागीदारी	0.00	0.00	0.00
	मूल	4,00.00		
	पुनर्वि०	-4,00.00		
	संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0006	बिहार पुलिस एकेडमी	34.17	34.17	0.00
	मूल	97.01		
	पुनर्वि०	-62.84		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 22 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		
101 अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता (गैर-योजना)			
0003 भारत नेपाल सीमा पर चेक पोस्ट	2,89.69	2,89.69	0.00
मूल	2,38.16		
पुनर्वि०	51.53		
पुनर्वियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2009)।			
104 विशेष पुलिस (गैर-योजना)			
0001 अश्वारोही सैन्य पुलिस	1,98.09	1,98.09	0.00
मूल	5,33.28		
पुनर्वि०	-3,35.19		
प्रत्याशित बचत गैर योजना पर रोक के कारण हुआ।			
109 जिला पुलिस (गैर-योजना)			
0001 जिला कार्यकारी दल	8,03,98.51	8,03,98.51	0.00
मूल	8,96,33.45		
पुनर्वि०	-92,34.94		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0003 वामपंथी उग्रवादियों का प्रत्यर्पण	50.98	50.84	-0.14
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	-49.03		
प्रत्याशित बचत, योजना परिव्यय में कटौती के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0005 स्पेशल ऑकिजलरी पुलिस हेतु	87,67.42	86,40.04	-1,27.38
मूल	1,52,35.00		
पुनर्वि०	-64,67.58		
0006 उग्रवाद प्रभावित थानों/ओ०पी० के सुदृढीकरण हेतु (एस० आर० स्कीम के तहत)	2,59.67	2,24.62	-35.05
अनुपूरक	10,81.00		
पुनर्वि०	-8,21.33		
0007 एस. आर. ई. योजना से आच्छादित जिलों में स्थानीय जनता के बीच सामुदायिक पोलिसिंग पर व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	53.85	38.19	-15.66
अनुपूरक	75.00		
पुनर्वि०	-21.15		

अनुदान संख्या – 22 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0009 एस. आर. ई. योजना से आच्छादित जिलों में आपात स्थिति में किराए पर लिए जाने वाले वाहनो/हेलीकॉप्टर/संचार संसाधन (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	0.62	0.50	-0.13
अनुपूरक	1,00.00		
पुनर्वि०	-99.38		
उपर्युक्त चार मामलों में प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना)			
0611 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के लिए विशेष परियोजना	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	12,50.00		
पुनर्वि०	-12,50.00		
संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
111 रेल पुलिस (गैर-योजना)			
0001 बिना टिकट के यात्रियों के विरुद्ध अभियान	1,69.33	1,29.40	-39.93
मूल	1,93.10		
पुनर्वि०	-23.77		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
113 पुलिस कर्मियों का कल्याण (गैर-योजना)			
0001 चिकित्सालय व्यय	2,68.59	2,55.74	-12.85
मूल	3,45.71		
पुनर्वि०	-77.12		
प्रत्याशित बचत गैर-योजना पर रोक के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण (गैर-योजना)			
0001 पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि	7,11.20	7,11.20	0.00
मूल	36,00.00		
पुनर्वि०	-28,88.80		
प्रत्याशित बचत गैर-योजना पर रोक के कारण हुआ।			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0001 प्रतिनियुक्ति अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय	8,34.89	7,81.61	-52.88
मूल	0.02		
अनुपूरक	5,48.97		
पुनर्वि०	2,85.50		
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या – 22 – क्रमशः			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
0004	उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से होगी) अनुपूरक 3,68.64 पुनर्वि० -94.70	2,73.94	1,88.31	-85.63
	प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (राज्य योजना)				
0105	पुलिस प्रशासन के ढांचागत सुदृढीकरण एवं उन्नयन हेतु मूल 2,50.00 अनुपूरक 8,90.00 पुनर्वि० - 6,01.26	5,38.74	5,38.74	0.00
	प्रत्याशित बचत सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण हुआ।			
2056	जेल			
00				
101	जेल (गैर-योजना)			
0002	जिला जेल मूल 66,06.04 पुनर्वि० -15,81.42	50,24.62	50,24.62	0.00
	प्रत्याशित बचत नव सृजित पद पर बहाली नहीं होने के कारण हुआ।			
0003	उप जेल मूल 13,66.23 पुनर्वि० -3,55.19	10,11.04	9,99.79	-11.25
	प्रत्याशित बचत नव सृजित पद पर बहाली नहीं होने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2009)।			
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
00				
003	प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0005	गृह रक्षकों को आवृत्तिचर्या प्रशिक्षण मूल 10,01.66 पुनर्वि० -2,80.27	7,21.39	7,07.34	-14.05
	प्रत्याशित बचत निर्धारित कोटा के अनुसार प्रशिक्षण नहीं होने के कारण हुआ।			
107	होम गार्ड (गैर-योजना)			
0001	ग्रामीण मूल 76,81.48 अनुपूरक 2,25.93 पुनर्वि० -8,52.17	70,55.24	66,34.41	-4,20.83
	प्रत्याशित बचत मुख्यतः विपत्र पारित नहीं होने तथा स्वीकृत्यादेश की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 22 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
108 अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण (गैर-योजना)			
0001 अग्नि रक्षा सेवा	9,10.61	9,08.49	-2.12
मूल	10,11.31		
पुनर्वि०	-1,00.70		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 अग्निशामक उपकरणों का क्रय	87.49	87.49	0.00
अनुपूरक	16,40.23		
पुनर्वि०	-15,52.74		
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0021 बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग	78.77	78.77	0.00
अनुपूरक	1,11.57		
पुनर्वि०	-32.80		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
01 पुनर्वास			
202 अन्य पुनर्वास योजनाएँ (गैर-योजना)			
0004 आत्मसमर्पित अपराधियों एवं उनके परिवार के सर्वांगीण विकास हेतु	0.00	0.00	0.00
मूल	40.00		
पुनर्वि०	-40.00		
संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने का कारण डी० जी० पी० पटना तथा अन्य जिलों से आवंटन की माँग नहीं रहने के कारण हुआ।			
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200 अन्य कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0003 स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता	20,01.47	19,16.61	-84.86
मूल	21,71.76		
पुनर्वि०	-1,70.29		
प्रत्याशित बचत स्वतंत्रता सेनानी में कमी रहने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0004 दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत	2,33.64	2,33.64	0.00
मूल	2,00.00		
अनुपूरक	11,00.00		
पुनर्वि०	-10,66.36		
प्रत्याशित बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया।			

अनुदान संख्या – 22 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0006 द्वितीय विश्व युद्ध के विसर्जित सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को आर्थिक सहायता	13.34	12.85	-0.49
मूल	38.04		
पुनर्वि०	-24.70		
प्रत्याशित बचत द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों के विधवाओं से आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितमबर 2009)।			
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
80 सामान्य			
102 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, खुला क्षेत्र आपदा आकस्मिक योजना (गैर-योजना)			
0002 आपदा प्रबंधन हेतु	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	50.00		
पुनर्वि०	-50.00		
प्रत्याशित बचत आपदा प्रबंधन विभाग से भुगतान के लिए अनुशंसा की स्वीकृति नहीं प्राप्त होने के कारण हुआ।			
<b>राजस्व (प्रभारित)</b>			
(iv)	1,45,21.68 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (1,10,97.74 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (53,07.02 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (50,00.00 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 2,14,04.76 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।		
(v)	अभ्यर्पित प्रावधान (1,19,93.17 लाख रु०), अंतिम बचत (1,45,21.68 लाख रु०) से 25,28.51 लाख रु० कम था।		
(vi)	बचत (20.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-		
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4055 पुलिस पर पूँजीगत व्यय			
00			
050 भूमि योजना (राज्य योजना)			
0101 पुलिस स्टेशन/चौकी के लिए भूमि अधिग्रहण	7,75.00	7,75.00	0.00
मूल	7,75.00		
अनुपूरक	10,00.00		
पुनर्वि०	-10,00.00		
प्रत्याशित बचत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।			



शीर्ष	अनुदान संख्या – 22 – क्रमांत		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)				
207	राज्य पुलिस				
	गैर-योजना				
0001	पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि		86.44	86.44	0.00
	मूल	72,00.00			
	पुनर्वि०	-71,13.56			
	प्रत्याशित बचत गैर योजना पर रोक के कारण हुआ।				
	योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)				
0601	नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के लिए विशेष परियोजना		0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	12,50.00			
	पुनर्वि०	-12,50.00			
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
00					
050	भूमि				
	योजना (राज्य योजना)				
0102	केन्द्रीय मंडल/उपकाराओं एवं अन्य के भवन निर्माण (गृह कारा विभाग)		0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	16,46.90			
	पुनर्वि०	-16,46.90			
051	निर्माण				
	योजना (राज्य योजना)				
0101	भवन निर्माण-बिहार अग्निशामक सेवा		5,00.76	5,00.76	0.00
	मूल	5,00.00			
	अनुपूरक	62.77			
	पुनर्वि०	-62.01			
	उपर्युक्त तीनों मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।				
0103	केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं एवं अन्य के भवन निर्माण (गृह कारा विभाग)		34,67.49	9,69.15	-24,98.34
	मूल	12,00.00			
	अनुपूरक	22,95.00			
	पुनर्वि०	-27.51			
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है(सितम्बर 2009)।				
052	मशीनरी एवं उपस्कर				
	योजना (राज्य योजना)				
0101	जेल हेतु उपस्कर		74.51	74.51	0.00
	मूल	5,00.00			
	पुनर्वि०	-4,25.49			
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।				

**अनुदान संख्या – 23 – उद्योग विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रुपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग		
2852	उद्योग		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ		
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	3,15,93,04	3,50,11,31	1,95,96,76
अनुपूरक	34,18,27		-1,54,14,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			8,07
(31 मार्च 2009)			

**पूँजी (दत्तमत)**

**मुख्य शीर्ष**

4851	ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर पूँजीगत परिव्यय
6860	उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज
6885	उद्योग तथा खनिज पर अन्य कर्ज

**दत्तमत :**

मूल	65,47,00	2,94,17,04	2,82,02,76	-12,14,28
अनुपूरक	2,28,70,04			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				

(31 मार्च 2009)

**टीका एवं टिप्पणियाँ -**

**राजस्व (दत्तमत)**

- (iii) 1,54,14.55 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (25,00.00 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (7,06.07 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (2,12.20 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 34,18.27 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (iv) अभ्यर्पित प्रावधान (8.07 लाख रु०), अंतिम बचत (1,54,14.55 लाख रु०) से 1,54,06.48 लाख रु० कम था।
- (iii) बचत (20 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग		
00			
003	प्रशिक्षण योजना		
	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0601	प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अर्न्तगत शिक्षित बेरोजगार को स्वरोजगार के लिए सहायता	75.00	0.00
मूल	75.00		-75.00

अनुदान संख्या – 23 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
102 लघु उद्योग योजना (राज्य योजना)			
0103 जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना	25,83.69	16,27.55	-9,56.14
मूल	20,06.00		
अनुपूरक	5,77.69		
103 हस्तकरघा उद्योग (गैर-योजना)			
0001 हस्तकरघा विकास की योजना	1,65.36	29.13	-1,36.23
मूल	1,62.80		
अनुपूरक	2.56		
योजना (राज्य योजना)			
0103 हस्तकरघा विकास की योजना	22,28.00	1,08.44	-21,19.56
मूल	22,28.00		
0113 शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढीकरण	2,72.00	1,41.80	-1,30.20
मूल	2,72.00		
104 हस्तशिल्प उद्योग योजना (राज्य योजना)			
0101 हस्तशिल्प का विकास	24,77.50	1,82.43	-22,95.07
मूल	24,77.50		
105 खादी एवं ग्राम उद्योग योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता अनुदान	8,07.00	2,86.61	-5,20.39
मूल	8,07.00		
107 रेशम उत्पादन उद्योग (गैर-योजना)			
0001 रेशम उत्पादन का विकास	5,01.24	4,13.67	-87.57
मूल	5,01.24		
योजना (राज्य योजना)			
0101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना रेशम विकास	2,08.00	47.32	-1,60.68
मूल	2,08.00		

उपरोक्त मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।

अनुदान संख्या – 23 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2852 उद्योग			
80 सामान्य			
001 निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
0002 निदेशन	3,10.03	2,77.66	-32.37
मूल	2,75.66		
अनुपूरक	34.37		
0003 तकनीकी विकास निदेशालय की स्थापना	1,39.97	1,18.80	-21.17
मूल	1,35.23		
पुनर्वि०	4.74		
0004 सांख्यिकी कोषांग का सुदृढीकरण	50.00	24.81	-25.19
मूल	50.00		
योजना (केन्द्रीय योजना)			
0401 बिहार में पंजीकृत लघु उद्योगों का सर्वेक्षण	1,48.18	89.44	-58.74
पुनर्वि०	1,48.18		
102 औद्योगिक उत्पादकता			
योजना (राज्य योजना)			
0107 निर्यात प्रोत्साहन-औद्योगिक पार्क की स्थापना सहायक अनुदान	5,20.00	0.00	-5,20.00
मूल	5,20.00		
0110 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर को सहायता	1,58,00.00	1,02,00.00	-56,00.00
मूल	1,33,00.00		
अनुपूरक	25,00.00		
0142 प्रोजेक्ट एवं फीजिबिलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य	2,00.00	0.00	-2,00.00
मूल	2,00.00		
0150 सेंट्रल इस्टीच्यूट आफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी की स्थापना	58.00	30.00	-28.00
मूल	58.00		
0156 इन्टीग्रेटेड लोजिस्टिक हब हेतु सहायता अनुदान	1,09.00	0.00	-1,09.00
मूल	1,09.00		
0157 आइ०सी०डी०/सी०एस०एफ० शीलपुर योजना हेतु सहायता अनुदान	1,48.00	0.00	-1,48.00
मूल	1,48.00		
0159 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन	18,50.00	16,00.00	-2,50.00
मूल	18,50.00		

**अनुदान संख्या – 23 – क्रमांत**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0160 प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट-प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना	50,11.00	32,18.14	-17,92.86
मूल	50,11.00		
800 अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)			
0105 बिहार विकास एवं निवेश प्रोत्साहन परषद	30.00	0.00	-30.00
मूल	30.00		

उपरोक्त मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।

**पूँजी (दत्तमत)**

- (iv) 12,14.28 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (0.95 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (2,24,63.47 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (4,05.62 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 2,28,70.04 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (v) अंतिम बचत के किसी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया।
- (vi) बचत (25 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4851 ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय			
00 लघु उद्योग योजना (राज्य योजना)			
0102 टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर अनुपूरक	4,05.62	0.00	-4,05.62
मूल	4,05.62		
6885 उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज			
01 औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
योजना (राज्य योजना)			
0110 बिहार राज्य वित्तीय निगम को ऋण	38,00.00	30,00.00	-8,00.00
मूल	10.00		
अनुपूरक	37,90.00		

उपरोक्त दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2009).

**अनुदान संख्या – 24 – सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रुपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2220 सूचना तथा प्रचार			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>26,11,40</b>	<b>48,05,60</b>	<b>44,16,56</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>21,94,20</b>		
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</b>			<b>2,21,61</b>
<b>(31 मार्च 2009)</b>			
<b>पूँजी</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4220 सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>शून्य</b>	<b>5,03,49</b>	<b>4,92,61</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>5,03,49</b>		
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</b>			<b>शून्य</b>
<b>(31 मार्च 2009)</b>			

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-**

**राजस्व (दत्तमत)**

- 3,89.04 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (1,25.20 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (18,39.75 लाख रु०) एवं मार्च 2009 (2,29.25 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 21,94.20 लाख रु० अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (2,21.61 लाख रु०), अंतिम बचत (3,89.04 लाख रु०) से 1,67.43 लाख रु० कम था।
- बचत (10.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		
2220 सूचना तथा प्रचार			
01 फिल्म			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 निदेशन और प्रशासन	2,90.33	2,90.33	0.00
मूल	1,89.69		
अनुपूरक	1,38.99		
पुनर्वि०	-38.35		

प्रत्याशित बचत, मुख्यतः पी०टी०आई० से औजार की खरीद पर बिल की अप्रप्ति, औजार की खरीद पर प्रतिबन्ध तथा कर्मचारियों से आवेदन की अप्रप्ति के कारण हुआ।

अनुदान संख्या – 24 – क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
60 अन्य			
106 क्षेत्र प्रचार योजना (राज्य योजना)			
0101 क्षेत्रीय प्रचार योजना	6,04.41	5,68.90	-35.51
मूल	3,07.62		
अनुपूरक	3,40.00		
पुनर्वि०	-43.21		
0102 क्षेत्रीय प्रचार योजना—अनुसूचित जाति के लिए विशेष समेकित योजना	44.97	39.33	-5.64
मूल	57.38		
पुनर्वि०	-12.41		
उपरोक्त दोनों मामलों में प्रत्याशित बचत, योजनाओं के पुनरीक्षण तथा कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2251 सचिवालय—सामाजिक सेवायें			
00			
090 सचिवालय (गैर—योजना)			
0014 सूचना एवं जन संपर्क विभाग	18.15	12.80	-5.35
मूल	30.75		
अनुपूरक	0.20		
पुनर्वि०	-12.80		
प्रत्याशित बचत, मुख्यतः सचिव के वेतन तथा भते के मद में निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**पूँजी (दत्तमत)**

- (iv) 10.88 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (2,50.00 लाख रु०) तथा दिसम्बर 2008 (2,53.49 लाख रु०) में प्राप्त किया गया, 5,03.49 लाख रु० अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (v) अंतिम बचत के किसी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया।

**अनुदान संख्या – 25 – सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रुपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2852 उद्योग			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>63,00,77</b>	<b>63,16,01</b>	<b>4,63,46</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>15,24</b>		
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>58,52,55</b>

<b>पूँजी :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>42,65,00</b>	<b>42,65,00</b>	<b>24,71,50</b>
<b>अनुपूरक</b>			
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>17,93,50</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-**

**राजस्व (दत्तमत)**

(i) 58,52.55 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 15.24 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत (15 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
	<b>(लाख रुपयों में)</b>		
2852 उद्योग			
07 दूर-संचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग			
202 इलेक्ट्रानिक योजना (राज्य योजना)			
0101 राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कॉमन सर्विस सेन्टर	0.00	0.00	0.00
मूल	15,00.00		
पुनर्वि०	-15,00.00		
0103 ई-शासन परियोजनाओं की डी० पी० आर० हेतु	0.00	0.00	0.00
मूल	2,15.00		
पुनर्वि०	-2,15.00		
0104 ई-क्रय योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	-1,00.00		



शीर्ष	अनुदान संख्या – 25 – क्रमांत		वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	कुल अनुदान			
0105	राज्य की पोर्टल योजना			
	मूल	2,00.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-2,00.00		
0106	ज्ञान सिटी परियोजना			
	मूल	27,20.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-27,20.00		
0107	सूचना प्रावैधिकी संबंधी प्रचार-प्रसार योजना			
	मूल	3,20.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	-3,20.00		
	उपरोक्त छः मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं होने का कारण योजना का पुनरीक्षित स्वीकृति था।			
3451	सचिवालय-आर्थिक संवाएँ			
00				
090	सचिवालय (गैर योजना)			
0027	सूचना तकनीकी विभाग	63.46	63.46	0.00
	मूल	5,65.77		
	अनुपूरक	15.24		
	पुनर्वि०	-5,17.55		
	प्रत्याशित बचत स्वीकृत पदों के विरुद्ध कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुआ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0118	सचिवालय का स्थानीय नेटवर्क	4,00.00	4,00.00	0.00
	मूल	6,80.00		
	पुनर्वि०	-2,80.00		
	प्रत्याशित बचत योजना के पुनरीक्षित स्वीकृति के कारण हुआ।			
<b>पूँजी (दत्तमत)</b>				
(iv)	अधिक व्यय (15 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -	
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय		(लाख रुपयों में)	
02	इलेक्ट्रानिक			
800	अन्य व्यय			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान)	24,71.50	24,71.50	0.00
	मूल	39,65.00		
	पुनर्वि०	-14,93.50		
0102	सूचना प्रावैधिकी भवन	0.00	0.00	0.00
	मूल	3,00.00		
	पुनर्वि०	-3,00.00		
	उपर्युक्त मामलों में प्रत्याशित बचत योजना के पुनरीक्षित स्वीकृति के कारण हुआ।			

**अनुदान संख्या – 26 – श्रम संसाधन विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रुपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230 श्रम तथा रोजगार			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	1,20,89,40	1,36,77,93	85,46,78
अनुपूरक	15,88,53		-51,31,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			30,91,77

**पूँजी :**  
**मुख्य शीर्ष**

4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत :</b>			
मूल	11,00,50	13,00,50	5,90,75
अनुपूरक	2,00,00		-7,09,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			7,30,52

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-**  
**राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 51,31.15 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए जुलाई 2008 (41.30 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (11,88.15 लाख रु०) एवं मार्च 2009 (3,59.08 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 15,88.53 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (30,91.77 लाख रु०), अंतिम बचत (51,31.15 लाख रु०) से 20,39.38 लाख रु० कम था।

अनुदान संख्या – 26 – क्रमशः

(iii) बचत (20 लाख रू0 अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		(लाख रुपयों में)	
2230 श्रम तथा रोजगार			
01 श्रम			
101 राज्य योजना के अर्न्तगत औद्योगिक संबंध (गैर-योजना)			
0006 श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा प्रशासन	2,87.11	2,85.72	-1.39
मूल	3,60.40		
अनुपूरक	- 73.29		
प्रत्याशित बचत, कर्मचारियों के हड़ताल के कारण हुआ। अंतिम बचत कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (राज्य योजना)			
0108 श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन का सुदृढीकरण	78.49	54.02	-24.47
मूल	62.00		
अनुपूरक	24.73		
पुनर्वि०	-8.24		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
102 कार्य की परिस्थितियाँ तथा सुरक्षा (गैर-योजना)			
0002 कारखानों के निरीक्षक	1,76.18	1,76.18	0.00
मूल	2,08.14		
पुनर्वि०	-31.96		
प्रत्याशित बचत, कर्मचारियों के हड़ताल के कारण हुआ।			
103 सामान्य श्रम कल्याण योजना (राज्य योजना)			
0103 बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण	83.31	66.93	-16.38
मूल	58.25		
अनुपूरक	60.82		
पुनर्वि०	-35.76		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
109 श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना (राज्य योजना)			
0101 बीड़ी श्रमिकों के लिए गृह निर्माण हेतु	1,00.00	15.92	-84.08
मूल	1,00.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 26 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		
112 बंधुआ मजदूर का पुनर्वास योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0603 बंधुआ मजदूर का कल्याण कार्यक्रम	55.00	26.48	-28.52
मूल	55.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम	71.45	50.08	-21.37
मूल	68.75		
अनुपूरक	3.00		
पुनर्वि०	-0.30		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
114 उत्प्रवासी श्रम कल्याण योजना (राज्य योजना)			
0102 अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	40.18	40.00	-0.18
मूल	72.50		
पुनर्वि०	-32.32		
प्रत्याशित बचत निधि का पुनर्विनियोग देर से होने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
02 रोजगार सेवाएँ			
101 रोजगार सेवाएँ (गैर-योजना)			
0004 रोजगार कार्यालय की स्थापना	4,95.44	4,95.44	0.00
मूल	4,43.10		
अनुपूरक	1,24.46		
पुनर्वि०	-72.12		
प्रत्याशित बचत पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण हुआ ।			
03 प्रशिक्षण			
003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0607 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन	20,55.00	4,33.86	-16,21.14
मूल	20,55.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0105 पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारम्भ करना	1,10.00	0.00	-1,10.00
मूल	1,10.00		
संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			

अनुदान संख्या – 26 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0107 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन मूल 6,85.00 पुनर्वि० -5,16.84	1,68.16	1,59.83	-8.33
प्रत्याशित बचत योजन परिव्यय में कटौती के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0118 नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मूल 8,35.00 अनुपूरक 5,50.00 पुनर्वि० -5,22.69	8,62.31	8,62.31	0.00
प्रत्याशित बचत योजना परिव्यय में कटौती के कारण हुआ।			
101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (गैर-योजना)			
0001 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को राज्य परिषद प्रशासन मूल 19,74.32 पुनर्वि० -3,81.42	15,92.90	15,09.78	-83.12
102 प्रशिक्षु प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0001 प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना मूल 99.50 अनुपूरक 5.45 पुनर्वि० -28.70	76.25	76.25	0.00
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2235 समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60 अन्य समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 800 अन्य व्यय योजना (केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना)			
0603 आम आदमी के लिए बीमा योजना मूल 1,00.00	1,00.00	0.00	-1,00.00
संपूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (राज्य योजना)			
0104 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मूल 14,25.90 पुनर्वि० -10,39.93	3,85.97	3,85.97	0.00
प्रत्याशित बचत, ओ० आई० सी० द्वारा माँग को प्रस्तुत नहीं करने और केवल पाँच जिलों में योजना के कार्यान्वयन के कारण हुआ।			

अनुदान संख्या – 26 – क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
<b>पूँजी (दत्तमत)</b>			
(iv)	7,09.75 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए दिसम्बर 2008 में प्राप्त किया गया 200.00 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।		
(v)	अभ्यर्पित प्रावधान (7,30.52 लाख रु०), अंतिम बचत (7,09.75 लाख रु०) से 20.77 लाख रु० अधिक था।		
(vi)	बचत (10 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-		

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
00				
051	निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0101	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण	3,82.75	4,03.52	+20.77
	मूल	11,00.50		
	पुनर्वि०	-7,17.75		
प्रत्याशित बचत योजना परिव्यय में कटौती के कारण हुआ तथा बजट से अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।				

**अनुदान संख्या – 27 – विधि विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रुपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2014 न्याय प्रशासन			
2052 सचिवालय-समान्य सेवाएँ			
2250 अन्य सामाजिक सेवाएँ			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>2,41,71,47</b>	<b>2,63,22,71</b>	<b>1,92,78,15</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>21,51,24</b>		
(वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			<b>-70,44,56</b>
			<b>55,66,49</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-  
राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 70,44.56 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए जुलाई 2008 (16,15.33 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (4,46.82 लाख रु०) एवं मार्च 2009 (89.09 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 21,51.24 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (55,56.49 लाख रु०), अंतिम बचत (70,44.56 लाख रु०) से 14,78.07 लाख रु० कम था।
- (iii) बचत (20 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		
2014 न्याय प्रशासन			
00			
003 प्रशिक्षण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार न्यायिक सेवा	47.72	47.72	0.00
प्रशिक्षण संस्थान			
मूल	89.42		
पुनर्वि०	-41.70		
प्रत्याशित बचत, कुछ पदों के रिक्त रहने एवं मितव्ययिता के उपायों के कारण हुई थीं।			

अनुदान संख्या – 27- क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
105	सिविल एवं सत्र न्यायालय (गैर योजना)			
0001	सिविल एवं सत्र न्यायालय	1,75,07.84	1,64,99.63	-10,08.21
	मूल	1,97,00.15		
	अनुपूरक	21,31.74		
	पुनर्वि०	-43,24.05		
	प्रत्याशित बचत, मितव्ययिता के उपायों एवं कुछ पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना	(राज्य योजना)			
0701	सिविल एवं सत्र न्यायालय	13,86.99	13,35.85	-51.14
	मूल	19,94.73		
	अनुपूरक	0.02		
	पुनर्वि०	-6,07.76		
	प्रत्याशित बचत, मितव्ययिता के उपायों एवं कुछ पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
114	विधि सलाहकार और परामर्शदाता (गैर योजना)			
0001	विधि सलाहकार और परामर्शदाता	2.38.63	0.00	-2,38.63
	मूल	2,59.93		
	नुपूरक	1.47		
	पुनर्वि०	- 22.77		
	प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के उपायों एवं कुछ पद रिक्त रहने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0002	निर्धनों को कानूनी सहायता	92.19	88.76	- 3.43
	मूल	1,40.89		
	अनुपूरक	5.41		
	पुनर्वि०	- 54.11		
	प्रत्याशित बचत कुछ पद रिक्त रहने एवं व्यय की स्वीकृति नहीं प्राप्त होने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0003	सरकारी मुकदमा	8,95.71	8,70.10	-25.61
	मूल	12,53.41		
	पुनर्वि०	- 3,57.70		
	प्रत्याशित बचत, मितव्ययिता के उपायों के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
117	परिवार न्यायालय			
योजना	राज्य योजना			
0101	परिवार न्यायालय	3,09.26	1,58.84	-1,50.42
	मूल	4,22.20		
	पुनर्वि०	- 1,12.94		
	प्रत्याशित बचत, पीठासीन पदाधिकारी के पद का रिक्त रहने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			



**विनियोग संख्या – 28 – बिहार का उच्च न्यायालय  
(सभी प्रभारित)**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रुपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2014 न्याय प्रशासन			
<b>प्रभारित :</b>			
मूल	41,92,11	44,07,11	52,60,43
अनुपूरक	2,15,00		+8,53,32
(वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			6,12,54

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-**

**राजस्व (प्रभारित)**

- (i) विनियोग द्वारा 8,53,31,737 रु० के अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित है।
- (ii) 8,53.32 लाख रुपये की अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए जुलाई 2008 (1,05.00 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (1,00.00 लाख रु०) एवं मार्च 2009 (10.00 लाख रु०) में प्राप्त किया गया कुल 2,15.00 लाख रु० का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा 31 मार्च 2009 में अभ्यर्पित 6,12.54 लाख रु० न्यायोचित सिद्ध नहीं हुआ।
- (iii) अधिक व्यय (10 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		
2014 न्याय प्रशासन			
00			
102 उच्च न्यायालय (गैर-योजना)			
0001 उच्च न्यायालय, पटना	37,94.57	52,60.43	+14,65.86
मूल	41,92.11		
अनुपूरक	2,15.00		
पुनर्वि०	-6,12.54		

प्रत्याशित बचत तथा अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।

**अनुदान संख्या – 29 – खनन एवं भूतत्व विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रुपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>9,30,37</b>	<b>32,73,92</b>	<b>19,54,27</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>23,43,55</b>		<b>-13,19,65</b>
<b>(वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>2,14,67</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-**

**राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 13,19.65 लाख रुपये की अंतिम बचत को देखते हुए जुलाई 2008 (11,00.00 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (12,43.55 लाख रु०) में प्राप्त किया गया कुल 23,43.55 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (2,14.67 लाख रु०), अंतिम बचत (13,19.65 लाख रु०) से 11,04.98 लाख रु० कम था।
- (iii) बचत (10.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
02 खानों का विनियमन तथा विकास			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 खनन एवं भूतत्व स्थापना	8,41.31	8,32.29	-9.02
मूल	9,12.23		
अनुपूरक	1,41.05		
पुनर्वि०	-2,11.97		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 29 – क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
190	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों को खनिज अन्वेषण के लिए सहायता योजना (राज्य योजना)		
0101	बिहार राज्य खनिज विकास निगम को कोल ब्लॉक के संचालन हेतु अनुपूरक 22,00.00	22,00.00	11,04.18
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		-10,95.82

**अनुदान संख्या – 30 – अल्पसंख्यक कल्याण विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		(हजार रुपयों में)	
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2202 सामान्य शिक्षा			
2250 अन्य सामाजिक सेवाएँ			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>12,81,95</b>	<b>58,44,44</b>	<b>42,70,19</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>45,62,49</b>		<b>-15,74,25</b>
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>1,19,67</b>

**पूँजी :**  
**मुख्य शीर्ष**

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय				
5465 सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश				
<b>दत्तमत :</b>				
<b>मूल</b>	<b>12,89,00</b>	<b>12,89,00</b>	<b>12,15,80</b>	<b>-73,20</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>शून्य</b>			
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>				<b>शून्य</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-**  
**राजस्व(दत्तमत)**

- (i) 15,74.25 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जलाई 2008 (36,33.88 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (4,03.61 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (5,25.00 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 45,62.49 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (1,19.67 लाख रु०), अंतिम बचत (15,74.25 लाख रु०) से 14,54.58 लाख रु० कम था।

**अनुदान संख्या – 30 – क्रमशः**

(iii) बचत (15 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 107 छात्रवृत्ति योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0603 एक्स-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति अनूपूरक 25,74.03 अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।	25,74.03	14,28.53	-11,45.50
03 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 107 छात्रवृत्ति केन्द्रीय कार्यक्रम योजना योजना (केन्द्रीय योजना)			
0402 अल्पसंख्यक छात्रों को तकनीकी एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति अनूपूरक 7,94.39 अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।	7,94.39	5,07.25	-2,87.14
2250 अन्य सामाजिक सेवाएँ 00 800 अन्य व्यय योजना राज्य योजना			
0105 कॉलेज के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति मूल 1,90.00 पुनर्वि० -70.00 प्रत्याशित बचत, "मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना" के लिए राशि को उपलब्ध कराने के कारण हुआ।	1,20.00	1,20.00	0.00
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ 00 090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0011 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (प्वायंट प्रोग्राम कमिटी) मूल 93.41 अनूपूरक 17.84 पुनर्वि० -33.06 प्रत्याशित बचत, मितव्ययिता के उपायों एवं पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।	78.19	78.19	0.00

अनुदान संख्या – 30 – क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
(iv)	बचत के किसी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया ।		
(v)	बचत (10 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक है) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-		
4225	अनूसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
80	सामान्य		
800	अन्य व्यय		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण मूल 4,84.00	4,84.00	4,10.80
			-73.20
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		

**अनुदान संख्या – 31 – संसदीय कार्य विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रूपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	77,84	1,33,93	1,14,60
अनुपूरक	56,09		-19,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			शून्य

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-**  
राजस्व (दत्तमत)

- (i) 19.33 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (51.09 लाख रु०) एवं मार्च 2009 (5.00 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 56.09 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) बचत का कोई अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
- (iii) बचत (5.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रूपयों में)		
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0022 संसदीय कार्य विभाग	1,33.93	1,14.60	-19.33
मूल	77.84		
अनुपूरक	56.09		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 32 – विधान मण्डल

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रूपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
<b>राजस्व :</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
<b>दत्तमत :</b>				
मूल	62,85,69	65,33,63	55,27,77	-10,05,86
अनुपूरक	2,47,94			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				6,28,80
<b>प्रभारित :</b>				
मूल	31,01	31,01	50	-30,51
अनुपूरक				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				17,65

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-**  
राजस्व (दत्तमत)

- (i) 10,05.86 लाख रु० कीक अंतिम बचत को देखते हुए जुलाई 2008 (49.65 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (51.29 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (1,47.00 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 2,47.94 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (6,28.80 लाख रु०) अंतिम बचत (10,05.86 लाख रु०) से 3,77.06 लाख रु० कम था।



**अनुदान संख्या – 32 – क्रमशः**

(iii) बचत (15 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
(लाख रूपयों में)			
2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
02 राज्य/संघ राज्य रोग विधान मंडल			
101 विधान सभा (गैर-योजना)			
0004 व्हिप	1,58.54	1,38.81	-19.73
मूल	1,86.41		
अनुपूरक	15.00		
पुनर्वि०	-42.87		
प्रत्याशित बचत मुख्यतः बिजली के कम उपयोग करने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
102 विधान परिषद (गैर-योजना)			
0005 सदस्यगण	21,72.19	18,74.97	-2,97.22
मूल	25,94.45		
अनुपूरक	5.00		
पुनर्वि०	-4,27.26		
प्रत्याशित बचत मुख्यतः दूरभाष एवं बिजली के कम उपयोग करने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0006 सदस्यगण	5,76.39	5,16.30	-60.09
मूल	7,31.07		
अनुपूरक	-1,54.68		
प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i)माननीय सदस्यों द्वारा चेक प्राप्त न होने, (ii) आवश्यकतानुसार मुफ्त रेल कूपन क्रय करने तथा (iii) दूरभाष एवं बिजली एवं बिजली का बिल प्राप्त न होने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0007 व्हिप	58.36	58.36	0.00
मूल	1,03.11		
अनुपूरक	-44.75		
प्रत्याशित बचत मुख्यतः स्वीकृत पदों के विरुद्ध कर्मचारियों की बहाली नहीं होने के कारण हुई थी।			

अनुदान संख्या – 32 – क्रमांत

राजस्व (प्रभारित)

(iii) अभ्यर्पित प्रावधान (17.65 लाख रु०) अंतिम बचत (30.51 लाख रु०) से 12.86 लाख रु० कम था।

(iv) बचत (10 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
(लाख रूपयों में)			
2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
101 विधान सभा (गैर-योजना)			
0001 सभापति एवं उप-सभापति का वतन एवं भत्ते	7.39	0.50	-6.89
मूल	23.87		
पुनर्वि०	-16.48		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
102 विधान परिषद (गैर-योजना)			
0001 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते	5.96	0.00	-5.96
मूल	7.14		
पुनर्वि०	-1.18		

प्रत्याशित बचत का मुख्य कारण चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति संबंधी दावा तथा यात्रा-भत्ता संबंधी दावा प्रस्तुत नहीं करने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।

**अनुदान संख्या – 33 – कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रूपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2051			
2052			
2070			
2251			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>36,38,18</b>	<b>52,98,14</b>	<b>27,91,13</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>16,59,96</b>		
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>24,60,85</b>
<b>पूँजी :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4070			
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>11,39,00</b>	<b>16,39,00</b>	<b>16,09,13</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>5,00,00</b>		
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>29.87</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-  
राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 25,07.01 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए जुलाई 2008 (1,82.15 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (1,22.16 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (13,55.65 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 16,59.96 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक संकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (24,60.85 लाख रु०), अंतिम बचत (25,07.01 लाख रु०) से 46.16 लाख रु० कम था।

अनुदान संख्या – 33 – क्रमशः

(iii) बचत (15.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रूपयों में)		
2051 लेक सेवा आयोग			
00			
103 कर्मचारी चयन आयोग (गैर-योजना)			
0001 बिहार कर्मचारी चयन आयोग	2,12.92	2,12.55	-0.37
मूल	11,91.39		
अनुपूरक	20.00		
पुनर्वि०	-9,98.47		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0004 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधान विभाग	7,18.71	7,18.71	0.00
मूल	6,21.52		
अनुपूरक	2,02.95		
पुनर्वि०	-1,05.76		
0045 राज्य महादलित आयोग	68.43	34.64	-33.79
मूल	68.43		
2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें			
00			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0017 बिहार चुनाव प्राधिकार	1,11.35	1,11.35	0.00
अनुपूरक	13,86.00		
पुनर्वि०	-12,74.65		
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवायें			
00			
092 अन्य कार्यालय (गैर-योजना)			
0002 राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय	1,40.86	1,40.86	0.00
मूल	2,04.27		
अनुपूरक	10.00		
पुनर्वि०	-73.41		

उपर्युक्त चार मामलों में, प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया है (सितम्बर 2009)।

अनुदान संख्या – 33 – क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) 29.87 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए दिसम्बर 2008 में प्राप्त किया गया 5,00.00 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (v) बचत (10.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रूपयों में)		
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
00			
800	अन्य व्यय (राज्य योजना)		
0102	आवासीय भवनों का निर्माण (कार्मिक विभाग के लिए)	21.33	21.33
	मूल	50.00	
	पुनर्वि०	-28.67	
	प्रत्याशित बचत मुख्यतः आचारसंहिता के लागू होने से राशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ था।		0.00

**अनुदान संख्या – 34 – बिहार लोक सेवा आयोग  
(सभी प्रभारित)**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रुपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2051 लोक सेवा आयोग			
<b>प्रभारित :</b>			
मूल	7,30,10	8,98,98	-22,23
अनुपूरक	1,68,88		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			शून्य

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-  
राजस्व (प्रभारित)**

- (i) 22.23 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2009 में प्राप्त किया गया (38.88 लाख रु०) का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) बचत का कोई अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

**अनुदान संख्या – 35 – योजना एवं विकास विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		(हजार रुपयों में)	
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ			
2053 जिला प्रशासन			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>4,30,34,73</b>	<b>4,33,69,99</b>	<b>2,36,04,06</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>3,35,26</b>		<b>-1,97,65,93</b>
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>1,93,09,52</b>

**पूँजी  
मुख्य शीर्ष**

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>14,82,00</b>	<b>14,82,00</b>	<b>14,82,00</b>
<b>अनुपूरक</b>			<b>0.00</b>
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>शून्य</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-  
राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 1,97,65.93 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (3,14.74 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (20.52 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 3,35.26 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (1,93,09.52 लाख रु०), अंतिम बचत (1,97,65.93 लाख रु०) से 4,56.41 लाख रु० कम था।

**अनुदान संख्या – 35 क्रमशः**

(iii) बचत 20.00 लाख रू० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो मुख्यत निम्न के अर्न्तगत हुई

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		(लाख रुपयों में)		
2052	सचिवालय—सामान्य सेवायें			
090	सचिवालय			
	(गैर—योजना)			
0010	योजना एवं विकास विभाग	1,95.03	1,82.23	-12.80
	मूल	1,96.33		
	अनुपूरक	23.19		
	पुनर्वि०	-24.49		
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
0011	योजना तंत्र का सुदृढीकरण	64.31	62.87	-1.44
	मूल	91.22		
	अनुपूरक	0.02		
	पुनर्वि०	-26.93		
योजना	(राज्य योजना)			
0103	योजना तंत्र का सुदृढीकरण	3.57	3.57	0.00
	मूल	26,92.00		
	अनुपूरक	3,00.00		
	पुनर्वि०	-29,88.43		
2053	जिला प्रशासन			
00				
094	अन्य स्थापनायें			
	(गैर—योजना)			
0007	योजना तंत्र का सुदृढीकरण	4,54.87	4,54.87	0.00
	मूल	5,55.86		
	पुनर्वि०	-1,00.99		
800	अन्य व्यय			
योजना	(राज्य योजना)			
0102	योजना तंत्र का सुदृढीकरण	5,56.10	2,56.16	-2,99.94
	मूल	83,49.66		
	पुनर्वि०	-77,93.56		
0105	मुख्य मंत्री जिला विकास योजना	67,50.00	66,75.92	-74.08
	मूल	1,72,50.00		
	पुनर्वि०	-1,05,00.00		

उपर्युक्त पाँचों मामलों में, प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के स्पष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।



अनुदान संख्या – 35 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		(लाख रुपयों में)	
3454	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी		
02	सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी		
111	विशेष सांख्यिकी (जन्म-मृत्यु) (गैर-योजना)		
0001	समान्य सांख्यिकी का संग्रह	3,94.01	3,92.97
	मूल	4,48.51	
	अनुपूरक	0.72	
	पुनर्वि०	-55.22	
	प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के कारण हुई, अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।		
201	राष्ट्रीय प्रतिपूर्ति सर्वेक्षण संगठन (गैर-योजना)		
0002	राज्य सांख्यिकी संगठन का राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के साथ समन्वय	1,66.07	1,47.18
	मूल	2,02.44	
	पुनर्वि०	-36.37	
204	केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (गैर-योजना)		
0001	प्रखण्ड स्तर पर सांख्यिकी तंत्र	2,31.51	1,90.82
	मूल	3,36.73	
	पुनर्वि०	-1,05.22	
	उपर्युक्त मामलों में प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।		
0002	केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन	4,41.09	4,41.09
	मूल	5,40.77	
	अनुपूरक	2.00	
	पुनर्वि०	-1,01.68	
	प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन तथा क्षेत्रीय कार्यालय में हड़ताल के कारण हुई थी ।		
योजना	(केन्द्रीय योजना)		
0401	आर्थिक गणना	1.48	0.50
	मूल	50.00	
	पुनर्वि०	-48.52	
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0603	लघु सिंचाई सांख्यिकीय योजना के अन्तर्गत सांख्यिकी कक्ष का बनाना	13.69	13.65
	मूल	49.84	
	पुनर्वि०	-36.15	
0605	न्यायिक सर्वे के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना की जनगणना	1.88	1.69
	मूल	2,03.84	
	पुनर्वि०	-2,01.96	
	उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के कारण हुई थी । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।		

अनुदान संख्या – 35 – क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
योजना (राज्य योजना)			
0103 सांख्यिकीय कर्मियों का प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00
मूल	35.00		
पुनर्वि०	-35.00		
0107 सांख्यिकीय तंत्रों का कम्प्यूटरीकरण	0.00	0.00	0.00
मूल	20.00		
पुनर्वि०	-20.00		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत का मुख्य कारण योजना की मंजूरी नहीं होने के कारण हुई थी ।			
0109 वर्षा मापक यंत्र की खरीद एवं स्थापना	5.00	5.00	0.00
मूल	80.00		
पुनर्वि०	-75.00		
प्रत्याशित बचत का मुख्य कारण योजना की मंजूरी नहीं होने के कारण हुई थी ।			
0111 जिला/प्रमण्डल इकाई का गठन	24.40	24.40	0.00
मूल	95.00		
पुनर्वि०	-70.60		
प्रत्याशित बचत मुख्यतः प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी के पद का सृजन योजना से गैर योजना में किये जाने के कारण हुई थी ।			
0114 असैनिक निबंधन प्रणाली का सुदृढीकरण	22.74	22.43	-0.31
मूल	73.00		
पुनर्वि०	-50.26		
प्रत्याशित बचत मुख्यतः प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी के पद का सृजन योजना से गैर योजना में किये जाने के कारण हुई थी । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
0116 प्रपत्रों एवं प्रकाशनों का मुद्रण	0.00	0.00	0.00
मूल	45.00		
पुनर्वि०	-45.00		
प्रत्याशित बचत मुख्यतः मुद्रण प्रक्रिया के पूरी नहीं होने के कारण हुई थी ।			
(iv) अधिक व्यय (20.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-			
2053 जिला प्रशासन			
00			
800 अन्य व्यय			
योजना (राज्य योजना)			
0104 राष्ट्रीय समविकास योजना (पिछड़े जिलों के लिए प्रयास)	1,42,50.00	1,42,50.00	0.00
मूल	1,11,68.00		
पुनर्वि०	30,82.00		
30,82.00 लाख रु० का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि का कारण निधि का अप्रर्याप्त होना था ।			

**अनुदान संख्या – 36 – लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रुपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2215			
2251			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	2,15,55,45	2,67,16,91	2,40,98,74
अनुपूरक	51,61,46		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			26,06,32

**पूँजी :**  
**मुख्य शीर्ष**

4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत :</b>			
मूल	6,28,11,19	6,78,11,19	1,82,22,59
अनुपूरक	50,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			4,93,61,39

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-**  
**राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 26,18.17 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2008 (52.46 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (51,09.00 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 51,61.46 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (26,06.32 लाख रु०), अंतिम बचत (26,18.17 लाख रु०) से 11.85 लाख रु० कम था ।

**अनुदान संख्या – 36 – क्रमशः**

(iii) बचत (20.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
		<b>(लाख रुपयों में)</b>	
2215 जलापूर्ति तथा सफाई			
01 जलापूर्ति			
101 शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0004 नगर निगम की शहरी जलापूर्ति योजना	27,29.38	27,19.46	-9.92
मूल	35,47.12		
अनुपूरक	5.00		
पुनर्वि०	-8,22.74		
102 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0001 ग्रामीण जलापूर्ति योजना	64,95.54	64,95.54	0.00
मूल	72,74.75		
अनुपूरक	10.00		
पुनर्वि०	-7,89.21		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
198 ग्राम पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 ग्रामीण पंचायतों के चापाकलों की मरम्मती हेतु सहायक अनुदान	0.00	0.00	0.00
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	-5,00.00		
पिछले वर्ष के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			

**पूँजीगत (दत्तमत)**

(iv) 4,95,88.60 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 50,00.00 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथासंभव सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (4,93,61.39 लाख रु०), अंतिम बचत (4,95,88.60 लाख रु०) से 2,27.21 लाख रु० कम था।

**अनुदान संख्या – 36 – क्रमशः**

(vi) बचत (25.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय			
01 जलापूर्ति			
102 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0602 केन्द्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	98,38.16	98,38.16	0.00
मूल	3,97,10.00		
पुनर्वि०	-2,98,71.84		
प्रत्याशित बचत, मुख्यतः भारत सरकार द्वारा निधि को विमुक्त नहीं किये जाने एवं योजना का अनुमोदन नहीं होने के कारण हुई थी ।			
0603 त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना	1,15.45	1,15.45	0.00
मूल	4,00.00		
पुनर्वि०	-2,84.55		
प्रत्याशित बचत नई योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाईपो से) कार्य	16,37.58	16,37.58	0.00
मूल	60,78.34		
पुनर्वि०	-44,40.76		
प्रत्याशित बचत नई योजना स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी ।			
0102 20,000 आबादी तक के ग्राम क्षेत्र / उपनगरी	1,07.52	1,07.52	0.00
मूल	1,50.00		
पुनर्वि०	-42.48		
0103 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (टयूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)	12,49.28	12,49.28	0.00
मूल	46,57.85		
पुनर्वि०	-34,08.57		
0112 केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का राज्यांश भूगर्भीय जल रिचार्ज एवं रेन-वाटर हारवेस्टिंग	8.94	0.00	-8.94
मूल	1,50.00		
पुनर्वि०	-1,41.06		
0115 जल संरक्षण, भूगर्भीय जल रिचार्ज एवं रेन-वाटर हारवेस्टिंग	1,45.26	1,45.26	0.00
मूल	2,50.00		
पुनर्वि०	-1,04.74		

अनुदान संख्या – 36 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
0116	ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु नावार्ड से ऋण	14,87.58	13,84.50	-1,03.08
	मूल	45,00.00		
	पुनर्वि०	-30,12.42		
0117	भारत निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित/जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों के आच्छादन हेतु नलकूपों का निर्माण	1,18.15	30.24	-87.91
	मूल	4,00.00		
	पुनर्वि०	-2,81.85		
	उपर्युक्त छः मामलों में प्रत्याशित बचत मुख्यतः वार्षिक योजना में कटौती के कारण हुई थी एवं तीन मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
0118	प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में ग्रामीण जलापूर्ति	5,43.88	5,43.88	0.00
	मूल	15,00.00		
	पुनर्वि०	-9,56.12		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
0119	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-ट्यूबवेल्स	2,54.60	2,54.60	0.00
	मूल	4,00.00		
	पुनर्वि०	-1,45.40		
	प्रत्याशित बचत मुख्यतः वार्षिक योजना में कटौती के कारण हुई थी ।			
0120	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना	28.11	0.81	-27.30
	मूल	4,00.00		
	पुनर्वि०	-3,71.89		
	प्रत्याशित बचत मुख्यतः वार्षिक योजना में कटौती के कारण हुई थी ।			
0121	क्रेस ग्रामीण जलापूर्ति योजना	0.00	0.00	0.00
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	-50.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग मुख्यतः वार्षिक योजना में कटौती के कारण हुई थी ।			
800	अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0001	सरकारी भवनों में जलापूर्ति	2,86.05	2,86.05	0.00
	मूल	7,65.00		
	पुनर्वि०	-4,78.95		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
02	मल-जल तथा सफाई			
106	मल-जल सेवाएं योजना (राज्य योजना)			
0101	ग्रामीण स्वच्छता	25,17.00	25,17.00	0.00
	मूल	25,00.00		
	अनुपूरक	50,00.00		
	पुनर्वि०	-49,83.00		
	प्रत्याशित बचत मुख्यतः वार्षिक योजना में कटौती के कारण हुई थी ।			

अनुदान संख्या – 36 – क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0104 शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण मूल 3,00.00 पुनर्वि० -1,87.75 प्रत्याशित बचत मुख्यतः वार्षिक योजना में कटौती के कारण हुई थी ।	1,12.25	1,12.25	0.00
800 अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)			
0102 श्मशान घाट का आधुनिकीकरण एवं विकास मूल 5,00.00 पुनर्वि० -5,00.00 सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने का कारण मुख्यतः निविदा का निष्पादन नहीं होना था ।	0.00	0.00	0.00
0103 बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन की प्रशिक्षण सह-शोध केन्द्र के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु अनुदान मूल 1,00.00 पुनर्वि० -1,00.00 प्रत्याशित बचत नहीं होने का कारण मुख्यतः प्राधिकार पत्र का अप्राप्त होना था ।	0.00	0.00	0.00

**अनुदान संख्या – 37 – ग्रामीण कार्य विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रुपयो में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3054 सड़के तथा सेतु			
3451 सचिवालय – आर्थिक सेवाएँ			
<b>दत्तमत:</b>			
<b>मूल</b>	<b>2,54,18,23</b>	<b>3,48,78,68</b>	<b>2,78,97,26</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>94,60,45</b>		
<b>वर्ष दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>64,90,31</b>
<b>पूँजी :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत-परिव्यय			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>11,68,33,00</b>	<b>16,08,33,00</b>	<b>11,79,65,14</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>4,40,00,00</b>		
<b>वर्ष दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>1,42,93,00</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-**

**राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 69,81.42 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (92,61.00 लाख रु०) तथा दिसम्बर 2008 (1,99.45 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 94,60.45 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (64,90.31 लाख रु०), अंतिम बचत (69,81.42 लाख रु०) से 4,91.11 लाख रु० कम था।
- (iii) बचत (20 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
001 निदेशन और प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0108 ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों के स्थापना	53,00.01	49,98.63	-3,01.38
अनुपूरक	60,81.00		
पुनर्वि०	-7,80.99		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			



अनुदान संख्या – 37 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3054 सड़क तथा सेतु			
04 जिला तथा अन्य सड़कें			
105 रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
0001 ग्राम सड़क अन्य रख-रखाव	1,86,88.73	1,84,99.00	-1,89.73
मूल	2,10,00.00		
अनुपूरक	31,80.00		
पुनर्वि०	-54,91.27		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2008)।			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0029 ग्राम्य अभियंत्रण विभाग	1,38.43	1,38.43	0.00
मूल	1,72.70		
पुनर्वि०	-34.27		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2008)।			

**पूँजी (दत्तमत)**

- (iv) 4,28,67.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए जुलाई 2008 (1,40,00.00 लाख रु०) तथा दिसम्बर 2008 (3,00,00.00 लाख रु०) में प्राप्त किया गया रु० 4,40,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) अभ्यर्पित प्रवधान (1,42,93.00 लाख रु०), अंतिम बचत (4,28,67.86 लाख रु०) से 2,85,74.86 लाख रु० कम था ।
- (vi) बचत (25 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत-परिव्यय			
103 ग्रामीण विकास योजना (राज्य योजना)			
0105 ग्राम विकास की परियोजनाएँ (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	2,40,00.00	14,76.61	-2,25,23.39
मूल	2,40,00.00		
कुल 2,25,23.39 लाख रु० के अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0109 विधायको एवं विधान पार्षदों की अनुशंसा पर योजनाओं का कार्यान्वयन	2,10,46.06	2,06,23.59	- 4,22.47
मूल	3,35,00.00		
पुनर्वि०	-1,24,53.94		

अनुदान संख्या – 37 – क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
800 अन्य-व्यय योजना (राज्य योजना)			
0101 आपकी सरकार आपके द्वारा	56,29.00	0.00	-56,29.00
अनुपूरक	70,00.00		
पुनर्वि०	-13,71.00		
उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			

**अनुदान संख्या – 38 – निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
	<b>(हजार रुपयों में)</b>		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2030	स्टाम्प तथा पंजीकरण		
2039	राज्य उत्पादन		
2052	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ		
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>59,71,81</b>	<b>64,56,60</b>	<b>61,96,90</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>4,84,79</b>		
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>10,68,62</b>

<b>पूँजी :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>2,36,00</b>	<b>12,77,71</b>	<b>7,28,71</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>10,41,71</b>		
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>3,75,71</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-  
राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 2,59.70 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए जुलाई 2008 (1,06.50 लाख रु०) तथा दिसम्बर 2008 (3,78.29 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 4,84.79 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (10,68.62 लाख रु०), अंतिम बचत (2,59.70 लाख रु०) से 8,08.92 लाख रु० अधिक था।
- (iii) बचत (15 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
	<b>(लाख रुपयों में)</b>		
2030	स्टाम्प तथा पंजीकरण		
01	स्टाम्प—न्यायिक		
101	स्टाम्पों की लागत (गैर—योजना)		
0001	20.99	26.65	+5.66
	केन्द्रीय स्टाम्प भंडार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत		
	मूल 1,25.00		
	पुनर्वि० -1,04.01		

प्रत्याशित बचत, नासिक प्रेस द्वारा न्यायिक स्टाम्पों की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण हुई थी। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2009)।

अनुदान संख्या – 38 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0002 प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत मूल 25.00 पुनर्वि० -25.00	0.00	0.00	0.00
प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद द्वारा 10 तथा 20 रु० मूल्य के न्यायिक स्टाम्पों की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			
2030 02 001			
स्टाम्प तथा पंजीकरण स्टाम्प-न्यायिकेतर निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001	22.02	70.78	+48.76
अधिक्षण मूल 27.19 पुनर्वि० -5.17			
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
101			
स्टाम्पों की लागत (गैर-योजना)			
0001	5,00.87	5,97.79	+96.92
केन्द्रीय स्टाम्प भंडार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत मूल 2,50.00 अनुपूरक 2,52.86 पुनर्वि० -1.99			
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0002	90.37	1,12.94	+22.57
प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत मूल 70.00 अनुपूरक 20.37			
अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
03 001			
पंजीकरण निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001	1,39.58	2,44.90	+1,05.32
अधिक्षण मूल 1,69.75 अनुपूरक 2.20 पुनर्वि० -32.37			
0002	21,82.86	27,14.46	+5,31.60
जिला प्रभार मूल 24,47.87 पुनर्वि० -2,65.01			
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या – 38 – क्रमांत**

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
		<b>(लाख रुपयों में)</b>	
0004 विवाह निबंधन पंजी रजिस्ट्रों एवं प्रपत्रों की छपाई लागत	1.72	0.72	-1.00
मूल	1.00		
अनुपूरक	5.00		
पुनर्वि०	-4.28		

प्रत्याशित बचत, निधि के अपर्याप्त प्रावधान के कारण हुआ था । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।

**पूँजी (दत्तमत)**

- (iv) 5,49.00 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 10,41.71 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (3,75.71 लाख रु०), अंतिम बचत (5,49.00 लाख रु०) से 1,73.29 लाख रु० कम था ।
- (vi) बचत (10.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
		<b>(लाख रुपयों में)</b>	

4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
039 राज्य उत्पाद शुल्क योजना (राज्य योजना)			
0101 बैरक, हाजत, प्रदर्शन, मालखाना एवं प्रयोगशाला हेतु	66.00	51.00	-15.00
मूल	1,00.00		
अनुपूरक	3,41.71		
पुनर्वि०	-3,75.71		
प्रत्याशित बचत, तकनीकी कारणों से योजना के स्थगित होने के कारण हुई थी ।			
800 अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)			
0101 कार्यालय का जीर्णोद्धार-निबंधन कार्यालयों के लिए	8,36.00	6,77.71	-1,58.29
मूल	1,36.00		
अनुपूरक	7,00.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			

**अनुदान संख्या – 39 – आपदा प्रबंधन विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रुपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>7,96,79,83</b>	<b>29,51,58,92</b>	<b>13,99,75,04</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>21,54,79,09</b>		<b>-15,51,83,88</b>
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>3,37,51,95</b>

<b>पूँजी :</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
<b>दत्तमत :</b>				
<b>मूल</b>	<b>शून्य</b>	<b>26,36,24</b>	<b>26,36,24</b>	<b>0.00</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>26,36,24</b>			
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>				<b>शून्य</b>

**टीका और टिप्पणियाँ –**

**राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 15,51,83.88 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (3,27,16.60 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (16,78,57.28 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (1,49,05.21 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 21,54,79.09 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (3,37,51.95 लाख रु०), अंतिम बचत (15,51,83.88 लाख रु०) से 12,14,31.93 लाख रु० कम था ।
- (iii) बचत (25 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
	<b>(लाख रुपयों में)</b>		
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ			
00			
106 सिविल रक्षा (गेर-योजना)			
0002 जिला प्रभार	58.18	35.04	-23.14
<b>मूल</b>	<b>30.66</b>		
<b>अनुपूरक</b>	<b>31.50</b>		
<b>पुनर्वि०</b>	<b>-3.98</b>		

प्रत्याशित बचत व्यय में मितव्ययता बरतने के कारण हुआ, अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।

अनुदान संख्या – 39 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		(लाख रुपयों में)	
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
01 पुनर्वास			
200 अन्य राहत उपाय (गैर-योजना)			
0004 कटाव से विस्थापितों को हुई भूमि की क्षति के लिए सहाय्य अनुदान	2,74.82	2,74.82	0.00
मूल	1,50.00		
अनुपूरक	2,58.46		
पुनर्वि०	-1,33.64		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200 अन्य कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0008 आपदा में मृत अथवा घायल व्यक्तियों/परिवारों को अनुदान	35.00	31.77	-3.23
अनुपूरक	1,00.00		
पुनर्वि०	-65.00		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01 सूखा			
102 पीने के पानी की पूर्ति (गैर-योजना)			
0001 ट्रको एवं टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति	0.00	0.00	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	-1,00.00		
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0001 जलापूर्ति हेतु कुँओं आदि की मरम्माति	0.00	0.00	0.00
मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	-2,00.00		
0003 अन्य कार्य (कृषि विभाग हेतु कृषि इनपुट अनुदान)	0.00	0.00	0.00
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	-5,00.00		
0004 स्व-रोजगार	0.00	0.00	0.00
मूल	1,45.00		
पुनर्वि०	-1,45.00		

उपर्युक्त चारों मामलों में संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने का कारण था कि राज्य में पर्याप्त बारिश होने के कारण किसी भी जिले में सूखे की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई ।

अनुदान संख्या – 39 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		
02 बाढ़, चक्रवात आदि			
101 आनुग्राहिक राहत (गैर-योजना)			
0001 निःसहायों तथा विकलांगों को नगद अनुदान	33,42.69	33,42.69	0.00
मूल	30,00.00		
अनुपूरक	15,00.00		
पुनर्वि०	-11,57.31		
प्रत्याशित बचत का कारण कोशी-बाढ़ प्रभावित जिलों में व्यय के बाद अत्यधिक राशि का अभ्यर्पण किया जाना था ।			
0002 खाद्यान्न की आपूर्ति	2,08,04.87	2,07,05.51	-99.36
मूल	47,00.00		
अनुपूरक	2,00,00.00		
पुनर्वि०	-38,95.13		
संपूर्ण प्रावधान के उपयोगी नहीं किए जाने का कारण था कि राज्य में पर्याप्त बारिश होने के कारण किसी भी जिले में सूखे की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई ।			
0003 संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	13,52.21	13,52.21	0.00
मूल	3,50.00		
अनुपूरक	25,00.00		
पुनर्वि०	-14,97.79		
प्रत्याशित बचत का कारण कोशी-बाढ़ प्रभावित जिलों में व्यय के बाद अत्यधिक राशि का अभ्यर्पण किया जाना था ।			
0004 प्रभावितों को कपड़ों एवं बरतन का मुफ्त वितरण	1,24,99.08	74,60.70	-50,38.38
मूल	50.00		
अनुपूरक	1,30,00.00		
पुनर्वि०	-5,50.92		
प्रत्याशित बचत का कारण कोशी-बाढ़ प्रभावित जिलों में व्यय के बाद अत्यधिक राशि का अभ्यर्पण किया जाना था । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
0005 आग लगने से राहत कार्य के लिए नगद अनुदान	1,39.76	1,39.10	-0.66
मूल	2,50.00		
पुनर्वि०	-1,10.24		
प्रत्याशित बचत का कारण कोशी-बाढ़ प्रभावित जिलों में व्यय के बाद अत्यधिक राशि का अभ्यर्पण किया जाना था ।			
0006 आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	1,63.85	1,49.68	-14.17
मूल	2,00.00		
अनुपूरक	1,00.00		
पुनर्वि०	-1,36.15		
प्रत्याशित बचत का कारण कोशी-बाढ़ प्रभावित जिलों में व्यय के बाद अत्यधिक राशि का अभ्यर्पण किया जाना था ।			



अनुदान संख्या – 39 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0007 आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्र आदि के लिए अनुदान	57.74	57.74	0.00
मूल	50.00		
अनुपूरक	1,00.00		
पुनर्वि०	-92.26		
प्रत्याशित बचत का कारण कोशी-बाढ़ प्रभावित जिलों में व्यय के बाद अत्यधिक राशि का अभ्यर्पण किया जाना था ।			
102 पीने के पानी की पूर्ति (गैर-योजना)			
0001 पेयजल की आपूर्ति	7,94.51	97.28	-6,97.23
मूल	1,50.00		
अनुपूरक	21,50.00		
पुनर्वि०	-15,05.49		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
104 चारे की पूर्ति (गैर-योजना)			
0001 चारे की पूर्ति	5,75.02	1,04.46	-4,70.56
मूल	1,10.00		
अनुपूरक	20,00.00		
पुनर्वि०	-15,34.98		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
105 पशु चिकित्सा (गैर-योजना)			
0001 पशुओं के लिए दवा	1,22.85	1,22.85	0.00
मूल	1,00.00		
अनुपूरक	12,00.00		
पुनर्वि०	-11,77.15		
प्रत्याशित बचत के विशेष कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
106 खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापन (गैर-योजना)			
0001 क्षतिग्रस्त सड़कों-पुलों की मरम्मत तथा प्रत्यास्थापन	59,15.67	59,15.67	0.00
मूल	15,00.00		
अनुपूरक	55,00.00		
पुनर्वि०	-10,84.33		
प्रत्याशित बचत के लिए विशेष कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			

अनुदान संख्या – 39 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		(लाख रुपयों में)	
107 क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनःस्थापन (गैर-योजना)			
0001 सरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा भवनों की मरम्मत एवं पुनःस्थापन	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
अनुपूरक	1,00.00		
पुनर्वि०	-1,50.00		
संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
108 सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत तथा पुनःस्थापन (गैर-योजना)			
0001 सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत तथा पुनःस्थापन	0.00	0.00	0.00
मूल	10.00		
अनुपूरक	5,00.00		
पुनर्वि०	-5,10.00		
संपूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारण को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
109 खराब जलापूर्ति, नालों एवं मल-प्रवाह प्रणाली की मरम्मत एवं पुनःस्थापन (गैर-योजना)			
0001 खराब जलापूर्ति, नालों एवं मल-प्रवाह प्रणाली की मरम्मत एवं पुनःस्थापन	6,25.00	59.49	-5,65.51
मूल	30.00		
अनुपूरक	10,00.00		
पुनर्वि०	-4,05.00		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
112 जनसंख्या का निष्क्रमण (गैर-योजना)			
0002 जनसंख्या का निष्क्रमण	89,58.90	64,35.82	-25,23.08
मूल	20,00.00		
अनुपूरक	1,15,00.00		
पुनर्वि०	-45,41.10		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0003 आपदा प्रभावितों की खोज एवं बचाव कार्य हेतु बचाव निष्क्रमण यंत्रों का क्रय	0.00	0.00	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	-1,00.00		
संपूर्ण प्रावधानों के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या – 39 – क्रमशः			अधिक व्यय + बचत -
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(लाख रुपयों में)	
113	घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता (गैर-योजना)			
0001	बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनः स्थापन	1,32,91.98	1,00,31.68	-32,60.30
	मूल	3,00.00		
	अनुपूरक	1,77,00.00		
	पुनर्वि०	-47,08.02		
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
0002	आग से जले मकानों की मरम्मत/ पुनर्निर्माण	0.00	0.00	0.00
	मूल	2,00.00		
	पुनर्वि०	-2,00.00		
	राशि की माँग नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ था ।			
0003	अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/ पुनर्निर्माण	0.00	0.00	0.00
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	-50.00		
	राशि की माँग नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ था ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0103	बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/ पुनर्निर्माण	4,66,00.00	3,37,40.04	-1,28,59.96
	मूल	4,66,00.00		
	अंतिम बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
114	कृषि लागतों के क्रय हेतु किसानों को सहायता (गैर-योजना)			
0001	कृषि इनपुट अनुदान (क्षति-ग्रस्त फसलों के लिए)	59,89.06	43,19.63	-16,69.43
	मूल	50.00		
	अनुपूरक	75,00.00		
	पुनर्वि०	-15,60.94		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
0002	वार्षिक फसलों के लिए सहायता	0.00	0.00	0.00
	मूल	2,00.00		
	पुनर्वि०	-2,00.00		
0003	कृषि फसलों के लिए सहायता	0.00	0.00	0.00
	मूल	6,00.00		
	पुनर्वि०	-6,00.00		
0004	बागवानी की फसलों के लिए सहायता	0.00	0.00	0.00
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	-50.00		

शीर्ष	अनुदान संख्या – 39 – क्रमशः			अधिक व्यय + बचत -
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(लाख रुपयों में)	
0005	पेरिनियल (शाश्वत) फसलों के लिए सहायता	0.00	0.00	0.00
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	-50.00		
115	उक्त चारों मामलों में राशि की माँग नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ था। भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता (गैर-योजना)			
0001	भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता	1,25,47.12	1,20,70.95	-4,76.17
	मूल	1,00.00		
	अनुपूरक	1,54,00.00		
	पुनर्वि०	-29,52.88		
0002	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)। मत्स्य प्रक्षेत्र से गाद, बालू आदि का निष्कासन	0.00	0.00	0.00
	मूल	1,00.00		
	पुनर्वि०	-1,00.00		
116	खराब ट्यूबवेलों, पम्पसेटों आदि की मरम्मत के लिए किसानों को सहायता (गैर-योजना)			
0001	खराब ट्यूबवेलों, पम्पसेटों आदि की मरम्मत के लिए किसानों को सहायता	0.00	0.00	0.00
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	-50.00		
117	उक्त दो मामलों में राशि की माँग नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ था। पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता (गैर-योजना)			
0001	बाढ़/सुखाड़ ग्रस्त पशुओं का बदलाव	1,22.70	1,22.70	0.00
	मूल	1,50.00		
	पुनर्वि०	-27.30		
0002	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)। दुधारू पशुओं का बदलाव	0.00	0.00	0.00
	मूल	15.00		
	अनुपूरक	50.00		
	पुनर्वि०	-65.00		
	राशि की माँग नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।			

अनुदान संख्या – 39 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		(लाख रुपयों में)	
118 मछली पकड़ने के लिए खराब किशितयों तथा उपकरण की मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए सहायता (गैर-योजना)			
0001 क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत/नए नावों का निर्माण	36.58	36.58	0.00
मूल	1,00.00		
अनुपूरक	50.00		
पुनर्वि०	-1,13.42		
प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
122 खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यो का मरम्मत तथा पुनः स्थापना (गैर-योजना)			
0001 खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यो का मरम्मत तथा पुनः स्थापना	67,16.78	1,12.41	-66,04.37
मूल	1,00.00		
अनुपूरक	66,86.00		
पुनर्वि०	-69.22		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
282 लोक स्वास्थ्य (गैर-योजना)			
0001 मानव दवाओं की आपूर्ति	6,69.79	5,36.04	-1,33.75
मूल	1,00.00		
अनुपूरक	20,00.00		
पुनर्वि०	-14,30.21		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
0003 चलन्त स्वास्थ्य केन्द्र हेतु पी०ओ०एल० की आपूर्ति	90.56	45.21	-45.35
मूल	20.00		
अनुपूरक	5,00.00		
पुनर्वि०	-4,29.44		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0003 विभिन्न पंचायतों में भूखमरी से प्रभावित परिवारों के लिए एक क्विंटल खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	-50.00		
राशि की माँग नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था ।			

अनुदान संख्या – 39 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		(लाख रुपयों में)	
0005	स्वरोजगार योजना हेतु ग्रामीण विकास को नकद राशि की आपूर्ति मूल 2,00.00 पुनर्वि० -2,00.00	0.00	0.00
	राशि की माँग नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था ।		
0006	कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति मूल 5.00 अनुपूरक 10,20.00 पुनर्वि० -9,63.46	61.54	54.54
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।		
80	सामान्य		
001	निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)		
0002	बिहार राज्य का आपदा प्रबंधन अनुपूरक 80.66 पुनर्वि० -59.18	21.48	21.48
	प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।		

### पूँजी (दत्तमत)

सकल बजट बनाने की पद्धति के अधीन विधानमंडल में उपस्थापित अनुदानों की माँग व्यय के लिए अपेक्षित सकल राशि के लिए होती है। फलतः वसूली की राशि, जिसे लेखे में व्यय में कमी के रूप में समायोजित किया जाता है, को उपेक्षित किया जाता है एवं बजट में माँग के बाहर वसूली के रूप में दर्शाया जाता है। योजना में निर्धारित किए गए बजट एवं लेखाकरण प्रक्रिया के अनुसार भी जितना राहत व्यय निधि से वित्त पोषित किया जाता है, उसे राज्य सरकार के अनुदानों की माँग के बाहर वसूली के रूप में दर्शाया जाता है। उसके विपरीत, सकल राशि में से जितना राहत व्यय (3,91,70.43 लाख रु०) आपदा राहत निधि से वित्त पोषित किया जाता था, उसे घटाने के बाद निकले निवल राशि के लिए अनुदान प्राप्त किया गया था ।

#### (iv) आपदा राहत निधि (नियमित)

बारहवीं वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदा राहत सहायता देने की एक योजना बनाई। यह योजना वित्तीय वर्ष 2005-2006 से लागू हुई तथा वित्तीय वर्ष 2009-2010 के अंत तक जारी रहेगी । इस योजना के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदा राहत सहायता के लिए आपदा राहत निधि का सृजन करना है ।

निधि में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा जबकि 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना में यह शर्त भी है कि निधि में होने वाली वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से निम्नलिखित प्रतिमान के अनुसार किया जाएगा :-

- (क) केन्द्रीय सरकार के दिनांकित प्रतिभूति;
- (ख) नीलाम किए गए खजाना बिल;
- (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा सर्टिफिकेट; और
- (घ) सहकारी बैंकों में ब्याज वाले जमा ।

**अनुदान संख्या – 39 – क्रमांत**

आपदा राहत निधि में वित्तीय वर्ष 2005-2006 से 2009-2010 के प्रत्येक वर्ष के लिए बिहार के वार्षिक अंशदान की राशि निम्नवत होगी :-

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	योग
	(करोड़ रुपयों में)					
केन्द्र का हिस्सा (75%)	111.69	114.92	118.31	121.86	125.59	592.37
राज्य का हिस्सा (25%)	37.23	38.31	39.44	40.62	41.86	197.46
कुल	148.92	153.23	157.75	162.48	167.45	789.83

आपदा राहत निधि में वर्ष 2005-2006 के लिए केन्द्र का अंशदान 55.8450 करोड़ रु० 7 नवम्बर 2005 को विमुक्त किया गया था एवं राज्य सरकार का अंशदान 18.6150 करोड़ रु० निधि में अंतरित नहीं किया गया, यद्यपि इसे राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2006 को ही स्वीकृत कर दिया गया था।

भारत सरकार द्वारा आपदा राहत निधि में केन्द्र के हिस्से का अंशदान वर्ष 2005-2006 के लिए 55.8450 करोड़ रु० की दूसरी किश्त 07.11.2005 को विमुक्त किया गया तथा वर्ष 2006-2007 के लिए पहली और दूसरी किश्त तथा वर्ष 2007-2008 के लिए पहली किश्त के रूप में क्रमशः 114.92 करोड़ रु० एवं 59.155 करोड़ रु० 10 अगस्त 2007 को विमुक्त किया गया। वर्ष 2007-2008 के लिए 59.155 करोड़ रु० दूसरी किश्त 26 सितम्बर 2007 को विमुक्त की गई।

राज्य सरकार द्वारा आपदा राहत निधि में वर्ष 2005-2006 के लिए द्वितीय किश्त के रूप में 80.7242 करोड़ रु० (केन्द्र का हिस्सा 55.845 करोड़ रु०, राज्य का हिस्सा 18.615 करोड़ रु० तथा ब्याज 6.2642 करोड़ रु० स्वीकृत्यादेश संख्या एन० सी० ओ० -3-16/07-2227/एन०सी० दिनांक 24.7.2007 वर्ष 2006-2007 के लिए प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में 153.23 करोड़ रु० (केन्द्र का हिस्सा 114.92 करोड़ रु० तथा राज्य का हिस्सा 38.31 करोड़ रु० तथा वर्ष 2007-2008 के लिए प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में 157.75 करोड़ रु० (केन्द्र का हिस्सा 118.31 करोड़ रु० एवं राज्य का हिस्सा 39.44 करोड़ रु०) स्वीकृत्यादेश संख्या एन० सी० ओ० 3-32/087-857/एन० सी० दिनांक 31.3.2008 अंतरण किया गया। यद्यपि, वर्ष 2007-2008 के दौरान राज्य सरकार द्वारा बजट प्रावधान के पश्चात् आपदा राहत निधि में 436.29 करोड़ रुपये अंतरण डेबिट तथा 310.98 करोड़ रुपये अंतरण क्रेडिट किया गया।

भारत सरकार द्वारा आपदा राहत निधि में केन्द्रांश के रूप में प्रथम एवं द्वितीय किश्त में वर्ष 2008-2009 के लिए अंशदान कुल 121.86 करोड़ रु० 17.9.2008 को विमुक्त किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा इसे राज्यांश (कुल 40.62 करोड़) सहित कुल राशि 162.48 करोड़ रु० को स्वीकृत्यादेश सं० एन.सी.ओ. -3-36/08-3379 दिनांक 12.12.08 द्वारा आपदा राहत निधि में अंतरण कर जमा किया गया। यद्यपि वर्ष 2008-09 के लिए आपदा राहत के व्यय मद में 411.2146 करोड़ रु० तथा 201.4216 करोड़ रु० अर्थात् कुल 612.6263 करोड़ रु० का अन्तरण द्वारा डेबिट किया गया।

जैसा कि योजना के अंतर्गत अपेक्षित है, निधि के संचालन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गयी है, राहत व्यय के लिए निधि से आवश्यक सहायता का निर्धारण समिति करती है। राहत व्यय के लिए प्रावधान राज्य सरकार के बजट में किया जाना है, निधि से वित्त पोषित किये जाने वाले राहत व्यय को समिति द्वारा तय हद तक निधि में अंतरित किया जाता है।

जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, 4,44.3532 करोड़ रु० ट्रेजरी बिल में निवेश किया गया तथा 6.2642 करोड़ रु० ब्याज अर्जित किया गया।

**राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि** – द्वादश वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार ने विरल प्रचंडता वाली आपदाओं का सामना करने के लिए एक राष्ट्रीय आपदा, आकस्मिकता निधि (रा० आ० नि०) का गठन किया है। ऐसा चक्रवात, सूखा, भूकम्प, अग्निकाण्ड, बाढ़ और ओलावृष्टि, जिसे विरल प्रकृति का माना जायगा, जिसके लिए राज्य सरकार को आपदा राहत निधि में उपलब्ध शेष से अधिक व्यय करना अपेक्षित होगा, इस निधि से राहत सहायता के योग्य होते हैं। रा० आ० नि० से प्राप्त सहायता को केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान के रूप में माना जाता है तथा राज्य के आपदा राहत निधि में उसका अंतरण करना अपेक्षित होता है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-2009 के दरम्यान राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से 10,00.00 करोड़ रु० विमुक्त किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा इसे स्वीकृत्यादेश सं०-03-39/2008-692 दिनांक 21.03.09 द्वारा आपदा राहत निधि में अंतरण कर जमा किया गया।

**अनुदान संख्या – 40 – राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(सभी दत्तमत)**

**कुल अनुदान      वास्तविक व्यय      अधिक व्यय +  
बचत -  
(हजार रुपयों में)**

**राजस्व :  
मुख्य शीर्ष**

- 2029 भू-राजस्व
- 2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ
- 2053 जिला प्रशासन
- 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ
- 2075 विविध सामान्य सेवाएँ
- 3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
- 3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ
- 3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

**दत्तमत :**

<b>मूल</b>	<b>3,73,75,41</b>	<b>3,83,62,16</b>	<b>3,10,46,45</b>	<b>-73,15,71</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>9,86,75</b>			
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>				<b>56,08,70</b>

**पूँजी :**

**मुख्य शीर्ष**

- 4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय
- 5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

**दत्तमत :**

<b>मूल</b>	<b>3,73,00</b>	<b>3,02,57,63</b>	<b>2,88,14</b>	<b>-2,99,69,49</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>2,98,84,63</b>			
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>				<b>2,99,34,63</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-**

**राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 73,15.71 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (5,38.41 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (86.03 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (3,62.31 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 9,86.75 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (56,08.70 लाख रु०), अंतिम बचत (73,15.71 लाख रु०) से 17,07.01 लाख रु० कम था।



**अनुदान संख्या – 40 – क्रमशः**

(iii) बचत (20.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		
2029	भू-राजस्व		
00			
001	निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)		
0001	जिला प्रभार - भू-अर्जन स्थापना	6,35.56	6,35.56
	मूल	7,52.75	
	पुनर्वि०	-1,17.19	
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		
102	सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य (राज्य योजना)		
0101	सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्यों का पुनरीक्षण	19,64.66	19,63.00
	मूल	23,63.00	
	अनुपूरक	1,77.53	
	पुनर्वि०	-5,75.87	
103	भू-अभिलेख (गैर-योजना)		
0001	भू-अभिलेख स्थापना	3,30.13	3,06.24
	मूल	3,41.97	
	पुनर्वि०	-11,84	
	उक्त दोनों मामलों में प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0602	राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण एवं भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण	0.00	0.00
	अनुपूरक	1,77.53	
	पुनर्वि०	-1,77.53	
	प्रत्याशित बचत, योजना परिव्यय में कटौती के कारण हुई थी।		
104	सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध गैर-योजना		
0001	राजस्व प्रशासन पर व्यय	1,56,60.22	1,54,99.33
	मूल	1,77,55.29	
	पुनर्वि०	-20,95.07	

अनुदान संख्या – 40 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0002 हाट, बाजार एवं कचहरी की सुरक्षा	1,13.89	1,12.87	-1.02
मूल	55.00		
अनुपूरक	84.73		
पुनर्वि०	-25.84		
उक्त दोनों मामालो में प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0003 भूदान यज्ञ समिति को सहायता अनुदान	72.20	72.20	0.00
मूल	1,43.78		
पुनर्वि०	-71.58		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 राजस्व प्रशासन पर व्यय	14,30.00	0.00	-14,30.00
मूल	9,30.00		
अनुपूरक	5,00.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0003 जोतों की चकबन्दी	2,24.42	2,20.22	-4.20
मूल	2,55.55		
अनुपूरक	5.10		
पुनर्वि०	-36.23		
योजना (राज्य योजना)			
0101 जोतों की चकबन्दी	6,37.95	6,35.93	-2.02
मूल	7,70.00		
पुनर्वि०	-1,32.05		
उक्त मामलों में प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2052 सचिवाल-सामान्य सेवाएँ			
00			
099 राजस्व बोर्ड (गैर-योजना)			
0001 सामान्य विभाग	1,51.20	1,49.68	-1.52
मूल	1,27.89		
अनुपूरक	0.50		
पुनर्वि०	22.81		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2053 जिला प्रशासन			
00			
093 जिला स्थापनाएँ (गैर-योजना)			
0001 जिला प्रशासन	57,44.07	57,44.07	0.00
मूल	70,23.90		
पुनर्वि०	-12,79.83		

अनुदान संख्या – 40 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
094 अन्य स्थापनाएँ (गैर योजना)			
0001 अवर प्रमंडलीय स्थापना	25,59.63	25,59.63	0.00
मूल	31,49.77		
पुनर्वि०	-5,90.14		
0004 प्रमाण-पत्र स्थापना	2,57.88	2,57.88	0.00
मूल	4,01.93		
पुनर्वि०	-1,44.05		
0005 उक्त तीनों मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)। प्रक्रिया पालक स्थापना	6,41.13	6,29.40	-11.73
मूल	7,68.38		
पुनर्वि०	-1,27.25		
2070 प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)। अन्य प्रशासनिक सेवाएँ			
115 अतिथि गृह, सरकारी हॉस्टल आदि (गैर योजना)			
0003 परिसदन भवन	2,79.83	2,61.88	-17.95
मूल	3,51.65		
पुनर्वि०	-71.82		
3454 प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)। जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
01 जनगणना			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (केन्द्रीय योजना)			
0402 कृषि जनगणना	64.56	56.55	-8.01
मूल	1,32.00		
पुनर्वि०	-67.44		
प्रत्याशित बचत केन्द्र से कम निधि के प्राप्त होने तथा मुद्रण विपत्रों की अप्राप्ति के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या – 40 – क्रमांत**

**पूँजी (दत्तमत)**

- (iv) 2,99,69.40 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 2,98,84.63 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान 2,99,34.63 लाख रु०, अंतिम बचत 2,99,69.49 लाख रु० से 34.86 लाख रु० कम था।
- (vi) बचत (20 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
	<b>(लाख रुपयों में)</b>		
4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
050 भूमि योजना (राज्य योजना )			
0103 भूमि अर्जन हेतु (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए)	0.00	0.00	0.00
मूल	2,14,05.37		
पुनर्वि०	-2,14,05.37		
संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0104 सड़क निर्माण हेतु भूमि का क्रय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए)	1,73.00	1,38.00	-35.00
मूल	2,23.00		
अनुपूरक	84,79.26		
पुनर्वि०	-85,29.26		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या – 41 – पथ निर्माण विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रुपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
3054 सड़क तथा सेतु			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ			
दत्तमत:			
मूल	4,03,21,90	4,22,26,96	3,07,51,51
अनुपूरक	19,05,06		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			1,02,14,98

<b>पूँजी :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
5054 सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत:			
मूल	19,12,46,50	29,64,65,50	24,59,29,43
अनुपूरक	10,52,19,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			6,35,89,78

**टीका एवं टिप्पणियाँ –  
राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 1,14,75.45 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (0.06 लाख रु०), तथा मार्च 2009 (19,05.00 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 19,05.06 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (1,02,14.98 लाख रु०), अंतिम बचत (1,14,75.45 लाख रु०) से 12,60.47 लाख रु० कम था।
- (iii) बचत (20 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		
3054 सड़क तथा सेतु			
03 राजकीय राजमार्ग			
337 सड़क कार्य (गैर-योजना)			
0001 सड़क निर्माण कार्य	1,65,94.25	1,65,94.25	0.00
मूल	2,50,00.00		
पुनर्वि०	-59,05.75		
प्रत्याशित बचत योजना में अन्य सड़कों को निर्माण कार्यों में शामिल करने के कारण हुआ था।			

शीर्ष	अनुदान संख्या – 41 – क्रमशः			अधिक व्यय + बचत -
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(लाख रुपयों में)	
80 सामान्य				
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)				
0001 निदेशन		9,25.98	9,25.98	0.00
मूल	12,28.85			
अनुपूरक	0.06			
पुनर्वि०	-3,02.93			
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।				
0003 निष्पादन		77,24.81	75,92.21	-1,32.60
मूल	93,58.05			
पुनर्वि०	-16,33.24			
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।				
0004 निरूपण		4,24.22	4,24.22	0.00
मूल	5,20.67			
पुनर्वि०	-96.45			
0005 अग्रिम योजना स्थापना		1,81.02	1,81.02	0.00
मूल	10,05.98			
पुनर्वि०	-8,24.96			
0007 राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना-पर्यवेक्षण		3,77.81	3,77.81	0.00
मूल	5,42.97			
पुनर्वि०	-1,65.16			
उपरोक्त तीनों मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2009)।				
0008 राष्ट्रीय उच्चपथ परियोजना-निष्पादन		45,06.57	34,00.23	-11,06.34
मूल	37,84.44			
अनुपूरक	19,05.00			
पुनर्वि०	-11,82.87			
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।				

#### पूँजी (दत्तमत)

- (iv) 5,05,36.07 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (4,12,19.00 लाख रु०) दिसम्बर 2008 (4,90,00.00 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (1,50,00.00 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 10,52,19.00 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (6,35,89.78 लाख रु०), अंतिम बचत (5,05,36.07 लाख रु०) से 1,30,53.71 लाख रु० अधिक था।

**अनुदान संख्या – 41 – क्रमशः**

(vi) बचत (25 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		
5054 सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय			
03 राज्य राजमार्ग			
052 मशीनरी तथा उपकरण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 मशीनें एवं उपकरण	9,49.99	6,83.86	-2,66.13
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	-50.01		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
101 सेतु			
योजना (राज्य योजना)			
0101 सेतु	2,90,89.00	1,88,89.26	-1,01,99.74
मूल	1,40,89.00		
पुनर्वि०	1,50,00.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0103 सेतु (नाबार्ड ऋण)	49,11.85	49,11.85	0.00
मूल	96,16.00		
अनुपूरक	3,25,00.00		
पुनर्वि०	-3,72,04.15		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
337 सड़क निर्माण कार्य			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0602 आर्थिक महत्व की सड़क सम्पर्क (केन्द्रांश)	2,18.80	0.00	-2,18.80
मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	-81.20		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (राज्य योजना)			
0104 बॉर्डर एरिया विकास परियोजना-सड़क निर्माण	23,23.00	3,25.15	-19,97.85
मूल	10,90.00		
पुनर्वि०	12,33.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0106 केन्द्रीय सड़क निधि	22,00.24	10,78.95	-11,21.29
मूल	40,00.00		
पुनर्वि०	-17,99.76		
प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या – 41 – क्रमशः**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0107 राष्ट्रीय सम विकास योजना	5,95,94.00	5,95,94.00	0.00
मूल	5,25,14.00		
अनुपूरक	2,64,86.00		
पुनर्वि०	-1,94,06.00		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0108 सड़क (एशियन विकास बैंक सम्पोषित)	91,88.02	0.00	-91,88.02
अनुपूरक	1,22,40.00		
पुनर्वि०	-30,51.98		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
80 सामान्य			
003 प्रशिक्षण योजना (राज्य योजना)			
0101 प्रशिक्षण तथा शोध	20.30	20.30	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	-29.70		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
800 अन्य व्यय योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0601 अंतर्राज्यीय महत्त्व की सड़क सम्पर्क	2,64.42	0.00	-2,64.42
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	-7,35.58		

प्रत्याशित बचत का कारण भारत सरकार द्वारा निधि को विमुक्त नहीं किया जाना था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।

**(vii) उचंत लेन-देन :** (क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से (-) 0.37 लाख रु० (निवल) का उपयोग उचंत शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किया गया जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं। लघुशीर्ष उचंत के चार उप-प्रभाग होते हैं; यथा – (i) स्टॉक, (ii) क्रय, (iii) विविध निर्माणकार्य अग्रिम और (iv) कार्यशाला उचंत। प्रत्येक उप-प्रभाग के लेन-देनों की प्रकृति नीचे –

(i) **स्टॉक :** इस शीर्ष को स्टॉक प्रयोजनों के लिए (किसी कार्य विशेष के लिए नहीं) प्राप्त सामग्रियों के मूल्य से प्रभारित किया जाता है। इस प्रभार में से निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्गत या कियी अन्य प्रकार से निपटान की गयी सामग्रियों का मूल्य घटा दिया जाता है। स्टॉक का शेष, स्टॉक में रखी गयी सामग्रियों के मूल्य का सूचक है।

(ii) **क्रय :-** जब मास के दौरान अदायगी अथवा समायोजन किये बिना विशिष्ट निर्माण कार्यो या स्टॉक के लिए सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं, उसका मूल्य यथा स्थिति लेखा के उस विशिष्ट "कार्य" शीर्ष में या "स्टॉक" उपशीर्ष में प्रतिपक्ष नामे डालकर क्रय में जमा दिखाया जाता है। जब अदायगी कर दी जाती है या अन्य को भंडार अंतरित कर मूल्य का समायोजन कर दिया जाता है तो राशि का "क्रय" शीर्ष में नामे डालकर प्रारम्भिक जमा से उसे मुक्त कर दिया जाता है। अतः यदि यह शीर्ष ऋण शेष दर्शाता है तो यह प्राप्त सामग्री के अदत्त या असमायोजित मूल्य का सूचक है। वर्ष 1974-75 से इस उपशीर्ष को समाप्त कर दिया गया है। और इस प्रकृति के लेन-देनों को "8658 –उचंत लेखा, 129-सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा"



**अनुदान संख्या – 41 – क्रमांत**

में दर्ज किया जाता है । लेकिन कुछ विभाग, यथा – भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग अभी भी वर्ष 1974-75 से पहले के वर्गीकरण को अपना रहे हैं ।

(iii) **विविध निर्माण कार्य अग्रिम** – इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बड़े खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अंतर्गत के नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं ।

(iv) **कार्यशाला उचंत** – (क) लोक निर्माण विभाग के विभागीय कार्यशालाओं में निष्पादित कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार, उनकी वसूली या उनके समायोजन होने तक इस उपशीर्ष में नामे डाले जाते हैं ।

(ख) इनमें से प्रत्येक उप-प्रभागों के अन्तर्गत 2008-2009 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अंतशेष नीचे दिए गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2008 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2009 को अंतशेष
			(लाख रुपयों में)		
(i) 3054- सड़क तथा सेतु					
क्रय	-40,47.20	...	...	...	-40,47.20
स्टॉक	-6,90.43	...	...	...	- 6,90.43
विविध निर्माणकार्य					
अग्रिम	24,23.18	...	21.49	-21.49	24,01.69
जोड़	23,14.46	...	21.49	-21.49	-23,35.94
5054- सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय					
क्रय	-4.43	...	...	...	-4.43
स्टॉक	...	...	...	...	...
विविध निर्माणकार्य अग्रिम	-6,28.41	...	28,60.24	-28,60.24	-34,88.65
जोड़	-6,28.84	...	28,60.24	-28,60.24	-34,93.08

(viii) **पथ निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर की समीक्षा** :- लोक निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य व्यय सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती है तथा शेष को लेखे के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अन्तर्गत अभिलिखित निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 के प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है :-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता	मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर की प्रतिशतता
					(लाख रुपयों में)
2006-07	1,85,86.58	89.05	0.48	35.89	0.19
2007-08	2,57,88.58	7,52.19	2.92	1,12.61	0.44
2008-09	26,76,17.49	1,73,95.10	6.50	14,45.77	0.54

अनुदान संख्या – 42 – ग्रामीण विकास विभाग

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

अधिक व्यय +  
बचत -

(हजार रुपयों में)

राजस्व :

मुख्य शीर्ष

2501 ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम

2505 ग्रामीण रोजगार

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

2851 ग्राम तथा लघु उद्योग

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ

दत्तमत :

मूल 9,90,82,44

11,25,19,09

10,15,64,66

-1,09,54,43

अनुपूरक 1,34,36,65

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

65,33,06

(31 मार्च 2009)

पूँजी :

मुख्य शीर्ष

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों

पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल 1,79,80,00

1,79,80,00

94,74,75

-85,05,25

अनुपूरक

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

49,80,00

(31 मार्च 2009)

टीका एवं टिप्पणियाँ :-

राजस्व (दत्तमत)

(i) 1,09,54.43 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (32,24.10 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (1,00,14.50 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (1,98.05 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 1,34,36.65 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (65.33.06 लाख रु०), अंतिम बचत (1,09,54.43 लाख रु०) से 44,21.37 लाख रु० कम था।

(iii) बचत (25 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक  
व्यय

अधिक व्यय +  
बचत -

(लाख रुपयों में)

2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

01 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

800 अन्य व्यय

योजना (राज्य योजना)

0102 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

72,76.41

42,33.69

-29,42.72

मूल 78,16.50

अनुपूरक 11,50.00

पुनर्वि० -16,90.09

अनुदान संख्या – 42 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
02 सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
101 लघु सिंचाई			
योजना (राज्य योजना)			
0101 सुखाडोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम	93.12	92.95	-0.17
मूल	2,38.00		
पुनर्वि०	-1,44.88		
उक्त दो मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2505 ग्राम रोजगार			
01 राष्ट्रीय कार्यक्रम			
701 राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम			
योजना (राज्य योजना)			
0105 राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम	19,25.59	18,15.79	-1,09.80
क्षेत्रीय स्थापना			
मूल	21,90.00		
पुनर्वि०	-2,64.41		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
00			
102 सामुदायिक विकास			
(गैर-योजना)			
0001 उत्तर प्रकम-2 प्रखंड	1,56,16.23	1,43,18.03	-12,98.20
मूल	1,62,42,.34		
अनुपूरक	22,71.05		
पुनर्वि०	-28,97.16		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
800 अन्य व्यय			
(गैर-योजना)			
0011 अधीक्षण अभियंता (ख) (लघु सिंचाई	0.00	0.00	0.00
विभाग से स्थानांतरित)			
मूल	2,93.51		
पुनर्वि०	-2,93.51		
2851 ग्राम तथा लघु उद्योग			
00			
003 प्रशिक्षण			
(गैर-योजना)			
0001 ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने हेतु-उद्योग	1,33.47	1,33.47	0.00
विभाग से हस्तांतरित केन्द्र			
मूल	1,84.09		
पुनर्वि०	-50.62		
उक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या – 42 – क्रमांत**

**पूँजी (दत्तमत)**

- (vi) अभ्यर्पित प्रावधान (49,80.00 लाख रु०), अंतिम बचत (85,05.25 लाख रु०) से 35,25.25 लाख रु० कम था।
- (v) बचत (20 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
		<b>(लाख रुपयों में)</b>	
4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
103 ग्राम विकास योजना (राज्य योजना)			
0102 उत्तर क्रम – 2 प्रखंड लघु निर्माण कार्य	1,30,00.00	94,74.75	-35,25.25
मूल	1,30,00.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0108 मुख्य अनियंता/अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास)	0.00	0.00	0.00
मूल	49,80.00		
पुनर्वि०	-49,80.00		
संपूर्ण प्रावधानों के उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या- 43 – विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
(सभी दत्तमत)**

**कुल अनुदान      वास्तविक व्यय      अधिक व्यय +  
बचत -  
(हजार रूपयों में)**

**राजस्व :**

**मुख्य शीर्ष**

2203 तकनीकी शिक्षा

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ

**दत्तमत :**

<b>मूल</b>	<b>53,12,66</b>	<b>63,71,04</b>	<b>34,75,36</b>	<b>-,28,95,68</b>
------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

<b>अनुपूरक</b>	<b>10,58,38</b>			
----------------	-----------------	--	--	--

**वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि**

**15,51,08**

**(31 मार्च 2009)**

**पूँजी :**

**मुख्य शीर्ष**

4202 शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

**दत्तमत :**

<b>मूल</b>	<b>22,85,66</b>	<b>1,43,65,66</b>	<b>1,13,58,82</b>	<b>-,30,06,84</b>
------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>अनुपूरक</b>	<b>1,20,80,00</b>			
----------------	-------------------	--	--	--

**वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि**

**22,90,84**

**(31 मार्च 2009)**

**टीका एवं टिप्पणियाँ**

**राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 28,95.68 लाख रु० की अन्तिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (9,72.25 लाख रु०) तथा फरवरी 2009 (86.13 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 10,58.38 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित विभाजित सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (15,51.08 लाख रु०), अन्तिम बचत (28,95.68 लाख रु०) से 13,44.60 लाख रु० कम था।
- (iii) बचत (15 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-  
**शीर्ष**

**कुल अनुदान      वास्तविक व्यय      अधिक व्यय +  
बचत -**

**(लाख रूपयों में)**

2203 तकनीकी शिक्षा

00

001 निदेशन तथा प्रशासन  
(गैर-योजना)

0001 तकनीकी शिक्षा निदेशालय

1,32.91

1,32.91

0.00

<b>मूल</b>	1,55.36
------------	---------

<b>अनुपूरक</b>	16.54
----------------	-------

<b>पुनर्वि०</b>	-38.99
-----------------	--------

प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।

**योजना (राज्य योजना)**

0103 तकनीकी शिक्षा निदेशालय

28.15

5.51

-22.64

<b>मूल</b>	28.89
------------	-------

<b>पुनर्वि०</b>	-0.74
-----------------	-------

अनुदान संख्या- 43 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		
004 अनुसंधान योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार काउन्सिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी पटना, रिमोटसेंसिंग केन्द्र/इन्दिरा गाँधी विज्ञान परिसर, प्लैनीटोरियम, पटना	10,32.14	42.00	-9,90.14
मूल	15,12.00		
पुनर्वि०	-4,79.86		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारण को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
102 तकनीकी शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 पटना विश्वविद्यालय	4,90.26	4,90.26	0.00
मूल	6,00.00		
पुनर्वि०	-1,09.74		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
103 तकनीकी विद्यालय (गैर-योजना)			
0001 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	61.21	61.21	0.00
मूल	64.93		
अनुपूरक	16.05		
पुनर्वि०	-19.77		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0003 बी० आई०टी० सिंदरी	0.00	0.00	0.00
मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	- 3,00.00		
वर्ष 2005-06 से 2007-08 के लिए चालू व्यय का घोषणा नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग/विमुक्त नहीं हुआ था।			
105 पॉलिटैक्नीक योजना (राज्य योजना)			
0101 डिप्लोमा पाठ्यक्रम- विश्व बैंक सम्पोषित पॉलिटैक्नीक शिक्षा सुदृढीकरण परियोजना	4,35.73	3,66.98	-68.75
मूल	6,50.69		
पुनर्वि०	-2,14.96		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
112 अभियंत्रण/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान (गैर-योजना)			
0001 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	8,87.41	8,87.41	0.00
मूल	6,93.48		
अनुपूरक	3,29.16		
पुनर्वि०	-1,35.23		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 43 – क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		

योजना (राज्य योजना)			
0101 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	3,84.90	1,25.75	-2,59.15
मूल	89.30		
अनुपूरक	4,00.00		
पुनर्वि०	-1,04.40		

प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारण को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।

**पूँजी (दत्तमत) :**

- (iv) 30,06.84 लाख रु० के अन्तिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (86,00.00 लाख रु०) तथा फरवरी 2009 (34,80.00 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 1,20,80.00 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (22,90.84 लाख रु०), अन्तिम बचत (30,06.84 लाख रु०) से 7,16.00 लाख रु० कम था।
- (vi) बचत (10 लाख रु० अथवा प्रावधान के 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
02 तकनीकी शिक्षा			
104 पॉलिटैक्नीक्स			
योजना (केन्द्रीय योजना)			
0403 नए पोलिटेकनिकों की स्थापना एवं वर्तमान पोलिटेकनिकों का सुदृढीकरण/उन्नयन	10,00.00	4,00.00	-6,00.00
अनुपूरक	10,00.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
105 अभियंत्रण/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान			
योजना (राज्य योजना)			
0102 पॉलिटैक्नीक/अभियंत्रण/तकनीकी महाविद्यालय	29,61.30	28,45.29	-1,16.01
मूल	16,00.00		
अनुपूरक	22,00.00		
पुनर्वि०	-8,38.70		
0104 भूमि-केन्द्रीय संस्थानों हेतु	71,74.00	71,74.00	0.00
मूल	84,80.00		
पुनर्वि०	-13,06.00		

उक्त दोनों मामलों में प्रत्याशित बचत का मुख्य कारण योजना परिव्यय में कटौती था।

**अनुदान संख्या – 44 – अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार रुपयों में)		
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2251 सचिवलाय-सामाजिक सेवाएँ			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>2,17,75,70</b>	<b>2,35,20,38</b>	<b>1,86,18,54</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>17,44,68</b>		<b>-49,01,84</b>
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>41,40,39</b>
<b>पूँजी :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत</b>			
<b>मूल</b>	<b>20,53,81</b>	<b>30,53,81</b>	<b>16,26,65</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>10,00,00</b>		<b>-14,27,16</b>
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>13,96,72</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-**

**राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 49,01.84 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (12,00.00 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (5,11.50 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (33.18 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 17,44.68 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (41,40.39 लाख रु०), अन्तिम बचत (49,01.84 लाख रु०) से 7,61.45 लाख रु० कम था।



**अनुदान संख्या- 44 क्रमशः**

(iii) बचत (20 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		(लाख रुपयों में)	
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
001 निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 निदेशन एवं प्रशासन	15,90.63	15,90.63	0.00
अनुपूरक	20,31.54		
पुनर्वि०	- 4,40.91		
003 प्रशिक्षण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 तकनीकी प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	-1,00.00		
102 आर्थिक विकास			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0612 अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास अनुसूचित जाति के लिए विशेष आयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	5,09.45	5,09.45	0.00
मूल	25,00.00		
पुनर्वि०	-19,90.55		
277 शिक्षा			
(गैर-योजना)			
0002 छात्रावासों का रख-रखाव	2,81.43	2,81.43	0.00
मूल	3,44.79		
पुनर्वि०	-63.36		
उपर्युक्त चारों मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0003 आवासीय विद्यालय	25,81.82	24,51.65	-1,30.17
मूल	29,14.54		
पुनर्वि०	-3,32.72		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0012 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र	57.82	39.07	-18.74
मूल	52.64		
अनुपूरक	7.18		
पुनर्वि०	-2.00		
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0613 प्रवेश पश्चात् छात्रवृत्ति	9,90.22	9,46.15	-44.07
मूल	15,00.00		
पुनर्वि०	-5,09.78		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या- 44 क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
योजना (राज्य योजना)			
0101 शिक्षा	21.84	21.84	0.00
मूल	91.50		
पुनर्वि०	-69.66		
0107 शिक्षा	21,44.86	18,25.61	-3,19.25
मूल	18,36.00		
अनुपूरक	4,06.80		
पुनर्वि०	-97.94		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
102 आर्थिक विकास			
योजना (राज्य योजना)			
0102 अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	4,48.03	3,99.20	-48.83
मूल	5,50.00		
पुनर्वि०	-1,01.97		
197 ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
योजना (राज्य योजना)			
0101 छात्रावृत्ति/वजीफा	1,75.87	1,69.49	-6,38
मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	-24.13		
277 शिक्षा (गैर-योजना)			
0004 आवासीय विद्यालय	6,00.82	5,96.29	-4.53
मूल	6,81.18		
पुनर्वि०	-80.36		
उपर्युक्त तीनों मामलों में प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0023 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	61.82	61.82	0.00
मूल	1,21.51		
पुनर्वि०	-59.69		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या- 44 क्रमांत**

**पूँजी (दत्तमत)**

- (i) 14,27.16 लाख रु० के अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 10,00.00 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः आनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (13,96.72 लाख रु०), अंतिम बचत (14,27.16 लाख रु०) से 30.44 लाख रु० कम था।
- (iii) बचत (10 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
		<b>(लाख रुपयों में)</b>	
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
01 अनुसूचित जातियों के कल्याण			
277 शिक्षा			
योजना (राज्य योजना)			
0101 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण	16,57.09	16,26.65	-30.44
मूल	19,43.81		
अनुपूरक	8,00.00		
पुनर्वि०	-10,86.72		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
277 शिक्षा			
योजना (राज्य योजना)			
0101 आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोधार	0.00	0.00	0.00
मूल	10.00		
अनुपूरक	2,00.00		
पुनर्वि०	-2,10.00		
4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय			
108 अन्य सहकारी समितियों में निवेश			
योजना (राज्य योजना)			
0164 बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम	0.00	0.00	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	-1,00.00		
उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या – 45 – गन्ना उद्योग विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2401 फसल कृषि-कर्म			
2852 उद्योग			
3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएँ			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	43,09,20	59,72,97	29,50,39
अनुपूरक	16,63,77		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-30,22,58
			30,03,65
<b>पूँजी :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
6860 उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	3,34	58,46,34	29,34,84
अनुपूरक	58,43,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			-29,11,50
			29,11,50
<b>टीका एवं टिप्पणियाँ -</b>			
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>			
(i)	30,22.58 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (6,08.17 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (10,04.00 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (51.60 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 16,63.77 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।		
(ii)	अभ्यर्पित प्रावधान (30,03.65 लाख रु०) अंतिम बचत (30,22.58 लाख रु०) से 18.93 लाख रु० कम था ।		

**अनुदान संख्या – 45 – क्रमशः**

(iii) बचत (15 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		

2401 फसल कृषि-कर्म			
108 वाणिज्यिक फसलें			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0607 नेशनल डेवलपमेंट ऑफ सुगरकेन वेस्ट क्रोपिंग सिस्टम (मैक्रोमैनेजमेंट)	2,87.16	2,86.86	-0.30
मूल	7,94.25		
पुनर्वि०	-5,07.09		

प्रत्याशित बचत मुख्यतः केन्द्र के अंश का विमुक्त नहीं होने के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सिम्तबर 2009)।

योजना (राज्य योजना)			
0108 नेशनल डेवलपमेंट ऑफ सुगरकेन वेस्ट (मैक्रोमोड राज्यांश 10:90)	31.91	30.28	-1.62
मूल	88.25		
अनुपूरक	-56.34		

प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सिम्तबर 2009)।

0109 ईख विकास	6,66.24	6,66.24	0.00
मूल	4,65.00		
अनुपूरक	12,48.99		
पुनर्वि०	-10,47.75		

योजना एवं विकास विभाग द्वारा संशोधित प्रावधान निर्गत करने के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था।

2852 उद्योग			
08 उपभोक्ता उद्योग			
201 चीनी			

योजना (राज्य योजना)			
0103 आर्थिक सहायता	9,88.76	9,88.75	-0.01
मूल	19,70.00		
अनुपूरक	3,51.01		
पुनर्वि०	-13,32.25		

योजना एवं विकास विभाग द्वारा संशोधित प्रावधान निर्गत करने के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था।

**पूँजी (दत्तमत)**

(iv) 29,11.50 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (20.00 लाख रु०) तथा दिसम्बर 2008 (58,23.00 लाख रु०) में प्राप्त 58,43.00 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

**अनुदान संख्या – 45 – क्रमांत**

- (v) बचत (15 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6860 उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज			
04 चीनी			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज (गैर-योजना)			
0001 चीनी मिलों को कर्ज	29,34.84	29,34.84	0.00
मूल	3.34		
अनुपूरक	58,43.00		
पुनर्वि०	-29,11.50		
प्रत्याशित बचत का मुख्य कारण आचार संहिता का लागू होना था।			

**अनुदान संख्या – 46 – पर्यटन विभाग  
(सभी दत्तमत)**

कुल अनुदान    वास्तविक    अधिक व्यय +  
                         व्यय                    बचत -  
(हजार रुपयों में)

राजस्व :

मुख्य शीर्ष

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ

3452 पर्यटन

दत्तमत :

मूल	5,16,53	6,18,76	6,07,21	-11,55
अनुपूरक	1,02,23			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				12,61

पूँजी :

मुख्य शीर्ष

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	23,48,02	23,48,02	23,03,97	-44,05
अनुपूरक				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)				

टीका एवं टिप्पणियाँ :-

राजस्व (दत्तमत)

- (i) 11.55 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (60.95 लाख रु०) दिसम्बर 2008 (24.03 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (17.25 लाख रु०) में प्राप्त किया गया, 1,02.23 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (12.61 लाख रु०), अंतिम बचत (11.55 लाख रु०) से 1.06 लाख रु० अधिक था ।

पूँजी (दत्तमत)

- (iii) अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।

**अनुदान संख्या – 47 – परिवहन विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		(हजार रुपयों में)	
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2041 वाहन कर			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ			
3055 सड़क परिवहन			
3075 अन्य परिवहन सेवाएँ			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>10,24,59</b>	<b>11,42,29</b>	<b>7,76,88</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>1,17,70</b>		
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>2,81,49</b>

**पूँजी :**

**मुख्य शीर्ष**

5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			
5075 अन्य परिवहन सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
7055 सड़क परिवहन के लिए कर्ज			

**दत्तमत :**

<b>मूल</b>		<b>1,80,58,57</b>	<b>10,08,81</b>	<b>-1,70,49,76</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>1,80,58,57</b>			
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>				<b>1,70,49,76</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-**

**राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 3,65.41 लाख रु के अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (44.72 लाख रु०) एवं मार्च 2009 (72.98 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 1,17.70 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (2,81.49 लाख रु०), अन्तिम बचत (3,65.41 लाख रु०) से 83.92 लाख रु० कम था।



अनुदान संख्या – 47 – क्रमशः

(iii) बचत (10 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		
2041 वाहन कर			
00 निदेशन एवं प्रशासन			
(गैर-योजना)			
0001 राज्य परिवहन आधिकरण	1,53.73	1,53.41	-0.32
मूल	1,63.70		
अनुपूरक	9.58		
पुनर्वि०	-19.55		
102 मोटर वाहनों का निरीक्षण			
(गैर-योजना)			
0001 मोटर वाहनों का निरीक्षण	75.15	63.54	-11.61
मूल	83.91		
पुनर्वि०	-8.76		
800 अन्य व्यय			
(गैर-योजना)			
0001 मोटर वाहनों पर नियंत्रण	4,70.45	4,02.02	-68.42
मूल	4,92.65		
अनुपूरक	98.72		
पुनर्वि०	-1,20.92		

उपर्युक्त तीनों मामलों में प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।

3055 सड़क परिवहन			
00 निदेशन एवं प्रशासन			
योजना (राज्य योजना)			
0101 क्षेत्रीय कार्यलयों के लिए	0.00	0.00	0.00
मूल	1,20.00		
पुनर्वि०	-1,20.00		

वित्त विभाग द्वारा अग्रिम निकासी पर सहमति नहीं मिलने के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था ।

अनुदान संख्या - 47 - क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) 1,70,49.76 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए मार्च 2009 में प्राप्त किया गया 1,80,58.57 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।  
 (v) बचत (10 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय 00			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0101 जिला परिवहन कार्यालय का निर्माण	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	1,00.00		
पुनर्वि०	-1,00.00		
			वित्त विभाग द्वारा अग्रिम निकासी पर सहमति नहीं मिलने के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था ।
7055 सड़क परिवहन के लिए कर्ज 00			
190 सर्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण (गैर-योजना)			
0002 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लिए कर्ज	10,00.00	10,00.00	0.00
अनुपूरक	1,79,49.75		
पुनर्वि०	-1,69,49.75		
			मंत्रीमंडल से व्यय की स्वीकृति के अप्राप्ति के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था ।

**अनुदान संख्या – 48 – नगर विकास एवं आवास विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय+ बचत -
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2015 निर्वाचन			
2215 जलापूर्ति तथा सफाई			
2217 शहरी विकास			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ			

**दत्तमत :**

<b>मूल</b>	<b>10,51,83,50</b>	<b>17,92,26,75</b>	<b>11,68,78,17</b>	<b>-6,23,48,58</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>7,40,43,25</b>			
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>				<b>6,09,96,80</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-**

**राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 6,23,48.58 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (6,39,47.00 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (1,00,50.81 लाख रु०) तथा फरवरी 2009 (45.44 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 7,40,43.25 लाख रु० अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (6,09,96.80 लाख रु०), अन्तिम बचत (6,23,48.58 लाख रु०) से 13,51.78 लाख रु० कम था ।
- (iii) बचत (25 लाख रु० अथवा प्रावधान के 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)</b>	<b>अधिक व्यय+ बचत -</b>
2215 जलपूर्ति तथा सफाई			
01 जलपूर्ति			
191 स्थानीय निकायों / नगरपालिकाओं को सहायता			
योजना (राज्य योजना)			
0104 पेय जलापूर्ति एवं जल निकासी हेतु अनुदान, वित्त आयोग की अनुशंसा पर	12,00.00	12,00.00	0.00
मूल	47,73.18		
पुनर्वि०	-35,73.18		
प्रत्याशित बचत उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ था ।			

अनुदान संख्या – 48 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय+ बचत -
192 नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहाय्य अनुदान योजना (राज्य योजना)			
0102 वित्त आयोग की सिफारिश पर पेय जलापूर्ति तथा जल निकासी हेतु अनुदान	0.00	0.00	0.00
मूल	2,26.82		
पुनर्वि०	-2,26.82		
प्रत्याशित बचत उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ था ।			
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहाय्य अनुदान	3,93.49	3,93.49	0.00
मूल	7,00.00		
अनुपूरक	2,00.00		
पुनर्वि०	-5,06.51		
प्रत्याशित बचत उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ था ।			
2217 शहरी विकास			
01 राज्य की राजधानी का विकास			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी	20.89	6,77.22	6,56.33
मूल	13.23		
अनुपूरक	23.39		
पुनर्वि०	-15.73		
प्रत्याशित बचत का कारण कार्यपालक पदाधिकारी का अपेक्षित संख्या में पदस्थापना नहीं होने के कारण हुआ था । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया है (सितम्बर 2009) ।			
80 सामान्य			
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता (गैर-योजना)			
0010 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगरनिगमों की प्राथमिक कार्यों के लिए सहाय्य अनुदान	10.00	10.00	0.00
मूल	9,50.65		
पुनर्वि०	-9,40.65		
प्रत्याशित बचत उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्राप्त नहीं होने तथा मंत्रीमंडल से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ था ।			

**अनुदान संख्या – 48 – क्रमशः**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		
योजना (राज्य योजना)			
0111 निगम के प्रशासनिक और तकनीकी भवनों के जीर्णोधार हेतु सहायता अनुदान	2,00.00	1,25.00	-75.00
मूल	1,00.00		
अनुपूरक	1,00.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
80 सामान्य			
192 नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता (गैर योजना)			
0001 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहाय्य अनुदान	15.00	43.88	+28.88
मूल	11,52.24		
पुनर्वि०	-11,37.24		
प्रत्याशित बचत उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्राप्त नहीं होने तथा मंत्रीमंडल से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ था। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (राज्य योजना)			
0103 नगर परिषदों के प्रशासनिक और तकनीकी भवनों के निर्माण/जीर्णोधार के लिए सहाय्य अनुदान	3,85.37	3,60.79	-24.58
मूल	4,00.00		
अनुपूरक	2,00.00		
पुनर्वि०	-2,14.63		
नगर परिषद् से भूमि की उपलब्धता संबंधी सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0106 नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	1,68.77		
पुनर्वि०	-1,68.77		
योजना परिव्यय में अपेक्षित राशि का प्रावधान नहीं रहने के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था।			
193 नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य को सहायता (गैर योजना)			
0001 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहाय्य अनुदान	20.00	20.00	0.00
मूल	7,37.13		
पुनर्वि०	-7,17.13		
प्रत्याशित बचत उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्राप्त नहीं होने तथा मंत्रीमंडल से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ था।			

अनुदान संख्या – 48 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0004 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों के कर्मचारियों के लिए वेतनादि भुगतान	4,18.14	3,15.36	-72.78
मूल	4,23.78		
पुनर्वि०	-5.64		
प्रत्याशित बचत, उपयोगिता प्रमाण पत्रों एवं माँग के अप्राप्ति के कारण हुआ था । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2009)।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 बोर्डर एरिया विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
मूल	2,31.23		
पुनर्वि०	-2,31.23		
योजना परिव्यय में अपेक्षित राशि का प्रावधान नहीं रहने के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ था ।			
0103 नगर परिषदों के प्रशासनिक और तकनीकी भवनों के निर्माण/जीर्णोधार के लिए सहाय्य अनुदान	5,19.32	5,15.57	-3.75
मूल	5,00.00		
अनुपूरक	2,00.00		
पुनर्वि०	-1,80.00		
नगर परिषद् से भूमि की उपलब्धता संबंधी सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
800 अन्य व्यय			
योजना (राज्य योजना)			
0115 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए सहाय्य अनुदान	3,09.18	3,09.18	0.00
मूल	7,00.00		
पुनर्वि०	-3,90.82		
0116 शहरी समेकित विकास हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान	15,39.40	15,39.40	0.00
मूल	1,20,00.00		
पुनर्वि०	-1,04,60.60		
योजना परिव्यय में अपेक्षित राशि का प्रावधान नहीं रहने के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था ।			
80 समान्य			
800 अन्य व्यय			
योजना (राज्य योजना)			
0117 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान	1,30,00.00	1,21,10.61	-8,89.39
मूल	10,00.00		
अनुपूरक	20,00.00		
पुनर्वि०	1,00,00.00		
योजना परिव्यय में अपेक्षित राशि का प्रावधान नहीं रहने के कारण पुनर्विनियोग द्वारा निधि का उपबन्ध किया गया था । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009) ।			

अनुदान संख्या – 48 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(लाख रुपयों में)		
0118 नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ— सहाय्य अनुदान	1,37,50.82	1,28,32.88	-9,17.94
मूल	43,17.50		
अनुपूरक	1,11,00.00		
पुनर्वि०	-16,66.68		
योजना उद्व्यय में अपेक्षित राशि का स्पष्ट प्रावधान नहीं रहने के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था। अंतिम बचत को कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0120 राष्ट्रीय शहरी सूचना तंत्र का अधिष्ठापन	0.00	0.00	0.00
मूल	30.00		
पुनर्वि०	-30.00		
संपूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता का कारण केन्द्रांश का अप्राप्त होना था।			
0122 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन योजना हेतु	23,89.13	23,89.13	0.00
अनुपूरक	4,80,00.00		
पुनर्वि०	-4,56,10.87		
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि का कारण निधि का अप्रयुक्त प्रावधान होना था। प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0123 समेकित आवास एवं गन्दी बस्तियों के लिए विकास कार्यक्रम	3,99.34	3,99.34	0.00
मूल	60,00.00		
पुनर्वि०	-56,00.66		
प्रत्याशित बचत का कारण केन्द्रांश का अप्राप्त होना था।			
0125 ई-गवर्नेंस/नगरीय सुधार कार्यक्रमों एवं इसके समतुल्य कार्यक्रमों हेतु	4,25.00	4,22.00	-3.00
मूल	9,00.00		
पुनर्वि०	-4,75.00		
योजना परिव्यय में अपेक्षित राशि का प्रावधान नहीं रहने के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0126 योजनाओं का अनुश्रवण/ मूल्यांकन/ पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों हेतु	56.00	56.00	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	-44.00		
0127 क्षमता-वर्द्धन कार्यक्रमों हेतु	0.00	0.00	0.00
मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	-2,00.00		
0128 निदेशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों का आधुनीकिकरण हेतु	0.00	0.00	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	-1,00.00		

अनुदान संख्या – 48 – क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		(लाख रुपयों में)	
0129 बिहार राज्य आवास बोर्ड को विभिन्न कार्यक्रमों हेतु सहाय्य अनुदान		0.00	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	-1,00.00		
उक्त चारों मामलों में प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में अपेक्षित राशि का स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण हुआ था।			
0131 अभियंत्रण कोषांग के लिए	5,40.51	7,37.72	+1,97.20
अनुपूरक	8,35.80		
पुनर्वि०	-2,95.29		
योजना परिव्यय में अपेक्षित राशि का प्रावधान नहीं रहने के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
2251 सचिवालय – सामाजिक सेवाएँ			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0005 नगर विकास विभाग	2,42.17	2,42.17	0.00
मूल	2,10.69		
अनुपूरक	71.32		
पुनर्वि०	-39.84		
कर्मचारियों के सेवा-निवृत्त होने तथा हड़ताल अवधि के वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था।			



**अनुदान संख्या – 49 – जल संसाधन विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वस्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय+ बचत -
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2700			
2701			
2705			
2711			
3451			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>3,42,55,46</b>	<b>5,12,15,95</b>	<b>4,61,97,52</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>1,69,60,49</b>		
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>34,13,37</b>

<b>पूँजी :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4700			
4701			
4711			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>21,28,89,54</b>	<b>24,58,82,79</b>	<b>10,99,31,42</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>3,29,93,25</b>		
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)</b>			<b>13,06,25,40</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ –  
राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 50,18.43 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (79,03.55 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (43,84.10 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (46,72.84 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 1,69,60.49 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (34,13.37 लाख रु०), अंतिम बचत (50,18.43 लाख रु०) से 16,05.06 लाख रु० कम था।

**अनुदान संख्या – 49 – क्रमशः**

(iii) बचत (25.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2700 मुख्य सिंचाई			
01 कोसी बेसिन का सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
101 रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
0001 कार्य प्रभारित स्थापना	63.71	54.80	-8.91
मूल	55.00		
अनुपूरक	60.00		
पुनर्वि०	-51.29		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय	14,56.74	14,22.75	-33.99
मूल	8,90.00		
अनुपूरक	2,28.44		
पुनर्वि०	3,38.30		
बजट प्रावधान कम रहने के कारण पुनर्विनियोग द्वारा निधि का उपबन्ध किया गया था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
02 गंडक बेसिन का सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
101 रख-रखाव तथा मरम्मत			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय	13,32.05	13,01.36	-30.69
मूल	11,32.05		
अनुपूरक	1.52		
पुनर्वि०	1,98.48		
बजट प्रावधान कम रहने के कारण पुनर्विनियोग द्वारा निधि का उपबन्ध किया गया था। अंतिम बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
03 सोन बेसिन का सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
101 रख-रखाव मरम्मत (गैर-योजना)			
0001 कार्य-प्रभारित स्थापना	18.68	14.64	-4.03
मूल	32.00		
अनुपूरक	18.00		
पुनर्वि०	-31.32		
प्रत्याशित बचत का मुख्य कारण तृतीय अनुपूरक/पुनर्विनियोग द्वारा समय से राशि की आप्राप्ति तथा अधिकतर पदाधिकारी/कर्मचारियों का चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त होना था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0002 अन्य रख-रखाव पर व्यय	2,98.56	2,74.49	-24.07
मूल	2,73.24		
अनुपूरक	36.75		
पुनर्वि०	-11.43		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 49 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2701 मध्यम सिंचाई			
01 मुख्य सिंचाई—वाणिज्यिक			
101 कोसी परियोजना (गैर—योजना)			
0002 अन्य रख—रखाव पर व्यय (कमला तथा उत्तरी बिहार के लिए)	71.66	71.66	0.00
मूल	1,56.00		
पुनर्वि०	-84.34		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
03 मध्यम सिंचाई (वाणिज्यिक)			
101 भैरवानि लिप्पा परियोजना (गैर—योजना)			
0002 अन्य रख—रखाव	12,81.76	11,08.58	-1,73.18
मूल	10,16.48		
अनुपूरक	4,66.48		
पुनर्वि०	-2,01.20		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
04 मध्यम सिंचाई—वाणिज्यिक			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर—योजना)			
0001 स्थापना	8,24.62	7,44.65	-79.97
मूल	7,14.28		
अनुपूरक	2,00.00		
पुनर्वि०	-89.66		
101 रख—रखाव एवं मरम्मत (गैर—योजना)			
0001 कार्य प्रभारित स्थापना	49.86	49.86	0.00
मूल	75.00		
पुनर्वि०	-25.14		
उर्पयुक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत का मुख्य कारण तृतीय अनुपूरक/पुनर्विनियोग द्वारा समय से राशि की आप्राप्ति तथा अधिकतर पदाधिकारी/कर्मचारियों का चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त होना था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0002 अन्य रख—रखाव एवं व्यय	4,94.10	4,83.59	-10.51
मूल	4,05.05		
अनुपूरक	11,59.19		
पुनर्वि०	-10,70.14		

अनुदान संख्या – 49 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
05 मध्यम सिंचाई – गैर वाणिज्यिक			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 स्थापना	16,62.46	15,66.69	-95.77
मूल	14,37.30		
अनुपूरक	3,35.00		
पुनर्वि०	-1,09.84		
उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
80 सामान्य			
005 सर्वेक्षण तथा खोज (गैर-योजना)			
0001 सर्वेक्षण तथा खोज	1,04.11	1,04.11	0.00
मूल	1,07.37		
अनुपूरक	80.00		
पुनर्वि०	-83.26		
प्रत्याशित बचत का मुख्य कारण तृतीय अनुपूरक/पुनर्विनियोग द्वारा समय से राशि की आप्राप्ति तथा अधिकतर पदाधिकारी/कर्मचारियों का चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त होना था।			
190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान को सहायक अनुदान	2,00.00	2,00.00	0.00
मूल	2,00.00		
अनुपूरक	30.00		
पुनर्वि०	-30.00		
प्रत्याशित बचत समय से स्वीकृति आदेश पर वित्त विभाग द्वारा सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ था।			
2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास			
01 बाढ़ नियंत्रण			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0002 सचिवालय स्थापना	1,98.39	1,98.39	0.00
मूल	1,98.64		
अनुपूरक	40.41		
पुनर्वि०	-40.66		
0003 क्षेत्रीय स्थापना	99,09.13	92,91.68	-6,17.45
मूल	66,64.32		
अनुपूरक	37,84.00		
पुनर्वि०	-5,39.19		

अनुदान संख्या – 49 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
03 800	जल निकास अन्य व्यय (गैर-योजना)		
0001	क्षेत्रीय स्थापना (उत्तर)	17,35.18	15,55.97
	मूल	11,70.90	
	अनुपूरक	8,08.10	
	पुनर्वि०	-2,43.82	

उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित बचत का मुख्य कारण तृतीय अनुपूरक/पुनर्विनियोग द्वारा समय से राशि की आप्राप्ति तथा अधिकतर पदाधिकारी/कर्मचारियों का चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त होना था। प्रथम को छोड़ कर शेष दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

**पूँजी (दत्तमत)**

- (iv) 13,59,51.37 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (1,55,00.00 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (1,74,93.25 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 3,29,93.25 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (13,06,25.40 लाख रु०), अंतिम बचत (13,59,51.37 लाख रु०) से 53,25.97 लाख रु० कम था।
- (vi) बचत (25.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो), मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4700 01	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय कोसी बेसिन की सिंचाई परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)		
001	निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)		
0101	स्थापना	35,39.02	7.48
	मूल	30,63.68	
	अनुपूरक	5,00.00	
	पुनर्वि०	-24.66	
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		
800 योजना	अन्य व्यय (राज्य योजना)		
0102	कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (ए०आई०बी०पी०)	50,26.87	41,72.51
	मूल	2,50,00.00	
	पुनर्वि०	-1,99,73.13	
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		
0103	कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड संपोषित परियोजना)	4,51.85	2,68.44
	मूल	5,10.00	
	पुनर्वि०	-58.15	
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		

अनुदान संख्या – 49 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
02 गंडक बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0101 स्थापना	2,85.05	2,10.74	-74.31
मूल	2,90.70		
अनुपूरक	44.00		
पुनर्वि०	-49.65		
प्रत्याशित बचत का मुख्य कारण तृतीय अनुपूरक/पुनर्विनियोग द्वारा समय से राशि की आप्राप्ति तथा अधिकतर पदाधिकारी/कर्मचारियों का चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त होना था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
800 अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)			
0102 गंडक बेसीन सिंचाई परियोजना (कार्य)	0.00	0.00	0.00
मूल	1,50,00.00		
पुनर्वि०	-1,50,00.00		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
03 सोन बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0101 स्थापना	70,63.45	12,99.04	-57,64.41
मूल	59,01.66		
अनुपूरक	7,00.00		
पुनर्वि०	4,61.79		
पुनर्विनियोग द्वारा निधि में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
800 अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)			
0101 सोन बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना	47,17.95	11,31.08	-35,86.87
मूल	53,27.00		
अनुपूरक	36,00.00		
पुनर्वि०	-42,09.05		
प्रत्याशित बचत, स्थापना के विभिन्न शीर्षों के लिए निधि का पुनर्विनियोग करने के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0102 सोन बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (ए०आई०डी०पी०)	2,43,52.09	1,39,80.71	-1,03,71.38
मूल	2,80,17.00		
पुनर्वि०	-36,64.91		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या – 49 – क्रमशः		वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	कुल अनुदान			
0103	सोन बेसीन के लिए सिंचाई परियोजना कार्य	17.00	17.00	0.00
	मूल	11,22.00		
	पुनर्वि०	-11,05.00		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
04	किऊला-बडुआ-चान्दन बेसीन के लिए सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक)			
001	निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0101	स्थापना	15,40.94	11,40.78	-4,00.16
	मूल	12,40.97		
	अनुपूरक	2,50.00		
	पुनर्वि०	49.97		
	प्रत्याशित बचत का मुख्य कारण तृतीय अनुपूरक/पुनर्विनियोग द्वारा समय से राशि की आप्रप्ति तथा अधिकतर पदाधिकारी/कर्मचारियों का चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त होना था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
800	अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)			
0102	किऊला-बडुआ-चान्दन बेसीन के लिए सिंचाई परियोजना (कार्य ) (ए०आई०बी०पी०)	13,40.19	9,68.89	-3,71.30
	मूल	1,50,00.00		
	पुनर्वि०	-1,36,59.81		
0103	किऊला-बडुआ-चान्दन बेसीन के लिए सिंचाई परियोजना (कार्य ) (नाबार्ड संपोषित परियोजना)	9,97.87	7,00.58	-2,97.29
	मूल	20,00.00		
	पुनर्वि०	-10,02.13		
	उक्त दोनों मामलों में प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
80	सामान्य			
005	सर्वेक्षण तथा खोज योजना (राज्य योजना)			
0101	सर्वेक्षण तथा खोज (स्थापना)	49.22	18.52	-30.69
	मूल	2,39.18		
	पुनर्वि०	-1,89.96		
	प्रत्याशित बचत का मुख्य कारण तृतीय अनुपूरक/पुनर्विनियोग द्वारा समय से राशि की आप्रप्ति तथा अधिकतर पदाधिकारी/कर्मचारियों का चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त होना था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 49 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
800 अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)			
0101 राष्ट्रीय सम विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	19.30	13.25	-6.05
मूल	1,10,00.00		
पुनर्वि०	-1,09,80.70		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0102 नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना	1,70.16	1,70.16	0.00
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	-3,29.84		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
03 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक)			
800 अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)			
0101 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	56.90	56.90	0.00
मूल	1,55.00		
पुनर्वि०	-98.10		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0102 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (ए०आई०बी०पी०)	7,80.00	1,60.07	-6,19.93
मूल	1,00,00.00		
पुनर्वि०	-92,20.00		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0103 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	21,04.30	15,96.07	-5,08.23
मूल	32,10.00		
पुनर्वि०	-11,05.70		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
04 मध्यम सिंचाई, गैर-वाणिज्यिक			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0101 स्थापना	9,44.42	6,75.30	-2,69.12
मूल	7,75.34		
अनुपूरक	1,50.00		
पुनर्वि०	-19.08		

प्रत्याशित बचत का मुख्य कारण तृतीय अनुपूरक/पुनर्विनियोग द्वारा समय से राशि की अप्राप्ति तथा अधिकतर पदाधिकारी/कर्मचारियों का चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त होना था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।



अनुदान संख्या – 49 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
800 अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)			
0101 कियूल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)	4,90.69	3,41.29	-1,49.39
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	-9.31		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
01 बाढ़ नियंत्रण			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0105 बाढ़ नियंत्रण तटबंध सड़क परियोजनाएँ (कार्य)	57.60	18.12	-39.48
मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	-1,42.40		
उद्व्यय के बावजूद व्यय को सीमित करने के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0106 जल-निस्सारण परियोजनाएँ (कार्य)	1,54.56	27.98	-1,26.58
मूल	2,40.50		
पुनर्वि०	-85.94		
उद्व्यय के बावजूद व्यय को सीमित करने के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0111 बाढ़ नियंत्रण तटबंध सड़क परियोजना नाबार्ड सम्पोषित योजना (कार्य)	11,89.99	7,80.82	-4,09.17
मूल	16,50.00		
पुनर्वि०	-4,60.01		
उद्व्यय के बावजूद व्यय को सीमित करने के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0112 जल-निस्सारण परियोजनाएँ नाबार्ड सम्पोषित योजना (कार्य)	2,80.54	1,09.56	-1,70.98
मूल	8,40.00		
पुनर्वि०	-5,59.46		
प्रत्याशित बचत योजनाओं की स्वीकृति विलम्ब से होने, निविदाओं के निपटारे में विलम्ब तथा उद्व्यय के बावजूद व्यय को सीमित करने के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या – 49 – क्रमशः कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
800 अन्य व्यय योजना (केन्द्रीय योजना)			
0403 गंगा नदी को छोड़कर अन्य नदियों का कटाव निरोधक योजना (नेपाल भाग में कोशी नदी के लिए) (100 प्रतिशत केन्द्रांश)	86,13.76	83,58.20	-2,55.56
मूल	1,10.00		
अनुपूरक	1,50,00.00		
पुनर्वि०	-64,96.24		
कोशी ब्रिज समाप्ति के लिए कम अवधि प्रदान करने के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0404 कमला नदी के तटबंधों का विस्तार (भारतीय भाग) तथा उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण (100 प्रतिशत का केन्द्रांश)	2,99.99	1,03.30	-1,96.69
मूल	40,00.00		
पुनर्वि०	-37,00.00		
प्रत्याशित बचत, 31 मार्च 2009 तक कम व्यय की संभावना, योजनाओं के स्वीकृति में विलम्ब, निविदाओं के निपटारे में विलम्ब तथा उद्व्यय के बावजूद व्यय को सीमित करने के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0408 लालबकेया नदी पर बनी तटबंधों का नेपाल में विस्तार, भारतीय भाग हेतु (100 प्रतिशत का केन्द्रांश)	0.00	0.00	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	-1,00.00		
परियोजना की स्वीकृति विलम्ब से होने तथा निविदाओं के निपटारे में विलम्ब होने के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था।			
0409 बागमती नदी के तटबंध का विस्तार तथा सुदृढीकरण	6,27.99	56.07	-5,71.92
मूल	1,50,00.00		
पुनर्वि०	-1,43,72.01		
प्रत्याशित बचत, 31 मार्च 2009 तक कम व्यय की संभावना, योजनाओं के स्वीकृति में विलम्ब, निविदाओं के निपटारे में विलम्ब तथा उद्व्यय के बावजूद व्यय को सीमित करने के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0606 उत्तर बिहार में फलड प्रुफिंग योजनाएँ (100 प्रतिशत का केन्द्रांश)	0.00	0.00	0.00
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	-5,00.00		
परियोजना की स्वीकृति विलम्ब से होने के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था।			
0610 गंगा नदी से कटाव निरोधक योजना	1,36,41.39	1,24,14.29	-12,27.10
मूल	3,11,10.03		
पुनर्वि०	-1,74,68.64		
प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की कम राशि प्राप्त होने के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 49 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0611 जल निस्सरण परियोजनाएँ	1,17.98	77.58	-40.40
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	-3,82.02		
प्रत्याशित बचत योजनाओं की स्वीकृति विलम्ब से होने, निविदाओं के निपटारे में विलम्ब तथा उद्व्यय के बावजूद व्यय को सीमित करने के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (राज्य योजना)			
0113 जमींदारी बाँधों का जिर्णोद्धार	1,20,41.71	1,19,86.75	-54.96
मूल	1,00,00.00		
अनुपूरक	1,05,00.00		
पुनर्वि०	-84,58.29		
प्रत्याशित बचत योजनाओं की स्वीकृति विलम्ब से होने, निविदाओं के निपटारे में विलम्ब तथा उद्व्यय के बावजूद व्यय को सीमित करने के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**पूँजी (दत्तमत)**

(vii) अधिक व्यय (25 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
01 कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (अवाणिज्यिक)			
799 उच्चत			
योजना (राज्य योजना)			
0101 विविध लोक निर्माण अग्रिम	0.00	17,40.31	+17,40.31
03 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (अवाणिज्यिक)			
799 उच्चत			
योजना (राज्य योजना)			
0101 विविध लोक निर्माण अग्रिम	0.00	1,01,32.92	+1,01,32.92
0103 भंडार उच्चत (सोन बेसिन)	0.00	1,07,23.69	+1,07,23.69
उपर्युक्त तीनों मामलों में बिना बजट प्रावधान के व्यय करने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
03 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (अवाणिज्यिक)			
799 उच्चत			
योजना (राज्य योजना)			
0101 विविध लोक निर्माण अग्रिम	0.00	11,98.05	+11,98.05
बिना बजट प्रावधान के व्यय करने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 49 – क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
04 मध्यम सिंचाई (अवाणिज्यिक) 799 उचंत (गैर योजना)			
0101 विविध लोक निर्माण अग्रिम बिना बजट प्रावधान के व्यय करने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।	0.00	3,78.17	+3,78.17
800 अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)			
0103 क्यूल-बहुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ, कार्य, नाबार्ड संपोषित योजना मूल 6,63.00 पुनर्वि० 3,20.63 बजट प्रावधान कम रहने के कारण पुनर्विनियोग द्वारा निधि का उपबन्ध किया गया था । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।	9,83.63	9,74.12	-9.51
4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
01 बाढ़ नियंत्रण 799 उचंत योजना (राज्य योजना)			
0101 विविध लोक निर्माण अग्रिम बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।	0.00	8,39.79	+8,39.79
800 अन्य व्यय योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0610 गंगा नदी से कटाव कार्य मूल 3,11,10.03 पुनर्वि० 1,74,68.64 बजट प्रावधान कम रहने के कारण पुनर्विनियोग द्वारा निधि का उपबन्ध किया गया था । अंतिम बचत के द्रांश की कम प्राप्ति के कारण हुआ था।	1,36,41.39	1,24,14.29	-12,27.10

**अनुदान संख्या – 50 – लघु जल संसाधन विभाग  
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वस्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय+ बचत -
<b>राजस्व :</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2702 लघु सिंचाई			
3451 सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	2,10,62,96	3,22,74,53	2,51,99,97
अनुपूरक	1,12,11,57		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			58,38,42
<b>पूँजी</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	1,01,99,56	1,01,99,56	41,36,71
अनुपूरक	शून्य		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			49,91,88
<b>टीका एवं टिप्पणियाँ –</b>			
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>			

- (i) 70,74.56 लाख रु० के अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (84,95.41 लाख रु०), दिसम्बर 2008 (10.00 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (27,06.16 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 1,12,11.57 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (58,38.42 लाख रु०), अंतिम बचत (70,74.56 लाख रु०) से 12,36.14 लाख रु० अधिक था।
- (iii) बचत (20.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत - (लाख रुपयों में)
-------	------------	---------------	------------------------------------------

2702 लघु सिंचाई			
02 भू-जल			
005 अन्वेषण (गैर योजना)			
0001 सर्वेक्षण तथा खोज	48,95.67	48,95.67	0.00
मूल	50,42.53		
अनुपूरक	11,91.00		
पुनर्वि०	-13,37.86		

प्रत्याशित बचत छठे वेतन आयोग से संबंधित बकाये का भुगतान नहीं होने, 34 दिन के हड़ताल अवधि का भुगतान नहीं होने तथा टी०ए०/कार्यालय व्यय/दूरभाष एवं विद्युत प्रभार विपत्रों के अप्राप्ति के कारण हुआ था।

अनुदान संख्या – 50-कमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0002 उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण	6,18.44	2,98.34	-3,20.10
मूल	10,30.00		
पुनर्वि०	-4,11.56		
प्रत्याशित बचत पुनरीक्षित वेतन के बकाये का भुगतान नहीं होने, टी०ए०/विपत्रों की अप्राप्ति, निविदा का निपटारा नहीं होने एवं चुनावी कार्य में वाहन उपयोग होने के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0003 सतही सिंचाई योजनाओं का	1,62.53	1,60.66	-1.87
संपोषण/सहायता अनुदान/अंशदान			
और आर्थिक सहायता			
मूल	3,75.00		
पुनर्वि०	-2,12.47		
प्रत्याशित बचत सतही सिंचाई संबंधी निविदा का निपटारा नहीं होने तथा कार्य प्रभारित मस्टर रोल समिति द्वारा प्रतिविदन प्रस्तुत नहीं करने के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 सर्वेक्षण तथा खोज	4,75.28	4,52.53	-22.75
मूल	7,15.50		
पुनर्वि०	-2,40.22		
प्रत्याशित बचत पुनरीक्षित वेतन के बकाये का भुगतान नहीं होने, 34 दिनों के हड़ताल अवधि का भुगतान नहीं होने, टी०ए०/कार्यालय व्यय के विपत्रों की अप्राप्ति, किराया दरों तथा करों की स्वीकृति नहीं होने, टेलीफोन/विद्युत अधिभार विपत्रों की अप्राप्ति, छोटे निर्माण कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति के अप्राप्ति के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
03 रखरखाव			
102 उत्थान सिंचाई योजनाएँ (गैर योजना)			
0001 लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत	0.00	0.00	0.00
इ०आर०पी०			
मूल	28.00		
पुनर्वि०	-28.00		
संपूर्ण प्रावधान की उपयोगिता, विद्युत बोर्ड की खामियों तथा सीमित सत्यापित बिलों की अप्राप्ति के कारण हुआ था।			
103 नलकूप (गैर योजना)			
0002 राजकीय नलकूप	1,65,72.24	1,60,70.63	-,5,01.61
मूल	95,14.58		
अनुपूरक	99,90.41		
पुनर्वि०	-29,32.75		
प्रत्याशित बचत, पुनरीक्षित वेतन के बकाये का भुगतान नहीं होने, 34 दिनों के हड़ताल अवधि का भुगतान नहीं होने, टी०ए०/कार्यालय व्यय के विपत्रों की अप्राप्ति, रखरखाव निविदा के अनिष्पादित रहने, वाहन का चुनाव कार्य पर लगने, विद्युत बोर्ड की खामियों, सत्यापित विद्युत बिलों की अप्राप्ति तथा निविदा का निपटारा नहीं होने के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**अनुदान संख्या – 50-कमशः**

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
		<b>(लाख रुपयों में)</b>	
योजना (राज्य योजना)			
0104 निजी नलकूप	4,12.90	2,70.29	-1,42.62
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	-5,87.10		
योजना उद्व्यय में कटौती के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ			
00			
090 सचिवालय (गैर योजना)			
0030 लघु जल संसाधन विभाग	1,68.09	1,67.52	-0.57
मूल	1,57.90		
अनुपूरक	30.16		
पुनर्वि०	-19.97		
प्रत्याशित बचत, छठे वेतन आयोग से संबंधित बकाये का भुगतान नहीं होने, 34 दिनों के हड़ताल अवधि का भुगतान नहीं होने तथा टी०ए०/कार्यालय व्यय विपत्रों का अप्राप्त रहने के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

**पूँजी (दत्तमत)**

- (iv) अभ्यर्पित प्रावधान (49,91.88 लाख रु०), अंतिम बचत (60,62.85 लाख रु०) से 10,70.97 लाख रु० कम था।
- (v) बचत (20.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय + बचत -</b>
		<b>(लाख रुपयों में)</b>	
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
101 सतही जल योजना (राज्य योजना)			
0102 सतही लघु सिंचाई (ए०आई०बी०पी०)	1,00.73	1,00.73	0.00
मूल	14,00.00		
पुनर्वि०	-12,99.27		
प्रत्याशित बचत, योजना उद्व्यय में कटौती होने के कारण हुआ था।			
102 भू-जल योजना (राज्य योजना)			
0101 नलकूप योजनाओं के अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	28,49.34	17,94.53	-10,54.81
मूल	60,00.00		
पुनर्वि०	-31,50.66		
प्रत्याशित बचत, योजना उद्व्यय में कटौती होने के कारण हुआ था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 50-क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
योजना (राज्य योजना)			
0102 नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण मूल पुनर्वि०	67.15	67.15	0.00
मूल 4,00.00			
पुनर्वि० -3,32.85			
प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती होने के कारण हुआ था।			
0106 भारत निर्माण योजना	2,40.00	1,07.84	-1,32.16
मूल 2,40.00			
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			



**अनुदान संख्या – 51 – समाज कल्याण विभाग  
(सभी दत्तमत)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वस्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय+ बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236 पोषण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	16,13,86,90	18,32,30,14	13,83,41,64
अनुपूरक	2,18,43,24		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			3,97,61,11
<b>पूँजी</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	22,71,22	2,22,71,22	22,71,22
अनुपूरक	2,00,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2009)			2,00,00,00

**टीका एवं टिप्पणियाँ :-**

**राजस्व (दत्तमत)**

- (i) 4,48,88.50 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 (46,32.06) लाख रु०, दिसम्बर 2008 (1,04,13.98 लाख रु०) तथा मार्च 2009 (67,97.20 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 2,18,43.24 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (3,97,61.11 लाख रु०), अंतिम बचत (4,48,88.50 लाख रु०) से 51,27.39 लाख रु० कम था।
- (iii) बचत (25 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02 समाज कल्याण			
001 निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 निदेशन एवं प्रशासन	46.52	46.52	0.00
मूल	87.23		
अनुपूरक	6.98		
पुनर्वि०	-47.69		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या – 51 – क्रमशः कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
101	विकलांग व्यक्तियों का कल्याण (गैर – योजना)		
0002	मूक एवं बधिर विद्यालय एवं कर्मशाला का संधारण	1,38.07	1,37.93
	मूल	1,46.58	
	अनुपूरक	16.90	
	पुनर्वि०	-25.41	
योजना	(राज्य योजना)		
0101	नेत्रहीन विद्यालय	76.00	6.78
	मूल	1,50.00	
	पुनर्वि०	- 74.00	
	उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया है (सितम्बर 2009)		
0103	गैर सरकारी संगठनों के विकलांगों के विकास के निमित्त सहायक अनुदान	50.00	50.00
	मूल	50.00	
	अनुपूरक	5,00.00	
	पुनर्वि०	-5,00.00	
0110	विकलांगों के लिए विशेष उपकरण	4,13.89	4,13.89
	मूल	5,00.00	
	पुनर्वि०	-86.11	
	उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		
102	बाल कल्याण योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0602	समेकित बाल विकास योजना	2,16,90.49	2,16,90.49
	मूल	2,63,98.72	
	अनुपूरक	66,65.75	
	पुनर्वि०	- 1,13,73.98	
	प्रत्याशित बढ़े हुए दर के मानदेय को चुनाव आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने एवं सहायता अनुदान मद में केन्द्र सरकार द्वारा कम राशि विमुक्त किए जाने के कारण हुआ था।		
योजना	(राज्य योजना)		
0105	समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम हेतु	4,28.80	4,08.59
	मूल	6,00.00	
	पुनर्वि०	-1,71.20	
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।		
0106	समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत अभियंत्रण कोषांग हेतु	0.00	0.00
	अनुपूरक	9,46.80	
	पुनर्वि०	-9,46.80	
	नाबार्ड द्वारा संपोषित अभियंत्रण कोषांग के निर्माण की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ था।		

शीर्ष	अनुदान संख्या – 51 – क्रमशः		वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	कुल अनुदान			
0107	दुलार रणनीति योजना	13,73.92	12,58.67	-1,15.25
	मूल	14,45.18		
	पुनर्वि०	-71.26		
103	महिला कल्याण योजना (राज्य योजना)			
0109	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	39,99.21	12,58.67	-5,16.24
	मूल	20,00.00		
	अनुपूरक	20,00.00		
	पुनर्वि०	-0.79		
	उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0111	कन्या सुरक्षा योजना	26,00.00	26,00.00	0.00
	मूल	26,00.00		
	अनुपूरक	74,00.00		
	पुनर्वि०	- 74,00.00		
106	सुधारक सेवाएँ (गैर-योजना)			
0001	प्रतिप्रेक्षण गृह	2,28.09	2,28.09	0.00
	मूल	7,85.67		
	अनुपूरक	29.00		
	पुनर्वि०	-5,86.58		
0008	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	76.39	76.39	0.00
	मूल	3,79.66		
	पुनर्वि०	-3,03.27		
	उपर्युक्त तीनों मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना	(राज्य योजना)			
0105	स्पैष्टिक बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना	0.00	0.00	0.00
	मूल	10.00		
	अनुपूरक	2,00.00		
	पुनर्वि०	- 2,10.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं करने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0106	बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	6.01	3.61	-2.40
	अनुपूरक	1,00.00		
	पुनर्वि०	-93.99		
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0107	बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना	0.00	0.00	0.00
	मूल	10.00		
	अनुपूरक	50.00		
	पुनर्वि०	-60.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं करने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या – 51 – क्रमशः		वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	कुल अनुदान			
03	राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम			
101	राष्ट्रीय बृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य योजना)			
0101	राष्ट्रीय बृद्धावस्था पेंशन योजना अनुपूरक	3,75,94.00	3,75,94.00	0.00
	पुनर्वि०	4,55,77.00		
		-79,83.00		
	प्रत्याशित बचत लक्ष्य में प्राप्ति की कमी तथा योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुआ था।			
102	राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना (राज्य योजना)			
0101	राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना मूल	23,87.40	21,92.25	-1,95.15
	पुनर्वि०	25,92.00		
		-2,04.60		
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
101	निर्धन परिवारों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना (राज्य योजना)			
0101	दुर्घटना बीमा योजना अनुपूरक	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	3,96.00		
		-3,96.00		
	योजना का वर्ष 2008-09 में बन्द हो जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			
102	समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन (गैर-योजना)			
0001	बृद्धावस्था पेंशन मूल	15,61.84	15,07.95	-53.89
	अनुपूरक	15,65.19		
	पुनर्वि०	1,17.45		
		-1,20.80		
	प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
योजना	(राज्य योजना)			
0104	बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मूल	15,10.93	15,00.48	-10.45
	पुनर्वि०	40,70.00		
		-25,59.07		
	लक्ष्य की प्राप्ति में कमी तथा योजना उद्व्यय में कटौती के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था।			
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
0105	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मूल	83,98.90	68,14.37	-15,84.53
	अनुपूरक	53,90.00		
	पुनर्वि०	36,72.00		
		-6,63.10		
	लक्ष्य की प्राप्ति में कमी तथा योजना उद्व्यय में कटौती के कारण प्रत्याशित बचत हुआ था।			
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या – 51 – क्रमशः कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2236 पोषण			
02 पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101 विशेष पोषण कार्यक्रम			
योजना (राज्य योजना)			
0102 गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दूध पिलाने वाली माँ के लिए पौष्टिक आहार वितरण की योजना	2,64,54.19	2,63,43.37	-1,10.82
मूल	2,85,56.60		
पुनर्वि०	-21,02.41		
योजना (केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना)			
0602 गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दूध पिलाने वाली माँ के लिए पौष्टिक आहार वितरण की योजना	2,65,72.58	2,42,58.11	-23,14.47
मूल	2,85,56.60		
पुनर्वि०	-19,84.02		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			
02 पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101 विशेष पोषण कार्यक्रम			
योजना (राज्य योजना)			
0802 कुपोषित गर्भवती/शिशुवती महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए खाद्यान्नों के वितरण की विशेष योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	13,80.00		
पुनर्वि०	-13,80.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने का कारण भारत सरकार से राशि का विमुक्त नहीं किया जाना था।			
2251 सचिवालय— समाजिक सेवाएँ			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0015 समाज कल्याण विभाग	1,53.82	2,04.49	+50.67
मूल	2,84.08		
अनुपूरक	27.93		
पुनर्वि०	-1,58.19		
प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के उपायों के कारण हुआ था। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।			

अनुदान संख्या – 51 – क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
<b>पूँजी (दत्तमत्त) :</b>			
(iv)	2,00,00.00 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2008 में प्राप्त किया गया 2,00,00.00 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।		
(v)	बचत (20.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-		
4235	समाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
02	समाज कल्याण		
102	बाल कल्याण योजना (राज्य योजना)		
0103	बाह्य पोषित योजना-समेकित बाल विकास योजना	0.00	0.00
	अनुपूरक	2,00,00.00	
	पुनर्वि०	-2,00,00.00	
	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता चुनाव आयोग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा योजना परिव्यय में कटौती के कारण हुआ।		

परिशिष्ट

वर्ष 2008-09 के लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियों का अनुदानवार विवरण  
(पृष्ठ 16 पर विनियोग लेखे के सारांश में संदर्भित)

सं०	अनुदान/विनियोग का नाम	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी (हजार रूपयों में)	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
1	कृषि विभाग दत्तमत			
	राजस्व	0	2,03,47	2,03,47
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दत्तमत			
	राजस्व	0	5,79	5,79
3	भवन निर्माण विभाग दत्तमत			
	राजस्व	0	75	75
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग दत्तमत			
	राजस्व	0	6,83	6,83
6	निर्वाचन विभाग दत्तमत			
	राजस्व	0	1,82	1,82
7	निगरानी विभाग दत्तमत			
	राजस्व	10,00	0	-10,00
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग दत्तमत			
	राजस्व	0	45,44	45,44
9	सहकारिता विभाग दत्तमत			
	राजस्व	0	3,59	3,59
11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दत्तमत			
	राजस्व	0	5,67	5,67
12	वित्त विभाग दत्तमत			
	राजस्व	0	43,12	43,12
13	ब्याज संदाय प्रभारित			
	राजस्व	20	20	0
15	पेंशन दत्तमत			
	राजस्व	0	2,48,90	2,48,90

सं०	और अनुदान/विनियोग का नाम	परिशिष्ट-क्रमशः		वास्तविकी (हजार रूपयों में)	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
		आय-व्ययक अनुमान			
16	पंचायती राज विभाग दत्तमत				
	राजस्व	0		1,07	1,07
17	वाणिज्य कर विभाग दत्तमत				
	राजस्व	0		1,10	1,10
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दत्तमत				
	राजस्व	0		1,74	1,74
19	पर्यावरण एवं वन विभाग दत्तमत				
	राजस्व	0		11	11
20	स्वास्थ्य विभाग दत्तमत				
	राजस्व	0		2,04,01	2,04,01
21	मानव संसाधन विकास विभाग दत्तमत				
	राजस्व	0		3,61,80	3,61,80
22	गृह विभाग दत्तमत				
	राजस्व	0		35,77	35,77
23	उद्योग विभाग दत्तमत				
	राजस्व	0		1,05,49	1,05,49
24	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग दत्तमत				
	राजस्व	0		4,82	4,82
26	श्रम संसाधन विभाग दत्तमत				
	राजस्व	0		4,12	4,12
27	विधि विभाग दत्तमत				
	राजस्व	0		2,04	2,04
29	खनन एवं भूतत्व विभाग दत्तमत				
	राजस्व	0		67	67
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दत्तमत				
	राजस्व	0		12,11	12,11



सं०	और अनुदान/विनियोग का नाम	परिशिष्ट-क्रमशः		वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
		आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी (हजार रूपयों में)	
35	योजना एवं विकास विभाग दत्तमत			
	राजस्व	0	8,89	8,89
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दत्तमत			
	राजस्व	0	1,56	1,56
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग			
	दत्तमत			
	राजस्व	0	39	39
39	आपदा प्रबंधन विभाग दत्तमत			
	राजस्व	0	2,46,98,93	2,46,98,93
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दत्तमत			
	राजस्व	0	4,42	4,42
41	पथ निर्माण विभाग दत्तमत			
	राजस्व	70	1,70	1,00
42	ग्रामीण विकास विभाग दत्तमत			
	राजस्व	0	6,16	6,16
	दत्तमत			
	पूँजी	0	61,29	61,29
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग दत्तमत			
	राजस्व	0	1	1
44	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग			
	दत्तमत			
	राजस्व	0	2,01,48	2,01,48
45	गन्ना उद्योग विभाग दत्तमत			
	राजस्व	0	2	2
46	पर्यटन विभाग दत्तमत			
	राजस्व	0	3	3
47	परिवहन विभाग दत्तमत			
	राजस्व	0	28	28

सं० और अनुदान/विनियोग का नाम	परिशिष्ट-क्रमांत		वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	
48 नगर विकास एवं आवास विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	21,95	21,95
49 जल संसाधन विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	2,54	2,54
दत्तमत			
पूँजी	0	2	2
50 लघु जल संसाधन विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	1,13	1,13
51 समाज कल्याण विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	1,45,43	1,45,43
<b>योग</b>			
दत्तमत			
राजस्व	1070	2,63,95,15	2,61,81,41
प्रभारित	20	20	0
दत्तमत			
पूँजी	0	61,31	61,31
<b>कुल योग</b>	<b>1090</b>	<b>2,64,56,66</b>	<b>2,62,42,72</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ –**

उपर्युक्त मामलों में महत्वपूर्ण भिन्नताओं के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।